खण्ड ४--अंक ५३

३० अप्रैल, १९५५ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha (Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६ आने (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

156 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . .	५२८१
संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ .	५२८१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	५२८२
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का विवरण—उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में [redacted] अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२—९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त	५२९५—५४५८
खण्ड २ से ५३ और १	५२९६—५४३०
अनुसूची १ से चार	५४३०—५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	५४५८—७२
श्री ए० सी० गुह	५४५८-५९, ५४६८—७२
श्री पी० एन० राजभोज	५४६०-६१
श्री साधन गुप्त	५४६१—६३
श्री एस० एल० सक्सेना	५४६३-६४
श्री सारंगधर दास	५४६४-६५
श्री ए० एम० थामस	५४६५-६६
चौ० रणवीर सिंह	५४६६—६८
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना .	५४७२—७४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक-सभा

शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछ गए—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

पटल पर रखे गए पत्र

एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (२) के अधीन मैं एअर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस—१५४/५५**]

संचार मंत्रालय अधिसूचना

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अधीन मैं संचार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२ मार्च, १९५५ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—१५५/५५**]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

नवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही के विवरण का उपस्थापन

श्री बी० जी० मेहता (गोहिलवाड़) : मैं प्राक्कलन समिति (१९५४—५५) की कार्यवाही खण्ड ४, संख्या १ उपस्थापित करता हूं।

बांडुंग में हुए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सभा हाल ही में बांडुंग में हुए अफ्रेशियाई सम्मेलन का कुछ वृत्तांत सुनने में दिलचस्पी लेगी। सार्वजनिक समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें प्रकाशित हुई हैं। ये बातें सदैव ठीक नहीं होती हैं। सम्मेलन की समाप्ति पर जारी किया गया संयुक्त पत्रक जिसमें कि सम्मेलन में सर्व सम्मति से किये गये निर्णय हैं, प्रकाशित

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हो गया है। वह एक सरकारी पत्र की भांति जारी किया जा रहा है।

पिछले दिसम्बर को बोगोर में हुए बर्मा, लंका ,पाकिस्तान, इन्डोनेशिया तथा भारत के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में, पांचों प्रधान मंत्रियों के संयुक्त तत्त्वावधान में ऐसा सम्मेलन करने का निश्चय किया गया था। सम्मेलन के प्रमुख प्रयोजन इस प्रकार रखे गये थे।

"सद्भावना तथा सहयोग बढ़ाना;

एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं तथा उनकी विशेष दिलचस्पी की समस्याओं पर विचार करना; और

आज के संसार की पृष्ठ भूमि में एशिया व अफ्रीका की स्थिति का निरीक्षण करना तथा इस बात पर विचार करना कि विश्वशांति और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के लिये वे क्या कर सकते हैं।"

प्रधान मंत्रियों ने और भी इस बात पर सहमति प्रगट की थी कि सम्मेलन में एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों के स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रप्राय देश ही भाग ले सकेंगे। थोड़ा बहुत फेर बदल कर इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने पर, उन्होंने पच्चीस देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने का निश्चय किया। इस प्रकार उनको भी सम्मिलित कर सम्मेलन में तीस देश सम्मिलित थे। इस प्रकार ये निमंत्रण सिद्धान्त अथवा जातीयता के आधार पर नहीं बल्कि भौगोलिक आधार पर दिये गये थे। यह साधारण बात नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण बात है कि एक को छोड़ कर लगभग सभी देशों ने निमंत्रण स्वीकार किया तथा अधिकांश मामलों में प्रधान मंत्रियों तथा वैदेशिक मंत्रियों ने तथा अन्य मामलों में ज्येष्ठ राजनीतिज्ञों ने सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया।

सम्मेलन की व्यवस्था पांचों प्रवर्तक-समर्थक राष्ट्रों के एक संयुक्त सचिवालय को सौंप दी गई थी। कुछ भी हो इसकी व्यवस्था का मुख्यभार, जिसमें स्थान तथा अतिथियों की सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल है, इंडोनेशियाई सरकार को वहन करना पड़ा। मुझे, इंडोनेशिया गणराज्य के प्रधान मंत्री तथा सरकार को, उनकी संतोषजनक व्यवस्था, और उनके महान श्रम के लिए, जो उन्होंने इस कार्य के लिए किया और इसकी ओर जो ध्यान दिया, हार्दिक धन्यवाद देते हुए हर्ष होता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों से सम्मेलन को सफल होन में बहुत सहायता प्राप्त हुई।

इंडोनेशिया गणराज्य के प्रसिद्ध राष्ट्रपति, डा० अहमद सुकर्ण ने १८ अप्रैल को अफ्रेशियाई सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति के उद्घाटन-अभिभाषण ने उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन ही नहीं दिया बल्कि जागृत एशिया की भावनाओं की उद्घोषणा की। भारत में हम लोगों को राष्ट्रपति सुकर्ण का अभिभाषण उभय देशों के घनिष्ट सम्बन्ध तथा एशिया की स्वतंत्रता के लिये संयुक्त प्रयत्नों का स्मरण कराता है। हम उनके भाषण के अन्तिम शब्दों से जो कि उद्धरण के योग्य हैं लाभ उठा सकते हैं।

"हमें भूतकाल के सम्बन्ध में कटु नहीं होना चाहिये, बल्कि भविष्य के प्रति आंखें खुली रखनी चाहियें। हमें स्मरण रखना चाहिये कि जीवन तथा स्वतंत्रता के समान भगवान का कोई श्रेष्ठ वरदान नहीं। जब तक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के कुछ भाग परतंत्र हैं, तब तक समस्त मानवता कलंकित है। हमें स्मरण रखना चाहिए

कि मानव का महानतम उद्देश्य मानव को भय तथा दरिद्रता के बन्धन से मुक्त करना तथा शारीरिक आध्यात्मिक तथा बौद्धिक बन्धनों से, जिन्होंने कि बहुत समय से मानवता के एक बड़े भाग की प्रगति को अवरुद्ध कर रखा है, से छुटकारा दिलाना है।

भाइयो और बहिनो, हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें एशिया तथा अफ्रीका देशवासियों को एक होना चाहिये।"

पूर्ण अधिवेशन में, विभिन्न प्रतिनिधियों ने जो भाषण दिये, उनसे प्रचलित दृष्टकोण तथा विभिन्नतायें प्रगट हुईं तथा इस प्रकार सम्मेलन का सामान्य प्रयोजन एवं कठिन कार्य दोनों प्रगट हुए। अन्तिम अधिवेशन को छोड़ कर सम्मेलन का सारा काम समितियों तथा बन्द अधिवेशनों में हुआ, क्योंकि इससे सम्मेलन का प्रयोजन शीघ्र हल होने तथा उनकी शीघ्रता से प्राप्ति करने की गुंजायश थी।

यह बोगोर के ही निर्णयों का एक भाग था कि सम्मेलन को अपना कार्यक्रम स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए। प्रवर्तकों द्वारा अपने दायित्व से बचने के लिये नहीं किन्तु सम्मेलन को अपने कार्यों एवं प्रक्रिया सम्बन्धी, पूर्ण अधिकार देने के लिये, जान बूझ कर ऐसा किया गया था।

अतएव, सम्मेलन ने, बोगोर में प्रस्तुत किये गये मुख्य प्रयोजन के अनुसार कार्यसूची का निर्णय किया। सम्मेलन ने यह भी निर्णय किया कि अन्तिम निर्णयों से उनके मतों की पुष्टि होनी चाहिये।

आर्थिक तथा सामाजिक बातें पृथक् समितियों को सौंपी गईं। अन्त में उनके प्रतिवेदनों को सम्मेलन की समिति ने स्वीकार कर लिया। इसी समिति ने कार्यसूची के अवशेष भागों को, जिसमें राजनैतिक बात भी सम्मिलित थी, ले लिया। सभा को, अन्तिम पत्रक से, जो कि सभा-पटल पर रख दिया गया है, इन समितियों की प्रक्रिया तथा सिफारिशों का पता लगेगा। उनकी मुख्य रूपरेखा पर ध्यान देना संगत होगा। इन सिफारिशों ने बद्धिमानी से ही, 'न्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिय अतिरिक्त प्रणाली की स्थापना से बचने का प्रयत्न किया। इसके विपरीत यह कुछ अंशों में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली; तथा कुछ सीमा तक व्यक्तिगत सरकारों के सम्पर्क तथा वार्ता से किये गये निर्णयों पर अवलम्बित रहेगी। मैं सभा से निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राष्ट्रों से व्यवहार करते समय यही मार्ग अपनाना बुद्धिमानी तथा व्यावहारिकता है। अग्रेतर इस बात पर ध्यान देना भी महत्त्वपूर्ण है कि बिना किसी अपवाद के सभी प्रतिनिधिमंडल आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के महत्त्व को मानते थे। इन निर्णयों से यह सर्वसामान्य विश्वास उठ चुका तथा यह प्रथा टूट गई कि एशिया को टैकनिकल सहायता वित्तीय अथवा सांस्कृतिक सहयोग तथा अनुभवों के आदान-प्रदान में ग़ैर-एशियाई देशों पर निर्भर रहना चाहिये। इन प्रतिवेदनों के अलावा विस्तृत सिफारिशें जो कि सम्मेलन के निर्णयों के रूप में आईं, वह एशियाई देशों के परस्पर निकट आने तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने के निश्चय को प्रगट करती हैं।

आर्थिक क्षेत्र में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया है, उनमें टैकनिकल सहायता, आर्थिक सहायता के लिये एक विशेष संयुक्त राष्ट्रीय निधि की स्थापना, भागीदार देशों द्वारा सम्पर्क पदाधिकारियों की नियुक्ति, द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा खाद्यपदार्थों के व्यापार एवं मूल्यों का स्थायीकरण, कच्ची सामग्री को तैयार करने में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वृद्धि, नौवहन तथा परिवहन समस्याओं का अध्ययन, राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक बैंकों तथा बीमा कम्पनियों की स्थापना, शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये अणु शक्ति का विकास और पारस्परिक हित के मामलों पर जानकारी तथा विचारों का आदान-प्रदान शामिल है।

ग

सम्मेलन ने यह मानते हुए कि राष्ट्रों के बीच सौहार्द की वृद्धि के लिये सांस्कृतिक सहयोग का विकास सब से शक्तिशाली साधन है, इस क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापक विषयों का समावेश किया। एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को आबद्ध करने वाले सम्बन्ध विदेशी विजयों तथा राज्य प्रसार के कारण टूट गये हैं। नव एशिया प्राचीन सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने तथा नये तथा अच्छे प्रकार के सम्बन्धों को निर्मित करने की चेष्टा करेगा यद्यपि एशियाई पुनर्जागरण का प्रतिनिधियों की विचारधारा में उपयुक्त तथा महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है, फिर भी यह आवश्यक है कि सहनशीलता एवं विश्वबंधुत्व की प्राचीन परम्परा के अनुसार उन्होंने यह अभिलिखित किया, कि सम्मेलन इस बात पर विश्वास करता है कि एशियाई तथा अफ्रीकी सांस्कृतिक सहयोग विश्व सहयोग के व्यापक क्षेत्र में विकसित होना चाहिये।

व्यावहारिक कार्यवाही के रूप में सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में विभिन्न देशों का यही प्रयत्न होगा कि वे एक दूसरे देश का ज्ञान प्राप्त करें, परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान व जानकारी का आदान-प्रदान करें। द्विपक्षीय व्यवस्था करने से, प्रत्येक देश के यथेष्ट कार्य करने से सर्वोत्तम परिणाम निकलेंगे।

सारे सम्मेलन की समिति का कार्य प्रधानतः मानव अधिकार तथा आत्म-निश्चय पराधीन राष्ट्रों की समस्याएं और विश्व शांति तथा सहयोग की वृद्धि—के शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया। प्रत्येक शीर्षक के अधीन कई विशिष्ट समस्यायें थीं। मानव अधिकार तथा आत्म-निश्चय के अन्तर्गत, विशिष्ट समस्यायें जैसे जातीय विभेद तथा पृथक्करण पर विचार किया गया। दक्षिणी अफ्रीका संघ, तथा उस देश में भारतीय व पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों की स्थिति, फिलस्तीन की समस्या पर विश्व शांति, मानव अधिकार तथा शरणार्थियों की दशा की दृष्टि से विचार बातों को विशेष महत्व दिया गया।

पराधीन राष्ट्रों की समस्या अथवा उपनिवेशवाद एक ऐसा विषय था जिसमें प्रतिनिधि राष्ट्र एक साथ सहमत भी थे तथा असहमत भी। उपनिवेशवाद के प्रचलित अर्थ में, अर्थात् एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर शासन तथा परिणामस्वरूप होने वाली खराबियों का सम्मेलन ने एक मत से बहिष्कार किया। उन्होंने स्वाधीनता के लिये संग्राम करने वाले राष्ट्रों के लिये अपनी सहायता का आश्वासन दिया तथा सम्बन्धित शक्तियों से, उन्हें स्वतंत्रता देने के लिये निवेदन किया। मोरक्को, ट्यूनशिया, अल्जीरिया तथा पश्चिमी ईरान की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अदन, जो कि अंग्रेजी संरक्षण में है तथा एक पृथक् वर्ग में है, समस्या पर भी विचार किया गया है।

सम्मेलन का एक मत और था जिसका उद्देश्य उपनिवेशवाद को समाप्त करना और इन उपरोक्त घोषणाओं में कुछ सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न देशों की कथित परिस्थितियां को सम्मिलित करना था—इन में कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और वे सब ही अन्तराष्ट्रीय विधि और प्रथा की दृष्टि से स्वतन्त्र हैं। उनके हम से और संसार के अन्य देशों से

जिनमें बड़े राष्ट्र भी सम्मिलित हैं, कूटनीतिक, सम्बन्ध हैं। हमें यह प्रतीत होता है कि चाहे इन देशों में विद्यमान परिस्थितियों के या रूस व उनके बीच सम्बन्ध के बारे में कोई भी मत हो, परन्तु उन्हें उपनिवेश किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता और न ही उनकी कथित परिस्थितियों को उपनिवेशवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। सम्मेलन की ओर से किसी भी साधारण वक्तव्य में इस प्रकार सम्मिलित करना इसी स्थिति में सम्भव हो सकता है कि सम्मेलन में अधिकतर भाग लेने वाले, हमें भी मिला कर, उनविचारों और प्रवृत्तियों को स्वीकार करें जो उनकी नहीं हैं। यह कहना किसी के प्रति अन्याय नहीं है कि इस विवाद या मतभेद से एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के क्षेत्र में शीत युद्ध का प्रतिबिम्ब पड़ता है। जबकि इन सम्बद्ध देशों को अन्य मामलों की भांति इस मामले पर अपनी विचारधारा बनाये रखने का अधिकार था, ऐसे मत सम्मेलन की ओर से किसी भी सूत्रबंधन का भाग नहीं बन सके। यह अच्छा ही हुआ कि इन विरोधात्मक विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया और सम्मेलन के लिये यह और भी अधिक श्रेय की बात है कि शान्तिपूर्ण तथा निरन्तर प्रयत्न के पश्चात् एक सूत्रबन्धन, जो समस्त सम्बद्ध राष्ट्रों के दृढ़ विचारों के विरुद्ध न था, प्रस्तुत हुआ। यह उन मामलों में से एक है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि सम्मेलन का एक उद्देश्य, अर्थात् वैषम्य को स्वीकार करना परन्तु एकता खोजना, प्रतिपालित रहता है।

एशिया और अफ्रीका ने बहु-विनाश के अस्त्रों के उत्पादन तथा प्रयोग का एक आवाज से विरोध किया। सम्मेलन ने उनके पूर्ण निषेध और ऐसे निषेध को लागू करने तथा उसे बनाये रखने के लिये कुशल अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की मांग की। इसने ऐसे अस्त्रों के प्रयोगों को बन्द करने की भी मांग की। अस्त्री-करण की होड़ के बारे में एशिया व अफ्रीका की चिन्ता और निःशस्त्रीकरण की अनिवार्य आवश्यकता की भी अभिव्यक्ति की गई।

सम्मेलन का सब से अधिक महत्त्वपूर्ण निश्चय "विश्व शान्ति तथा सहकारिता की घोषणा" है। एकत्र राष्ट्रों ने ऐसे सिद्धान्त बनाये जो उनके पारस्परिक तथा संसार के साथ सम्बन्धों पर लागू हों। ये विश्व में लागू हो सकते हैं और उनका ऐतिहासिक महत्त्व है। भारत में हम ने पिछले छः मासों में अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्ध नियमित करने की दृष्टि से सिद्धान्त बनाये थे तथा उन्हें प्रायः पांच सिद्धान्तों के नाम से पुकारा है। बांडुंग की घोषणा में इन पांचों सिद्धान्तों और उनमें कुछ और बातों को, जो इन सिद्धान्तों को दृढ़ बनाती हैं, जोड़ा गया है। हमें इस बात पर सकारण प्रसन्न होना चाहिये कि इस सम्मेलन ने, जिसमें संसार की आधी से अधिक जनसंख्या के प्रतिनिधि थे, उन सिद्धान्तों के पालन की घोषणा की है जो, यदि विश्व-शान्ति तथा सहकारिता प्राप्त करनी है तो, उनके व्यवहार का पथप्रदर्शन करें और संसार के राष्ट्रों के सम्बन्धों को नियमित करें।

सभा को स्मरण होगा कि जब पांच सिद्धान्त, या हमारे कथनानुसार पंचशील प्रकाश में आये, तब संसार के विभिन्न भागों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और कुछ उनका विरोध भी हुआ। हमारा यह मत है कि उनमें उस सम्बन्ध के सिद्धान्तों का तत्त्व है जिससे विश्व शान्ति तथा सहकारिता का उदय होगा। हमने उन्हें दैवी आदेश नहीं बताया है या उनकी संख्या या सूत्रबन्धन के बारे में कोई विशेष पवित्रता का घोषणा नहीं की है। उनका सारांश ठोस है, और यह बांडुंग घोषणा में सम्मिलित भी है। कुछ विकल्पों का प्रस्ताव किया गया था और इन में से कुछ ने विरोधात्मक परिस्थिति भी उत्पन्न की। अन्तिम घोषणा में कोई विरोध नहीं है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारत सरकार बांडुंग घोषणा में सम्मिलित सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत है और उनका पालन करेगी। उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे देश के हित या हमारी निश्चित विदेश नीति के विरुद्ध हो।

घोषणा के एक खंड में सामूहिक रक्षा का उल्लेख है। सभा को विदित है कि हम सैन्य समझौते के विरुद्ध हैं और मैं ने बार बार यह कहा है कि ये समझौते, जिन का आधार शक्ति का अन्तर और "बल से वार्ता" तथा राष्ट्रों को द्वन्द्वात्मक पक्षों में मिलाने का विचार है, हमारे विचारानुसार शान्ति में सहायक नहीं है। हमारा यही विचार है। फिर भी, बांडुंग घोषणा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की दृष्टि से आत्म-रक्षण का उल्लेख करती है। चार्टर (अनुच्छेद ५१) के उपबन्धों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, "यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य देश पर सशस्त्र आक्रमण होता है, तो सुरक्षा परिषद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बनायें रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने तक" व्यक्तिगत या सामूहिक आत्म रक्षण का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका उल्लेख चार्टर से किया गया है। मैं चार्टर के अध्याय ८ की ओर भी ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसमें प्रादेशिक प्रबन्धों के बारे में परिस्थितियों का सविस्तार वर्णन है। बांडुंग घोषणा में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सामूहिक रक्षा के ये अधिकार चार्टर के अनुकूल होने चाहियें। हम केवल इस सिद्धान्त से सहमत ही नहीं हैं, अपितु इसका स्वागत करते हैं। चार्टर में कथित उद्देश्यों के लिए हम ने सामूहिक रक्षा से सहमति प्रकट की है। यह भी देखा जायेगा कि बांडुंग घोषणा में इस मामले के सम्बन्ध में जो विशेष संरक्षण सम्मिलित हैं, अर्थात् राष्ट्रों पर कोई बाह्य दबाव न हो और बड़े राष्ट्रों के विशेष लाभ के लिये सामूहिक रक्षा प्रबन्धों का प्रयोग न किया जाये। हम इस बात से भी प्रसन्न हैं कि घोषणा में आरम्भ में मानव अधिकारों के और इसलिए सभ्यता के मूल महत्वों के पालन का वर्णन है। यदि सम्मेलन ने बांडुंग घोषणा के सिद्धान्तों के अतिरिक्त और निश्चय न किये होते, तो यह एक स्मरणीय सफलता होती।

वास्तविक कार्य और स्वयं सम्मेलन में सफलता के बारे में इतना ही कहा है, परन्तु बांडुंग में इस ऐतिहासिक सप्ताह का कोई अनुमान, यदि हम अनेकों स्थापित सम्बन्धों, उत्पन्न हुए सम्बन्धों, दूर हुए पक्षपातों और स्थापित हुई मित्रताओं का ध्यान नहीं रखते तो, अपूर्ण और अपर्याप्त होगा। विशेषकर, बातचीत का और निजी बातचीत से प्राप्त कुछ रचनात्मक परिणामों का उल्लेख होना चाहिए। ऐसे परिणाम कुछ एक उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं जो हिन्द-चीन में जैनेवा निश्चयों की कार्यान्विति से उत्पन्न हुई थीं। सम्बद्ध पक्षों की प्रत्यक्ष बैठकों और दूसरे लोगों, जिनमें हम भी सम्मिलित हैं, के प्रयत्नों से इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिली है और अधिक मित्रता हो गई है।

कम्बोडिया, लाओस और वियतनाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की यह स्थिति है। हमें खेद है कि हम दक्षिणी वियतनाम के सम्बन्ध में इस मामले में आगे न बढ़ सके। इसके लिये समय और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है।

सभा को विदित है कि जब चीन के प्रधान मंत्री बांडुंग में थे, उन्होंने सुदूरपूर्व में और विशेषकर फारमोसा क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिये अमरीका से प्रत्यक्ष वार्ता करने की अपनी तत्परता की एक जन समूह में घोषणा की थी। कुछ समय से हमें यह पता था कि चीन प्रत्यक्ष वार्ता का इच्छुक है और

अन्य सम्बद्ध पक्ष भी इस बात से अपरिचित नहीं रहे हैं। अतः स्वयं घोषणा चीन के नवीन व्यवहार का प्रतिपादन नहीं करती अपितु यह बात कि यह एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के सम्मेलन में खुल्लम खुल्ला कहा गया है, अपेक्षतया अधिक और महत्वपूर्ण प्रगति का द्योतक है। यदि समस्त सम्बद्ध देश इस अवसर का प्रयोग करते हैं, तो इस से शांतिपूर्ण हल का उपाय निकल सकता है।

प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई से कई बार मेरी बातचीत हुई। उनमें कुछ फारमोसा के बारे में थीं। मेरे निवेदन पर श्री कृष्ण मेनन ने भी चीन के प्रधान मंत्री से इस प्रश्न के अंगों पर बात की। विगत कुछ मासों में हमें फारमोसा प्रश्न पर वाशिंगटन, लन्दन और ओटावा की प्रतिक्रियाओं और प्रवृत्तियों के बारे में भी कुछ ज्ञात हुआ है। हम अन्य सरकारों के लिये कुछ नहीं कह सकते, केवल अपने विचार बता सकते हैं तथा उन पर अपने निर्णय के अनुसार कार्य कर सकते हैं। हमारी इस अनुभूति में वृद्धि हुई है कि यदि कोई वार्ता न हो तो संकट की गम्भीरता और हमारे समक्ष प्रस्तुत भयंकर विकल्प की दृष्टि से खाई को पाटन के प्रयत्न अनिवार्य हैं। हम महसूस और आशा करते हैं कि सन्तोषपूर्ण और निरन्तर प्रत्यनों का कुछ परिणाम हो या उनके और संकेत मिलें। इस झगड़े में हमें यह विशेषाधिकार और लाभ है कि हमारी दोनों पक्षों से मित्रता है। हम कोइ पक्षपात स्वीकार नहीं करते और शान्ति उत्पन्न करने वाले किसी भा प्रयत्न के सम्बन्ध में हम अपने को वर्जित अनुभव नहीं करते। अतः हम इस महान संकट के दूर करने में, इन प्राप्त अवसरों से लाभ उठाना चाहते हैं। बांडुंग वार्ता को चालू रखने के लिये, प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने श्री वी० के० कृष्ण मेनन को पीकिंग आने के लिये आमंत्रित किया है। मैं ने यह प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है।

बांडुंग सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना है। यदि केवल यह हुई ही होती, तो स्वयं बैठक ही एक महान सफलता होती, क्योंकि इससे नये एशिया और अफ्रीका की उत्पत्ति का, उन नये राष्ट्रों का जो अपनी स्वतन्त्रता की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और संसार में उनके कर्तव्य सम्बन्धी उनके विचारों का पता चलता। बांडुंग ने संसार की आधी से अधिक जनसंख्या के विश्व-मामलों में राजनीतिक आपत्ति की अधिघोषणा की है। इसने किसी के भी प्रति अमित्रतापूर्ण चुनौती या शत्रुता की अभिव्यक्ति नहीं की, बल्कि नये और महत्वपूर्ण सहयोग की अधिघोषणा की है। प्रसन्नता की बात है कि वह सहयोग, धमकी या बल या नये शक्तिगुटों के रूप में नहीं है। बांडुंग ने क्रियात्मक आदर्शवाद के लिये एशिया और अफ्रीका के नये राष्ट्रों की क्षमता का संसार में अधिघोषणा की है, क्योंकि हम ने अपना कार्य थोड़े समय में किया और व्यावहारिक महत्व के निश्चय किये, जो प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नहीं होते हैं। हम अपनी एकता की धारणा या अपनी सफलता से पृथकत्व तथा अपनत्व की ओर नहीं बढ़े हैं। सम्मेलन का प्रत्येक महान निश्चय प्रसन्नतापूर्वक संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व समस्याओं तथा आदेशों का उल्लेख करता है। हमारा विश्वास है कि हमारे महान संघ-संयुक्त राष्ट्र संघ—ने बांडुंग से शक्ति प्राप्त की है। इसका अर्थ है कि विश्व संघ के कार्य और लक्ष्य प्राप्ति में एशिया और अफ्रीका को अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये।

बांडुंग सम्मेलन ने संसार का ध्यान आकर्षित किया। आरम्भ में इस से घृणा और शत्रुता हुई। यह आकांक्षा और आशा में परिणत हुई और मुझ यह कहन में प्रसन्नता होती है कि यह बाद में सद्भावना और मित्रता में बदल गई। सम्मेलन की प्रारम्भिक अन्तिम बैठक में मैंने जो मत प्रकट किये, उनमें म ने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सम्मेलन से हमारे पड़ोसी आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को सद्भावनायें भेजने को कहा था, जिनके प्रति, जैसे कि बाकी संसार के प्रति, हमारे हृदयों में अत्यधिक भ्रातृत्व की भावनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं महसूस करता हूं कि एशियाई और अफ्रीकी सम्मेलन का संदेश यही है और हमारे नवजात स्वतन्त्र हुए राष्ट्रों की पुराने और भलीभांति व्यवस्थित देशों तथा वहां के लोगों के प्रति वास्तविक यही भावना है। बांडुंग ने उन राष्ट्रों को, जो अभी पराधीन हैं परन्तु स्वतन्त्रता के लिये प्रत्यनशील हैं, उनके साहसपूर्ण संग्राम में और स्वतन्त्रता तथा न्याय के लिय उनके प्रयत्नों में डट रहने के लिये आशा प्रस्तुत की है।

बांडुंग में हुए सम्मेलन की बैठकों से जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह महत्वपूर्ण और युग-प्रवर्तक है, तथापि बांडुंग सम्मेलन को मानव इतिहास के महान आन्दोलन का भाग न मान कर पृथक् घटना मानना इतिहास का भ्रमात्मक अध्ययन होगा। यह बाद की बात है जो अधिक ठीक है और जिसका ऐतिहासिक महत्व है।

अन्त में, मैं इस सभा से निवेदन करता हूं कि वह सम्मेलन की केवल सफलता और प्राप्तियों पर ही विचार न करे, अपितु उस महान कार्य और दायित्वों पर विचार करे जो इस सम्मेलन में हमारे भाग लेने के फलस्वरूप हमारे ऊपर आ जाते हैं। भारत सरकार को विश्वास है कि इन दायित्वों को निभाने में हमारा देश और हमारे लोग पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार हम अपने एतिहासिक लक्ष्य की प्राप्ति में एक पग और आगे बढ़ेंगे।

भारत का राज्य बैंक विधेयक—समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब सभा भारत का राज्य बैंक गठित करने वाले विधेयक पर खण्डशः विचार करेगी। म माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने उन संशोधनों की खण्डानुसार संख्या दे दें जिनको वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

खण्ड २—(परिभाषायें)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३—(राज्य बैंक की स्थापना)

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फरुखाबाद—उत्तर) : भारत के राज्य बैंक के सम्बन्ध में मैं अपना यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि राज्य बैंक एक निर्गमित निकाय होगा और भारत का राज्य बैंक के नाम से कार्य करेगा।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : इसका प्रारूप सही है क्योंकि इसे हमने इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया अधिनियम से लिया है अतः हम आप का संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

श्री मूलचन्द दुबे : तब तो मैं इसे वापिस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के समक्ष नहीं रख रहा, अतः इसके वापिस लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(प्राधिकृत पूंजी)

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) मैं पृष्ठ २ पर पंक्ति २६ तथा २७ में "बीस करोड़" के स्थान पर "पचास करोड़" रखने के लिये अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। ग्रामीण उधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अंशों का वितरण कैसे किया जाये और प्राधिकृत अंश पूंजी में पर्याप्त वृद्धि किस

तरह की जाये । मैं इस बात से सहमत हूं कि सम्भवतः काम में लगी पूंजी या होने वाले कार्य का प्राधिकृत या निर्गमित पूंजी से कोई घनिष्ट सम्बन्ध न हो । परन्तु, बैंक होने के कारण, मेरा खयाल है कि इसका कुछ सम्बन्ध है और सरकार ने स्वयं यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इन्होंने भारतीय बैंकिंग समवाय अधिनियम भी बनाया है । भारतीय बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ११ में कहा गया है कि यदि किसी बैंक की शाखायें एक से अधिक राज्य में, या एक राज्य के एक से अधिक ज़िलों में खोली जायें तो उस बैंक की अंश पूंजी में भी तत्सम्बन्धी वृद्धि होनी चाहिये । फिर, इस विधेयक को विचार के लिये प्रस्तुत करते हुए स्वयं वित्त मंत्री ने भी कहा था कि इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य हमारे ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण करना और ग्रामों में पुनः जान फूंकना है । विधेयक के अनुसार इसकी न्यूनतम ४०० शाखायें होंगी और मेरे विचारानुसार यह सर्वथा उचित है कि हम अपने कार्य की दृष्टि से प्राधिकृत पूंजी पर भी विचार करें ।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

विधेयक के अनुसार बैंक के ५५ प्रतिशत अंश रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया को मिलेंगे और शेष ४५ प्रतिशत जनता को । विधेयक में स्थानीय बोर्ड और स्थानीय समितियां बनाने का उल्लेख है; अतः यह उचित है कि इसके अंशधारी सम्पूर्ण देश में फैले हों । इस दृष्टि से भी मैं चाहता हूं कि प्राधिकृत और निर्गमित पूंजी में वृद्धि की जाय । मैं मानता हूं इस सम्बन्ध में खण्ड में एक परन्तुक जोड़ा गया है। परन्तु मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देना उचित नहीं है, अपितु स्वयं संसद् को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, हमारा यह अनुभव है कि सारे बैंक अधिकतर नगरों में हैं और वहां भी उनका कार्य अधिकतर वाणिज्यिक संस्थाओं तक ही सीमित है । किन्तु यह विधेयक गांवों में उधार देने पर ज़ोर देने के लिये है । मैं यह जानता हूं कि इस बैंक के ५५ प्रतिशत अंश रिज़र्व बैंक को जायेंगे । नियन्त्रणकारी अधिकार के समान वितरण के लिये, मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि कुछ अंश देहातों को और विशेषकर कृषकों को दिये जायें, जिनको लाभ पहुंचाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है ताकि उन्हें आवश्यक नियंत्रणकारी अधिकार मिल सकें ।

श्री ए० सी० गुह : संशोधन के माननीय प्रस्तावक स्वयं ही बता चुके हैं कि विधेयक में परन्तुक है कि केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि या कमी कर सकती है। मैं नहीं समझता कि अभी अधिक प्राधिकृत पूंजी लगाने की आवश्यकता है। यदि अंश जनता को न बेचे जा सके और जनता से उतनी पूंजी प्राप्त न हो सकी तो इससे और कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। फिर, हो सकता है कि संचित निधियों को पूंजी का रूप देना पड़े जो बैंक के लिये अच्छी बात न होगी। बैंक केवल अपनी प्राधिकृत पूंजी से ही कार्य नहीं करता है, अपितु अधिकतर उस निक्षिप्त धन से काम करता है जो उसके पास प्राप्य होता है। ग्रामों में उधार के कार्य के लिये इसके पास कदाचित २०० करोड़ रुपये होंगे। फिर, माननीय सदस्य ने ग्रामीण उधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। प्रतिवेदन में, जिस पूंजी का उल्लेख किया गया है उसका आधार इम्पीरियल बैंक और राज्य-संबद्ध बैंकों की पूंजी है । इन राज्य-सम्बद्ध बैंकों को भी इस बैंक में मिलाने की सिफारिश की गई है। जब ये बैंक इस बैंक में मिल जायेंगे तो इसकी प्राधिकृत पूंजी में भी वृद्धि हो जायेगी। मैं नहीं समझता कि इस

[श्री ए० सी० गुह]

संशोधन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है ।

श्री एस० एस० मोरे के सुझाव के बारे में मेरा ख़याल है कि सरकार और रिज़र्व बैंक को यह ध्यान रखना चाहिये कि अंश छोट छोटे अंशधारियों को भी दिये जायें । मैं समझता हूं कि रिज़र्व बैंक के मामले में भी यह किया गया था । अंशों का वितरण करते समय यह इस मामले में भी किया जा सकता है । अतः संशोधन स्वीकार्य नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा श्री ए० एम० थामस का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : मैं इस खण्ड को सभा के मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५—(निर्गमित पूंजी)

श्री **साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व): खण्ड ५ में निर्गमित पूंजी का और इस बात का उल्लेख है कि कितनी पूंजी रिज़र्व बैंक के द्वारा सरकार के हाथ में और कितनी पूंजी जनता के हाथ में रहेगी। आवड़ी के समाजवाद की अद्भुत व्यवस्था के कारण ५,६२,५०,००० रुपये के मूल्य के अंशों के लिये हमें २० करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् हम फिर उन का ४५ प्रतिशत भाग ग़ैर-सरकारी लोगों को देने जा रहे हैं। परन्तु मेरा ख़याल है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि समाजवाद का अर्थ है उत्पादन के साधनों पर राष्ट्र का स्वामित्व होना। अतः, मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा समाजवाद है ? हम इस प्रकार कुल ९ करोड़ रुपये के अंश ग़ैर-सरकारी लोगों को देने जा रहे हैं। क्या भारत सरकार इम्पीरियल बैंक जैसी भारी संस्था पर पूर्ण नियन्त्रण करने के लिये ९ करोड़ रुपय नहीं दे सकती ? इस प्रक्रिया से मैं यही समझता हूं, यह ग़ैर-सरकारी लोगों के प्रति, जिन का सरकार पर नियन्त्रण है, समर्पण है । इसी कारण यह किया जा रहा है। परन्तु मैं जानता हूं कि हम आवड़ी समाजवादियों को इस बड़ी संस्था के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता के बारे में नहीं समझा सकते। अतः मेरा यह संशोधन है कि ग़ैर-सरकारी लोगों के अंश २० प्रतिशत से अधिक न हों ।

इसी सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १ और २ में,

"fiftyfive percent" ["पचपन प्रतिशत"] के स्थान पर "Eighty percent" ["अस्सी प्रतिशत"] शब्द रखे जायें ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व): मैं साधन गुप्त द्वारा कही गई बातों से सहमत नहीं हूं कि किसी भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण पूरा हो और उसकी पूंजी का कोई भाग अन्य व्यक्ति के पास न हो । हम सब मानते हैं कि ग़ैर-सरकारी सार्थों का भी सरकारी नियन्त्रण हो सकता है । अतः यदि सरकार बैंक का नियन्त्रण और प्रबन्ध कर सकती है तो अंशों के हस्तान्तरित करने में कोई हानि नहीं है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्राप्त किये गये अंशों में से कुछ अंश व्यक्तियों को बेचने का यदि निश्चय किया गया तो वे किस मूल्य पर बेचे जायेंगे । हमें उस मूल्य से कम पर न बेचना पड़े जिस पर हम खरीद र हैं । अधिनियम में इस विषय पर कुछ नहीं

दिया गया है जिससे कि निदेशक बोर्ड को ऐसा करने से रोका जा सके। वे जिसे चाहे उस शर्त पर अंश बेच सकेंगे। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या उपाय किये हैं कि ऐसे सौदों में हमें क्षति न उठानी पड़े।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर–उत्तर) : मैं श्री साधन गुप्त के संशोधन का समर्थन करता हूं। मुझे इस पर बहुत आश्चर्य है कि २० करोड़ रुपये के अंश खरीदने के बाद आप फिर इतने आंशिक रूप से जनता द्वारा नियंत्रित बैंक बनाना चाहते हैं। अंश खरीदने वालों में से अधिकतर बड़े-बड़े उद्योगपति होंगे, जो अपने हितों में बैंक पर नियन्त्रण रखेंगे। आप को राज्य बैंक का पूर्णतया राष्ट्रीयकरण करना चाहिये था और ४५ प्रतिशत अंश फिर से ग़ैर-सरकारी पूंजीपतियों को नहीं बेचने चाहियें। ऐसा करने से सार्वजनिक धन का अपव्यय ही होगा। मेरे विचार में यह प्रस्ताव बिल्कुल गलत है। इस उद्योग में कोई गैर-सरकारी क्षेत्र नहीं होना चाहिये। अतः आपको यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री ए० एम० थामस : मैं श्री साधन गुप्त के संशोधन का विरोध करता हूं। मुझे अपने मित्रों का यह तर्क समझ में नहीं आया कि राज्य बैंक का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण किया जाये। मुख्य बात देखने की यह है कि क्या इस विधेयक के द्वारा सरकार को उस संस्था पर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार सरकार इस बैंक पर हर प्रकार का नियन्त्रण रख सकती है। जनता को भी कुछ अंश देना वांछनीय है। कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ऋण का विस्तार करना है। क्या यह वांछनीय नहीं है कि वे लोग जो अंश खरीदना चाहते हैं, इस संस्था के स्वामी और उसके फलानुभोगी भी बन सकें। यह संस्था के हित में है कि कुछ गैर-सरकारी हित भी इस बैंक के साथ सम्बद्ध किये जायेंगे। मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री ए० सी० गुह : मेरे विचार में उन दो पूर्व वक्ताओं ने जिन्होंने संशोधन का विरोध किया है, उन दो सदस्यों के तर्कों का उत्तर दे दिया है, जिन्होंने इस का समर्थन किया था।

शत प्रतिशत अंश रक्षित बैंक के पास रखना आवश्यक नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिये कि इस विधेयक का उद्देश्य बैंकिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना नहीं है। इसका उद्देश्य इम्पीरियल बैंक पर पूरा नियन्त्रण प्राप्त करना है, ताकि इसे ग्रामीण महाजनी के लिये प्रयोग किया जा सके। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है, यह अच्छी बात है कि ग्रामीण महाजनी के लिये और वाणिज्यिक कारबार के लिये, गैर-सरकारी पक्षों को इस के साथ सम्बद्ध किया जाये। किन्तु रक्षित बैंक के द्वारा, सरकार का इस बैंक पर पूरा नियन्त्रण होगा। यदि माननीय सदस्य यह देखें कि केन्द्रीय बोर्ड तथा अन्य समितियों का संघटन कैसे किया गया है और इस बैंक के कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो उन्हें इस बारे में कोई सन्देह नहीं रहेगा। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १ और २ में, "fifty-five percent" ["पचपन प्रतिशत"] के स्थान पर "eighty percent" ["अस्सी प्रतिशत"] शब्द रखें जायें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६—(इम्पीरियल बैंक की आस्तियों तथा दायित्वों को राज्य बैंक को हस्तांतरित करना)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ८ और ९ में "as from" ["से ले कर"] के स्थान पर "on" ["को"] शब्द रखा जाये ।

श्री मूलचन्द दुबे ने पृष्ठ ३, पंक्ति २९ तथा ३२ से ३५ के सम्बन्ध में अपने दो संशोधन संख्या १९० और १९१ प्रस्तुत किये ।

श्री मूलचन्द दुबे : मेरा पहला संशोधन खण्ड ६ के उपखण्ड (३) के बारे में है । मैं ने प्रस्ताव किया है कि इस उपखण्ड के बाद निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये :

> "परन्तु इस उपधारा में उल्लिखित लिखित सदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय होंगे ।"

आप देखेंगे कि इस खण्ड में ये शब्द प्रयोग किये गये हैं :

> "सब संविदे और सब प्रकार के अन्य लिखित ।"

एक संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है किन्तु लिखित के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता । अतः "लिखित" शब्द रखने से राज्य बैंक पर ऐसा दायित्व पड़ सकता है, जो विधि के अनुसार उस पर नहीं पड़ना चाहिये । अतः "लिखित" ऐसी होनी चाहिये जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो ।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या १९१ एक छोटा सा शाब्दिक संशोधन है । यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये, तो उपखण्ड की भाषा और सरल हो जायेगी ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । खण्ड ६ लगभग भारत का इम्पीरियल बैंक अधिनियम, १९२० की धारा ४ की नकल है । किन्तु इस खण्ड में से कुछ शब्द निकाल दिये गये हैं । इस का महत्व मैं नहीं समझ सका । उदाहरणतया मूल अधिनियम में "संविदा" शब्द के बाद "विलेख, बन्धकपत्र और करार तथा अन्य लिखित" ये शब्द हैं। यह शब्द इस खण्ड में नहीं हैं । इससे न्यायालय समझेंगे कि ऐसा करने में विधान मंडल का कोई विशेष उद्देश्य था । सरकार इसे स्पष्ट करे ।

श्री ए० सी० गुह : जहां तक संशोधन संख्या १९० का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है क्योंकि केवल वही लिखित जो कि इम्पीरियल बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय है, राज्य बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय हो सकती है । संशोधन संख्या १९१ में, मेरे विचार में हमारा वर्तमान प्रारूप माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये प्रारूप से अधिक अच्छा है । श्री मोरे ने जो कुछ कहा है वह भी प्रारूप सम्बन्धी परिवर्तन ही है और मेरे विचार में विधेयक में जो कुछ कहा गया है उसका प्रारूप अधिक अच्छा है ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं कि उनके संशोधन मत के लिये प्रस्तुत किये जायें ?

श्री मूलचन्द दुबे : मैं अपने संशोधन को वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन, सदन की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन मत के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति ८ और ९ में 'as from' ["से ले कर"] शब्द के बाद "on" ["को"] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७—(इम्पीरियल बैंक के वर्तमान पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा का राज्य बैंक को हस्तांतरण)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३ और ४ में, पंक्ति ३७ से ४२ और १ से ८ के स्थान पर निम्न शब्द रखें जायें :—

"7 (1) Every officer or other employee of the Imperial Bank (excepting the managing director, the deputy managing director and other directors) in the employment of the Imperial Bank immediately before the appointed day shall, on and from the appointed day, become an officer or other employee, as the case may be, of the State Bank, and shall hold his office or service therein by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension gratuity and other matters as he would have held the same on the appointed day if the undertaking of the Imperial Bank had not vested in the State Bank, and shall continue to do so unless and until his employment in the State Bank is terminated or until his remuneration, terms or conditions are duly altered by the State Bank."

["७. (१) निश्चित तिथि से तत्काल पूर्व इम्पीरियल बैंक में सेवायुक्त इम्पीरियल बैंक का प्रत्येक पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी (सिवाय प्रबन्धक निदेशक, उपप्रबन्धक निदेशक और अन्य निदेशकों के), निश्चित दिन को और तब से लेकर, यथास्थिति, राज्य बैंक का पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी बन जायेगा और उसी पदावधि के लिये उसी पारिश्रमिक पर उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, और निवृत्ति-वेतन, उपदान और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्राप्त करता हुआ, उसमें अपने पद अथवा सेवा को धारण करेगा, जिन्हें वह निश्चित दिन को धारण करता यदि इम्पीरियल बैंक रूपी उपक्रम राज्य बैंक में निहित न हो जाता और इसी प्रकार धारण किये रखेगा जब तक कि राज्य बैंक में उसकी सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती अथवा जब तक कि राज्य बैंक द्वारा उसके पारिश्रमिक, निबन्ध अथवा शर्तें यथाविधि परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।"]

(२) पृष्ठ ४, पंक्ति ११ में "Imperial bank" ["इम्पीरियल बैंक"] के पश्चात् "or any provident, pension or other fund or any authority administering such fund." ["अथवा कोई भविष्य निधि, निवृत्ति-वेतन

[श्री ए० सी० गुह]

अथवा अन्य निधि, अथवा ऐसी निधि का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी ।"] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ४, पंक्ति १२ में "State Bank" ["राज्य बैंक"] के पश्चात् "or any provident, pension, or other fund or any authority administering such fund." ["अथवा कोई भविष्य निधि, निवृत्ति-वेतन अथवा अन्य निधि, अथवा ऐसी निधि का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी"] शब्द रखे जायें ।

(४) पृष्ठ ४, पंक्ति १८ से २४ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :—

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section(1) or sub-section (2), no appointment made or promotion, increment in salary, pension, allowance or any other benefit granted to any person after the 19th day of December, 1954, and before the appointed day which would not ordinarily have been made or granted or which would not ordinarily have been admissible under the rules or authorisations of the Imperial Bank or of any provident, pension or other fund in forceprior to the 25th day of December, 1954, shall have effect or be payable or claim able from the State Bank or from any provident,pension or other fund or from any authority administering the fund, unless the Central Goverment has, by general or special order, confirmed the appointment, promotion or increment or has directed the continued grant of the pension, allowance or other benefit as the case may oe."

["(२क) उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की १९ दिसम्बर, १९५४ के पश्चात् और निश्चित दिन से पूर्व की गयी कोई नियुक्ति अथवा उसे दी गई कोई पदोन्नति, वेतन-वृद्धि, निवृत्ति-वेतन, भत्ता अथवा अन्य प्रकार का कोई लाभ, जो कि साधारण स्थिति में १९ दिसम्बर, १९५४ से पूर्व वर्तमान इम्पीरियल बैंक के नियमों अथवा प्राधिकरणों अथवा भविष्य निधि, निवृत्ति-वेतन अथवा अन्य प्रकार की किसी निधि के अधीन न दिये जाते अथवा साधारण स्थिति में स्वीकार्य न होते, प्रभावी न होगा न वह राज्य बैंक अथवा भविष्य निधि, निवत्ति-वेतन या अन्य किसी भी प्रकार की निधि अथवा निधि का प्रशासन करने वाले किसी भी प्राधिकारी द्वारा देय होगा और न ही उनसे इस विषय में कोई दावा किया जा सकेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा उस नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वेतन-वृद्धि की पुष्टि न कर दे अथवा यथास्थिति, निवृत्ति-वेतन, भत्ते या अन्य लाभ का देना जारी रखने के बारे में निदेश जारी न कर दे ।"]

निम्नांकित सदस्यों द्वारा निम्न संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री केशवैयंगार (बंगलौर–उत्तर)	१३
पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव)	७३, ७६, ७७, ७८, ८०, ८१ और ८४
श्री सी० आर० अय्यूणि (त्रिचूर)	७६
श्री साधन गुप्त	१६, १७, १८, २०, २२, ८३ और ३०४
श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील)	१६ और २१

सभापति महोदय : ये सब संशोधन सभा के सामने हैं। माननीय सदस्यगण अपने संशोधन यथाशीघ्र भेज दें।

श्री साधन गुप्त : खण्ड ७ से सरकार का विचित्र रवैया परिलक्षित होता है। जब कि वे एक ओर इम्पीरियल बैंक के निवृत्त कर्मचारियों को सभी प्रकार के निवृत्ति वेतन के बारे में प्रत्याभूति दे रहे हैं, दूसरी ओर उन्होंने उसके श्रमिक कर्मचारियों का नौकरी के हस्तान्तरण से मिलने वाला संरक्षण भी हटा लेने का प्रयत्न किया है।

इम्पीरियल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत बड़ी बड़ी रकमें निवृत्ति वेतन के रूप में दी जाती हैं। एक विशेष पदाधिकारी को इस समय २००० रुपया मासिक निवृत्ति वेतन दिया जा रहा है। दूसरी ओर खण्ड ७ के उपखण्ड ३ से सरकार ने उन कर्मचारियों से भी, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, हस्तान्तरण इत्यादि के फलस्वरूप हुई हानि के लिये वाद चलाने का अधिकार भी ले लिया। अधिकतर हस्तान्तरण के समय हानि हो जाती है। उदाहरणस्वरूप इस समय न्यायाधिकरण बैंक पंचाट पर विचार कर रहा है। यह भी संभव है कि वह इम्पीरियल बैंक के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे दे, किन्तु यह भी हो सकता है कि न्यायाधिकरण राज्य बैंक के कर्मचारियों के अधिकारों पर निर्णय न करे। ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत हानि हो जाने की संभावना है। क्या आप ऐसी स्थिति पसन्द करेंगे कि एक ओर तो अंग्रेज़ अधिकारी मोटे निवृत्ति-वेतन पाते रहें दूसरी ओर हमारे कर्मचारियों से जीविका का भी अधिकार छीन लिया जाय ?

यदि आप कहते हैं कि इम्पीरियल बैंक के साथ ही उनकी सेवायें समाप्त हो गईं तब उन्हें उपदान, भविष्य निधि, निवृत्ति वेतन इत्यादि मिलने चाहियें। यह कठिनाई खण्ड ७ के उपखण्ड (३) से नहीं सुलझती जो कि कर्मचारियों को किसी भी आधार पर प्रतिकर मांगने के अधिकार से वंचित कर देता है। यदि माननीय मंत्री इस मामले में वास्तव में गम्भीर हैं तो मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें। मैं ने इसमें बहुत साधारण व्यवस्था की है। मैं ने संशोधन संख्या ३०४ में कहा है कि पृष्ठ ४ में पंक्ति २५ से ३१ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(3) Notwithstanding any thing contained in any law for the time being in force other than the Industrial Disputes Act 1947 (XIV of 1947), the transfer of the services of any officer or other employee of the Imperial Bank not being a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 from that Bank to the State Bank, shall not entitle such officer or other employee to any compensation under any law, and no such claim shall be entertained by

[श्री साधन गुप्त]

any court, tribunal or other authority."

["(३) औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ (१९४७ का १४) के अलावा किसी भी विधि में जो कि उस समय प्रयुक्त हो, किसी भी व्यवस्था के रहते हुए भी, इम्पीरियल बैंक के किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अधीन श्रमिक नहीं कहा जा सकता, उसकी सेवाओं का बैंक से राज्य बैंक में हस्तान्तरण हो जाने पर वह पदाधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी विधि के अधीन किसी प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा तथा कोई भी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी उसके दावे को मान्यता नहीं देगा।"]

यदि माननीय मंत्री जी किसी ऐसी बात से आशंकित हों तो उन्हें मेरे संशोधन में उसका उत्तर मिल जायेगा। सारे इम्पीरियल बैंक के अधीनस्थ कर्मचारी १३,००० से अधिक नहीं हैं। तो भी मेरा संशोधन स्वीकृत होने पर सरकार को अधिक से अधिक ६५ लाख रुपये व्यय करने होंगे। जब सरकार धनी व्यक्तियों को २० करोड़ रुपया तथा विदेशियों को २ करोड़ रुपया प्रतिकर के रूप में दे रही है तो, इससे भयभीत नहीं होना चाहिये। मैं इस स्थिति पर भी कांग्रेस दल के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे मेरा संशोधन स्वीकार कर लें, जो कि गरीबों के हितों की रक्षा तथा सरकार को अनेक संकटों से बचाने की प्रत्याभूति देता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह खण्ड स्पष्टतया बताता है कि सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इस बैंक के सभी निदेशकों को काम से अलग कर दिया जाये। जहां तक अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सरकार का यह विचार है कि वे अपने पूर्ववर्ती वेतन स्तर और शर्तों के अनुसार अपने अपने स्थान पर काम करते रहें।

इसके सम्बन्ध में अपने सात या आठ संशोधनों द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रबन्ध-निदेशक और उपप्रबन्ध-निदेशक का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत हूं कि उनका वेतन बहुत ज्यादा है, और इतना अधिक वेतन देना देश के लिये अहितकर है और ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिये। परन्तु यदि आप उनका वेतन कम कर देते हैं, और वे आपकी इन नयी शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं, और उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है, तो इसका कोई कारण नहीं कि उन्हें अपने काम से अलग कर दिया जाये। यदि वे अभी तक अपना काम काज सुचारु रूप से चलाते आये हैं, और बड़े उत्साह-पूर्वक काम कर रहे हैं, तो उन्हें काम से अलग करना एक महान अन्याय होगा। अतः यदि केवल वेतन का ही प्रश्न है और वे कम वेतन को स्वीकार कर लेते हैं, तो उन्हें अपने स्थान से अलग नहीं करना चाहिये।

हम समाजवादी ढंग के समाज के बारे में बातें तो करते हैं, परन्तु उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। कराधान जांच समिति ने वेतन-स्तरों की एक सीमा निर्धारित की थी, परन्तु इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः यदि आप सार्वजनिक सेवाओं के साथ ही साथ निजी क्षेत्र में भी वेतन-स्तर कम करना चाहते हैं तो वास्तव में यही एक अवसर है।

आपको स्मरण होगा कि जब हम प्रशासन-सेवा के सम्बन्ध में विचार कर रहे थे तो हम इस बात पर सहमत हुए थे कि उन्हें पुराने वेतन-स्तर के अनुसार ही वेतन दिया

जाये, और इस बात का अनुसरण किया जा रहा है । मंत्रालयों के सचिवों को मंत्रियों से भी अधिक वेतन मिल रहा है, यह तो नियम-विरुद्ध है ।

बैंक के प्रबन्ध-निदेशक और उपप्रबन्ध-निदेशक जो कि २५०० रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन कम कर दिया जाये । यदि वे इस नये वेतन-स्तर से सहमत हैं तो उन्हें अपने काम पर रहने दीजिये और यदि सहमत नहीं तो उन्हें जाने दीजिये । हमें अपने करार पर स्थिर रहना चाहिये । जिस व्यक्ति का जितना प्रतिकर बनता है, उसे उतना अदा किया जाये । यदि विदेशियों को पूरा पूरा प्रतिकर दिया जा रहा है, तो भारतीयों को पूरा पूरा प्रतिकर क्यों न दिया जाये ?

निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "निवृत्ति वेतन" के उपरान्त "भविष्य निधि" शब्द भी जोड़ दिया जायें, ताकि किसी कर्मचारी के मन में यह सन्देह न उत्पन्न हो कि उसे भविष्य निधि नहीं मिलेगी ।

इस विधेयक में यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी वही पुराना वेतन प्राप्त करता रहेगा जब तक कि राज्य बैंक कोई नयी शर्तें लागू न कर दे । मैं समझता हूं कि वाक्य व्यर्थ का है । यदि इम्पीरियल बैंक द्वारा निर्धारित किन्हीं नियमों के अनुसार नयी शर्तें लागू होती हैं तो इस में किसी को कोई आपत्ति नहीं । अतः यह वाक्य अनावश्यक है । और यदि इम्पीरियल बैंक द्वारा ऐसा कोई भी नियम निर्धारित नहीं है और राज्य बैंक फिर भी नयी शर्तें लागू कर उनके वेतन कम कर देता है, तब तो यह एक अन्याय है ।

अतः मैं तो इसी सिद्धान्त को मानता हूं कि उनके वेतन में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । जबकि वेतनों में परिवर्तन नहीं किये जायेंगे, तो फिर झगड़े भी नहीं होंगे । अतः श्री साधन गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार करना कदापि उचित नहीं है ।

श्री साधन गुप्त ने निवृत्ति-वेतन के बारे में यह कहा है कि एक व्यक्ति २००० रुपया निवृत्ति-वेतन प्राप्त कर रहा है । हम तो वास्तव में एक बहुत बड़ी राशि निवृत्ति वेतन के रूप में दे रहे हैं । मेरा तो यह मत है कि यदि किसी व्यक्ति ने बैंक की सेवा करके अवकाश ग्रहण किया है, तो उसे निवृत्ति-वेतन से वंचित करना एक महान अन्याय है । जब उसने इतनी सेवा की है तो निवृत्ति-वेतन प्राप्त करना उसका अधिकार है ।

अतः इन दो या तीन व्यक्तियों के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिये । हम ने जो जो भी करार अथवा संविदा किये हैं, उन पर स्थिर रहना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : मैं ने अपने दो संशोधन संख्या १९ और २१ प्रस्तुत किये हैं । अपने संशोधन संख्या १९ के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि पंक्ति संख्या १७ के उपरान्त यह परन्तुक जोड़ दिया जाये कि शर्त यह है कि राज्य बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया जाने वाला निवृत्ति-वेतन ५०० रुपया प्रति मास से अधिक न बढ़ जाये ।

मैंने मंत्री महोदय से यह पूछा था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जोकि इम्पीरियल बैंक से निवृत्ति-वेतन के रूप में ५०० रुपया मासिक से अधिक प्राप्त कर रहे हैं । परन्तु इसका उत्तर यह मिला कि इस बात से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । अतः हमारे पास कोई जानकारी नहीं है । मेरा यह निवेदन है कि सरकार इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करे और हमें सूचित करे ।

हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि निवृत्ति-वेतन के रूप में ५०० रुपया मासिक से अधिक प्राप्त कर रहे हैं ताकि यह राशि कम की जा सके । भारत

[श्री वी० पी० नायर]

सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को ५०० रुपया मासिक से अधिक निवृत्ति-वेतन नहीं दिया जायेगा। इम्पीरियल बैंक को अपने हाथ में ले कर इसे भी जब राज्य बैंक बनाया जा रहा है, तो सरकार इसके सम्बन्ध में भी निवृत्ति-वेतन की सीमा निर्धारित करे और वह सीमा ५०० रुपया मासिक से अधिक न हो। और मैं समझता हूं कि ऐसा करने में कोई कठिनाई भी न होगी।

खण्ड ७ के उपखण्ड (२) में यह लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति इम्पीरियल बैंक से निवृत्ति-वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है तो उसको उतना ही निवृत्ति-वेतन दिया जायेगा जितना कि इम्पीरियल बैंक से प्राप्त करने का अनिकारी है। इसके बारे में मेरा इस बात से कोई झगड़ा नहीं कि यह राशि किस निधि से दी जाये। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उन्हें ५०० रुपया मासिक से अधिक प्राप्त न हो।

इस उपखण्ड के पढ़ते ही मन में यह सन्देह उत्पन्न होता है कि उन मामलों का क्या बनेगा जो कि निलम्बित रूप में हैं। मंत्री महोदय हमें आश्वासन दें कि इन मामलों को भी शीघ्र ही हल कर दिया जायेगा।

श्री केशवैयंगार : खण्ड संख्या ७ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अपने संशोधन संख्या १३ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इम्पीरियल बैंक को राज्य बैंक में परिवर्तित करते समय बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को नौकरी के सम्बन्ध में पूरा पूरा आश्वासन दिया जाये। उपखण्ड (१) की अन्तिम दो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं, और मैं ऐसा चाहता हूं कि इन्हें हटा दिया जाये। इससे कर्मचारियों को अपने भविष्य के सम्बन्ध में सदा भय सा लगा रहेगा।

बैंक के अंशधारियों के विषय में तो हम बड़े सचेत हैं और उन्हें पूरा पूरा प्रतिकर देना चाहते हैं। परन्तु, कितने शोक की बात है कि बैंक कर्मचारियों की ओर हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इम्पीरियल बैंक को सुचारु रूप से चलाने और उसकी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में इन कर्मचारियों का भी पूर्ण योग है। परन्तु उन्होंने जितना परिश्रम किया है उसके अनुरूप उन्हें सुविधायें क्यों नहीं दी जा रही हैं? और वास्तव में बैंक का काम तो अन्य सरकारी कामों से भी अधिक कठिन है। बैंक कर्मचारी बेचारे रात को सात सात, आठ आठ बजे तक बैंक का काम करते रहते हैं। इसीलिये तो मैं यह कहता हूं कि बैंक कर्मचारियों की स्थिति की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस बैंक को राज्य बैंक में परिवर्तित कर देने से पूर्व क्या बैंक कर्मचारियों से उनकी सम्मति ली गयी थी? मेरा खयाल है कि बैंक कर्मचारियों को ऐसा आश्वासन दिया गया था कि उनकी प्रत्येक सुविधा का पूरा ध्यान रखा जायेगा। परन्तु ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है?

अतः मेरा यही निवेदन है कि बैंक कर्मचारियों ने जिस उत्साह से आज तक काम किया है, उसी के अनुसार उन्हें फल दिया जाये; नहीं तो वे निरुत्साहित हो जायेंगे। उन्हें बिना किसी शर्त के काम के बारे में आश्वासन दिया जाय। जबकि हम अंशधारियों को इतनी भारी राशि में प्रतिकर दे रहे हैं तो इन कर्मचारियों का क्या अपराध है जो इन्हें नौकरी के बारे में आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है?

जब विमान-निगम को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था, उस समय कर्मचारियों को नौकरी के बारे में बिना किसी शर्त के ही आश्वासन दे दिया गया था। तो मैं पूछता हूं

कि बैंक के बारे में भी एसा क्यों नहीं किया जा रहा है ।

इन सभी बातों पर विचार करने के उपरान्त में यह अत्यावश्यक समझता हूं कि इस समय काम करने वाले कर्मचारियों को बिना शर्त के नौकरी का पूर्ण आश्वासन दिया जाये । हम उन्हें ऐसा किंचित मात्र भी अनुभव न होने दें कि सरकारी नौकरी में आकर उनकी नौकरी की शर्तें बदल जायेंगी । इसीलिये मैं ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है कि उन्हें पूरा आश्वासन दिया जा सके ।

श्री वेंकट रामन् (तंजोर) : यदि मेरे मित्र श्री केशवैयंगार का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन-क्रम बढ़ाने के लिये किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश नहीं रह जायेगी । यह उचित है कि इम्पीरियल बैंक के जो कर्मचारी राज्य बैंक में नियुक्त किये जायेंगे उनका वेतन-क्रम घटाया न जाये । यदि वेतन-क्रम घटाया जायेगा तो वे औद्योगिक विवाद सम्बन्धी विधान का सहारा ले सकते हैं । वेतन-क्रम में संशोधन करने का निषेध करने का अर्थ यह हो जायेगा कि वेतन बढ़ाये ही न जा सकेंगे ।

श्री वी० पी० नायर ने कर्मचारियों और इम्पीरियल बैंक के विवादों का प्रश्न उठाया । इन विवादों में इम्पीरियल बैंक का स्थान राज्य बैंक ले लेगा तथा इनका जो परिणाम होगा वह राज्य बैंक पर बाध्यकारी होगा ।

मेरे मित्र श्री साधन गुप्त ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत जो कर्मचारी "श्रमिक" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं उनको औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर के लिये दावा करने का अधिकार होना चाहिये पर जहां तक मेरा अनुभव है इस प्रकार के किसी परिवर्तन के बाद कर्मचारी यह चाहते हैं कि भविष्य निधि, उपदान और निवृत्ति-वेतन के सम्बन्ध में उनकी पूर्व सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाये । वह प्रतिकर को इतना महत्व नहीं देते और इस खण्ड में बताया गया है कि राज्य बैंक जिन कर्मचारियों की सेवायें लेगा, उन कर्मचारियों की पूर्व सेवायें निवृत्ति-वेतन आदि के सम्बन्ध में ध्यान में रखी जायेंगी । अतः माननीय सदस्य के सुझाव से कर्मचारियों को प्राप्त होन वाले लाभ घट जायेंगे ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : मेरा संशोधन वही है जो श्री केशवैयंगार का है । "उचित रूप से" शब्दों के निवृत्त होने से, पदावधि अथवा सेवा सम्बन्धी शर्तों के बदलने पर, कर्मचारियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । वस्तुतः यदि सरकार कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार उनके परामर्श द्वारा परिवर्तन करे, तब तो ठीक है । यह एक पक्षीय निर्णय नहीं होना चाहिये । अन्यथा कर्मचारी को अपनी शिकायत दूर करवाने के लिये न्यायालय का आश्रय लेना पड़ेगा । शब्दावली यह होनी चाहिये कि उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन उनके परामर्श से किया जायेगा । जिस समय समवाय के प्रबन्धक बदल जायें उस समय कम से कम उन कर्मचारियों को यह विश्वास होना चाहिये कि उनकी शर्तों में परिवर्तन नहीं होगा जिन्होंने कुछ वर्ष वहां ठीक प्रकार से काम किया हो । सरकार अंशधारियों को तो लगाई गई ५०० रुपये की पूंजी पर १७०० रुपये देने के लिये आतुर है । ऐसी अवस्था में कम से कम कर्मचारियों को भी उपरोक्त रियायत मिलनी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं समझता हूं कि क्योंकि सरकार संविधान के प्रवर्तन के लिये वचनबद्ध है अतः जिस समय वह देश के महत्वपूर्ण उपक्रमों में से एक का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न कर रही है और भारत के इम्पीरियल बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में ले रही है तो उसे उसकी व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन कर देने का अधिकार है । हम न

[श्री एस० एस० मोरे]

संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का वचन दिया है। सरकार को उस प्रस्तावना के उस भाग को प्रवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि कमचारियों की श्रेणियों के बीच के अन्तर को पारा जा सके। कुछ भाग्यशाली लोगों का वेतन तो बहुत अधिक है और उन कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। संविधान बनाते समय अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को कतिपय आश्वासन दिये गये थे। इस विधेयक में भी वैसी ही प्रत्याभूतियां देने का प्रयत्न किया गया है। अधीनस्थ सेवाओं को कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। हम इस वास्तविक प्रत्याभूति को प्रायः भूल जाते हैं कि जनसाधारण की दरिद्रता को यथाशीघ्र दूर करना है। जब कभी भी हम महत्वपूर्ण विधान बनाते हैं तो हम देश के उन्हीं कुछ भाग्यशाली लोगों को प्रत्याभतियां देते हैं। यहां "अथवा अन्य कर्मचारी" सहित "एक पदाधिकारी" शब्द का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मैं इस पदाधिकारी शब्द का अभिप्राय नहीं समझ सका। क्या इसका यह अभिप्राय है कि आप उसके अहंभाव को तुष्ट करना चाहते हैं कि वह अन्य ऐसे कमचारियों से भिन्न हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है।

चाहे उसे अधिक वेतन मिलता है या कम, वह भी एक कर्मचारी है। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस मत से सहमत हूं कि इस देश में चाहे कोई सरकारी कमचारी हो या गैर-सरकारी उन्हें मंत्रियों के वेतन से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये।

मेरा निवेदन है कि वेतन आयोग और अन्य आयोगों ने जब देश की वेतन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था तो यह सिफारिश की थी कि न्यूनतम वेतन पाने वाले और अधिकतम वेतन पाने वाले के बीच के अन्तर को कम किया जायेगा। परन्तु देश में यह भी शंका बढ़ रही है कि समाजवादी व्यवस्था की जो घोषणा की गई थी वह केवल आंध्र के निर्वाचन में साम्यवादियों को हराने के लिये थी। अन्यथा जब कभी भी असमानता को कम करने का अवसर आता है तो आप अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ही प्रत्याभूति देते हैं। सरकार को अपनी घोषणा और संविधान की प्रस्तावना के प्रति सद्भावनापूर्वक दृढ़ रहना चाहिये और यह प्रबन्ध करना चाहिये कि राज्य बैंक में किसी भी व्यक्ति को २००० रुपये से अधिक वेतन न मिले।

राज्य बैंक में जो भी परिवर्तन किया जायेगा वह विहित प्रक्रिया के अनुसार होगा अतः वहां "उचित रूप से परिवर्तन करने" शब्दों का क्या अभिप्राय है? अतः मेरा निवेदन है कि "उचित रूप से" शब्द निकाल देने चाहियें।

मैं सरकार को अधिकार देने के पक्ष में हूं परन्तु उन्हें अधिक वेतन वाले और कम वेतन वाले पदाधिकारियों के अन्तर को कम करने में अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये।

श्री ए० एम० थामस : मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन सहित खण्ड ७ बना रहना चाहिये। श्री केशवैयंगार की आशंकाओं का आधार यह है कि सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर्मचारियों की हानि के लिये करेगी। ऐसा प्रायः नहीं किया जाता। इसी खण्ड में यह उल्लेख है कि प्रबन्ध निदेशक तथा उपप्रबन्ध निदेशक को नहीं रखा जायेगा क्योंकि हम उन्हें इतना अधिक वेतन नहीं दे सकते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अन्य लोगों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में भी उनकी हानि के लिये परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अतः खण्ड ७ के इस उपखण्ड की पंक्तियों के कारण कोई आशंका नहीं करनी चाहिये।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर—उत्तर): मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक असंगति की ओर दिलाना चाहता हूं। पत्रों में समाचार है कि सरकार प्रतिकर सम्बन्धी खण्ड में इस कारण कोई संशोधन स्वीकार नहीं करती कि वह पहले अंशधारियों को आश्वासन दे चुकी है। संसद् के परामर्श के बिना वचन देना संसद् का अपमान था। अब सरकार को चाहिये कि वह कर्मचारियों को यह वचन दे कि उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तों में कोई हानिकर परिवर्तन नहीं किया जायेगा। खण्ड ७ के उपखण्ड (३) में कहा गया है कि इम्पीरियल बैंक से राज्य बैंक में स्थानान्तरित किसी पदाधिकारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ या अन्य किसी विधि अधीन कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा। यह असाधारण बात है कि आप उन्हें अपनी ही विधि के अधीन दिये गये अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। मैं श्री साधन गुप्त के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि वे ऐसा करेंगे जिससे उन पर यह आरोप न लगाया जा सके कि उन्होंने अंशधारियों के हितों का तो ध्यान रखा परन्तु कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा। मेरा निवेदन है कि श्री साधन गुप्त के संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री ए० सी० गुह: मैं विभिन्न सदस्यों द्वारा कही गई सभी बातों का उत्तर नहीं दे सकूंगा। कुछ बातें निवृत्ति-वेतन अधिकारों आदि के सम्बन्ध में कही गई हैं। मैं इन बातों को विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। इस विधेयक की अपनी निजी सीमायें हैं। इसके द्वारा हम कर्मचारियों या निवृत्ति-वेतनधारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का परित्याग नहीं करेंगे।

अब मैं दो या तीन बातों को ही लूंगा। मैं समझता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह सुझाव दिया है कि वेतन कम कर के उस स्तर पर लाना चाहिये जिस स्तर पर वित्त मंत्री को मिलता है। मेरा विचार है कि वे इस सम्बन्ध में गंभीर नहीं थे क्योंकि इसका उल्लेख करने के पश्चात् वे चले गये थे क्योंकि वे जानते हैं कि उस शर्त पर बहुत से पदों को खाली रखना पड़ेगा। अब मैं उस संशोधन को लेता हूं जिस द्वारा पृष्ठ ४ के खण्ड ७ के उपखण्ड (१) से कुछ पंक्तियों को निकाला जाना है। यह सामान्य खण्ड है और कर्मचारियों के लिये लाभदायक है।

अब मैं उपखण्ड (३) को लेना चाहता हूं। मैंने पहले एक बार कहा था कि इसका सम्बन्ध इम्पीरियल बैंक में उनकी सेवा के औपचारिक अवरोध से है। श्री एस० एल० सक्सेना ने इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही है कि हमें उन्हें इन अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिये, परन्तु जैसा कि श्री वेंकटरामन् ने कहा है यदि हम उन्हें किसी अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो उन्हें कुछ अन्य अधिकार दे भी रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इम्पीरियल बैंक का प्रत्येक कर्मचारी उस तिथि को कुछ प्रतिकर के कल्पनात्मक अधिकार का वचन प्राप्त करने की अपेक्षा नौकरी बनी रहने के आश्वासन को अधिमान देगा।

श्री एस० एल० सक्सेना: प्रश्न पदच्युत करने का नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनके स्थानान्तरण के कारण उन्हें प्रतिकर दिया जाये।

श्री ए० सी० गुह: इस विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि यह केवल हस्तांतरण होगा। और कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर मुझे चर्चा करनी चाहिये।

श्री साधन गुप्त: मेरे संशोधन ३०४ का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री ए० सी० गुह: हम ने इस बात की परीक्षा की है और यह देखा है कि उन्होंने जो

[श्री ए० सी० गुह]

शब्दावली रखी है उसकी अपेक्षा हमारी शब्दावली से अधिक अच्छी तरह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। श्री एस० एस० मोरे से मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। उन्हें "उचित रूप से" शब्दों के बारे में आशंका है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी आशंका का आधार मनोवैज्ञानिक प्रकार का है। मैं उनकी आशंका के बारे में कुछ नहीं कर सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३, ७३, ७६, ७७, ७८, ८०, ८१, ८४, ७९, १६, १७, १८, २०, २२, ८३, १९ और २१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३ और ४ में, पंक्ति ३७ से ४२ और १ से ८ के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें :—

"7. (1) Every officer or other employee of the Imperial Bank (excepting the managing director, the deputy managing director and other directors) in the employment of the Imperial Bank immediately before the appointed day shall, on and from the appointed day, become an officer or other employee, as the case may be, of the State Bank, and shall hold his office or service therein by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held the same on the appointed day if the under-taking of the Imperial Bank had not vested in the State Bank, and shall continue to do so unless and until his employment in the State Bank is terminated or until his remuneration, terms or conditions are duly altered by the State Bank."

["७. (१) निश्चित तिथि से तत्काल पूर्व इम्पीरियल बैंक में सेवायुक्त इम्पीरियल बैंक का प्रत्येक पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी (सिवाय प्रबन्धक निदेशक, उपप्रबन्धक निदेशक और अन्य निदेशकों के), निश्चित दिन को और तब से लेकर, यथास्थिति, राज्य बैंक का पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी बन जायेगा, और उसी पदावधि के लिये उसी परिश्रमिक पर उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, और निवृत्ति वेतन, उपदान और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्राप्त करता हुआ, उसमें अपने पद अथवा सेवा को धारण करेगा, जिन्हें वह निश्चित दिन को धारण करता यदि इम्पीरियल बैंक रूपी उपक्रम राज्य बैंक में निहित न हो जाता और इसी प्रकार धारण किये रखेगा जब तक कि राज्य बैंक में उसकी सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती अथवा जब तक कि राज्य बैंक द्वारा उसके परिश्रमिक, निबन्ध अथवा शर्तें यथाविधि परिवर्तित नहीं कर दी जातीं।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति ११ में "Imperial Bank" ["इम्पीरियल बैंक"] के पश्चात् "or any Provident, pension or other fund or

any authority administering such fund" ["अथवा कोई भविष्य निधि, निवृत्ति-वेतन अथवा अन्य निधि अथवा ऐसी निधि का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी"] शब्द रख जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति १२ में "State Bank" ["राज्य बैंक"] के पश्चात् "or any provident, pension or other fund or any authority administering such fund" ["अथवा कोई, भविष्य निधि, निवृत्ति वेतना अथवा अन्य निधि, अथवा ऐसी निधि का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी"] शब्द रखे जायें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति १८ से २४ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :—

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub- section (2), no appointment made or promotion, increment in salary. pension, allowance or any other benefit granted to any person after the 19th day of December, 1954, and before the appointed day which would not ordinarily have been admissible under the rules or authori- sations of the Imperial Bank or of any provident pension, or other fund in force prior to the 19th day of December, 1954, shall have effect or be payable or claimable from the State Bank or from any provident, pension or other fund or from any authority administering the fund unless the Central Government has by general or special order confirmed the appointment promotion or increment or has directed the continued grant of the pension, allowance or other benefit as the case my be."

["(२क) उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की १९ दिसम्बर, १९५४ के पश्चात् और निश्चित दिन से पूर्व की गयी कोई नियुक्ति अथवा उसे दी गई कोई पदोन्नति, वेतन-वृद्धि, निवृत्ति-वेतन, भत्ता अथवा अन्य प्रकार का कोई लाभ, जो कि, साधारण स्थिति में १९ दिसम्बर, १९५४ से पूर्व वर्तमान इम्पीरियल बैंक के नियमों अथवा प्राधिकरणों अथवा भविष्यनिधि, निवृत्ति-वेतन अथवा अन्य प्रकार की किसी निधि के अधीन न दिये जाते अथवा साधारण स्थिति में स्वीकार्य न होते, प्रभावी न होगा, न वह राज्य बैंक अथवा भविष्य निधि, निवृत्ति वेतन या अन्य किसी भी प्रकार की निधि अथवा निधि का प्रशासन करने वाले किसी भी प्राधिकारी द्वारा देय होगा और न ही उनसे इस विषय में कोइ दावा किया जा सकेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा उस नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वेतन-वृद्धि की पुष्टि न कर दे अथवा यथास्थिति, निवृत्ति वेतन, भत्ते या अन्य लाभ का देना जारी रखने के बारे में निदेश जारी न कर दे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री साधन गुप्त के संशोधन संख्या ३०४ को मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : इस पर बाद में मत लिया जाये ।

सभापति महोदय : यह संशोधन और खण्ड ७ स्थगित रहेगा । अब हम अगले खण्ड पर चर्चा कर सकते हैं ।

खंड ८—इम्पीरियल बैंक की वर्तमान भविष्य और अन्य निधियां

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ में, खण्ड ८ के स्थान पर यह रखा जाय :

"8. For the persons who immediately before the appointed day are the trustees of the following funds, that is to say,—

(a) the Imperial Bank of India Employees Provident Fund;

(b) the Imperial Bank of India Employees Pension and Guarantee Fund;

(c) the Bank of Bombay officers Pension and Guarantee Fund;

(d) the Bank of Madras Pension and Gratuity Fund; and

(e) the Bank of Madras officer Provident and Mutual Guarantee Fund;

there shall be substituted as trustees such persons as the Central Government may, by general or special order, specify."

["८. उन व्यक्तियों के लिये जो निश्चित दिन के ठीक पहले इन निधियों के न्यासधारी हों, अर्थात्,—

(क) इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि;

(ख) इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया कर्मचारी सेवा निवृत्ति और प्रत्याभूति निधि;

(ग) बंबई बैंक पदाधिकारी सेवा निवृत्ति और प्रत्याभूति निधि;

(घ) मद्रास बैंक सेवा निवृत्ति और उपदान निधि; और

(ङ) मद्रास बैंक पदाधिकारी भविष्य निधि और पारस्परिक प्रत्याभूति निधि;

ऐसे व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, न्यासधारी के रूप में स्थानापन्न किये जायेंगे ।"]

श्री ए० एम० थामस : अपने संशोधन संख्या १९४ को प्रस्तुत करने से पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार क्यों शक्ति लेना चाहती है । क्या न्यासधारियों का बोर्ड बनाने का काम केन्द्रीय बोर्ड को नहीं सौंपा जा सकता है ? अन्य बैंकिंग संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रायः ऐसा किया जाता है । वर्तमान अधिनियम में यह शक्ति केन्द्रीय बोर्ड को दी गयी है । मैं जानना चाहता था कि क्या इस बोर्ड की संरचना प्रायः केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । वह एक मामूली विषय है ।

श्री ए० सी० गुह : यदि यह मामूली विषय हो, तो भी यह अधिक अच्छा है कि उस पर सरकार का नियंत्रण हो ।

तत्पश्चात् श्री ए० एम० थामस ने अपना संशोधन संख्या १९४ प्रस्तुत किया और वह सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या २६६ को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ५ में, खण्ड ८ के स्थान पर यह रखा जाय :

"8. For the persons who immediately before the appointed day are the trustees of the following funds, that is to say,–

(a) the Imperial Bank of India Employees Provident Fund;

(b) the Imperial Bank of India Employees Pension and Guarantee Fund;

(c) the Bank of Bombay officers Pension and Guarantee Fund;

(d) the Bank of Madras pension and Gratuity Fund; and

(e) the Bank of Madras officers Provident and Mutual Guarantee Fund;

there shall be substituted as trustees such persons as the Central Government may, by general or special order, specify."

["८. उन व्यक्तियों के लिये जो निश्चित दिन के ठीक पहले इन निधियों के न्यासधारी हों, अर्थात्,––

(क) इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि;

(ख) इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया कर्मचारी सेवानिवृत्ति और प्रत्याभूति निधि;

(ग) बम्बई बैंक पदाधिकारी सेवानिवत्ति और प्रत्याभूति निधि;

(घ) मद्रास बैंक सेवानिवृत्ति और उपदान निधि; और

(ङ) मद्रास बैंक पदाधिकारी भविष्य निधि और पारस्परिक प्रत्याभूति निधि;

ऐसे व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, न्यासधारी के रूप में स्थानापन्न किये जायेंगे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ९––(इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों को दिये जाने वाला प्रतिकर)

सभापति महोदय : अब हम खण्ड ९ को लेते हैं और मैं प्रथम अनुसूची को भी प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह अधिक अच्छा न होगा कि अन्य खण्डों पर चर्चा होने के पश्चात् खण्ड ९ पर चर्चा की जाय ? अनुसूची के साथ अन्त में उसका विवेचन हो सकता है । अतः उसे प्रत्यक्ष लेने के बजाय खण्ड ९ स्थगित क्यों न किया जाय ?

श्री ए० सी० गुह : खण्ड ९ और प्रथम अनुसूची दोनों के सम्बन्ध में चर्चा की जा सकती है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि हम इसी समय खण्ड ९ के साथ प्रथम अनुसूची को लें या खण्ड ९ पर चर्चा तब तक के लिय स्थगित कर दें जब तक कि हम अन्य खण्डों को समाप्त न कर लें ।

श्री ए० सी० गुह : प्रथम अनुसूची के बगैर खण्ड ९ पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। यह अधिक अच्छा होता यदि खण्ड ९ और प्रथम अनुसूची पर एक साथ चर्चा की जाती।

सभापति महोदय : बात यह है कि यदि श्री मोरे की प्रस्थापना स्वीकार की जाय, तो चर्चा तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि हम अन्य खण्ड समाप्त नहीं कर लेते हैं, यदि ऐसा करना माननीय वित्त मंत्री को सुविधाजनक हो। मुझे बताया गया है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है किन्तु वे इस चर्चा के समय यहां उपस्थित रहना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह माननीय मंत्री के लिये सुविधाजनक होगा।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वास्थ्य के कारण सभा की इच्छा पूरी होने में कोई बाधा पड़े। यदि सभा चाहती है कि अनुसूची के साथ इस खण्ड पर चर्चा अन्त में हो, तो मैं पूर्णतया सहमत हूं। मैं उपस्थित होने का प्रयत्न करूंगा।

श्री साधन गुप्त : प्रथम अनुसूची न केवल खंड ९ बल्कि खण्ड ३८ से भी सम्बन्धित है। अतः मेरे विचार से खण्ड ९, खण्ड ३८ और प्रथम अनुसूची पर एक साथ चर्चा की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : वह हम खण्ड ३८ पर पहुंचने पर सोचेंगे। अब हम खण्ड १० को लेंगे।

खंड १०—अंशों की हस्तान्तरिता

श्री साधन गुप्त ने अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत किया।

श्री साधन गुप्त : खण्ड १० के सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि उसमें यह निर्धारित किया गया है कि अंश स्वतंत्र रूप से हस्तान्तरित किये जा सकेंगे। उपखण्ड (२) में यह निर्धारित किया गया है कि रिज़र्व बैंक अपने इतने अंश हस्तान्तरित कर सकता है कि उसकी अधिसंपत्ति ५५ प्रतिशत से कम न हो। हमने पहले ही बता दिया है कि हम इस प्रकार के राष्ट्रीयकरण का समर्थन नहीं करते। अतः हम इसका घोर विरोध करते हैं कि रिज़र्व बैंक अपनी अधिसंपत्ति में से अपने कोई अंश हस्तांतरित करे। मैंने अपने संशोधन में यह उपबन्ध रखने का प्रयत्न किया है कि रिज़र्व बैंक अपनी अधिसंपत्ति में से अपने कोई अंश हस्तांतरित करने का अधिकारी नहीं होगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० सी० गुह : यह एक ऐसा संशोधन है जो खण्ड ५ (२) के लिये माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप है जो रिज़र्व बैंक की अधिसंपत्ति को ५५ से ८० प्रतिशत बढ़ाने के लिये है। मेरे विचार से हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड १० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ११—(व्यक्तिगत अधिसंपत्तियों पर निर्बन्धन)

सभापति महोदय : इस खण्ड के लिये ये संशोधन हैं : संशोधन संख्या ३१९, ३२४, २४, ३०५, २५७, २५८ और २५९; संशोधन संख्या ३१९ एक सरकारी संशोधन है और शेष संशोधन ग़ैर-सरकारी हैं।

श्री ए० सी० गुह : अन्य संशोधन अवरुद्ध होंगे।

श्री ए० एम० थामस : संशोधन संख्या ३१९ सम्पूर्ण खण्ड के स्थान पर रखा गया है। यदि सरकार स्थिति को स्पष्ट कर दे तो अधिक अच्छा हो ।

श्री ए० सी० गुह : श्री वेंकटरामन् के नाम से जो संशोधन है, जो इस संशोधन का संशोधन है, उसे छोड़ कर अन्य सभी संशोधन अवरुद्ध होंगे ।

सभापति महोदय : अन्य संशोधन मूल खण्ड के सम्बन्ध में हैं।

श्री ए० सी० गुह : यह केवल सरकारी और ग़ैर-सरकारी न्यासों के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ में, खण्ड ११ के स्थान पर यह रखा जाये :

"11. (1) No person shall be registered as a shareholder in respect of any shares held by him whether in his own name or jointly with any other person, in excess of two hundred shares or be entitled to payment of any dividend on the excess shares held by him or to exercise any of the rights of a shareholder in respect of such excess shares otherwise than for the purpose of selling them :

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to—

(*a*) the Reserve Bank;

(*b*) a corporation;

(*c*) an insurer as defined in the Insurance Act, 1938;

(*d*) a local authority;

(*e*) a co-operative society; and

(*f*) a trustee of a public or private trust.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) no person referred to in the proviso to that sub-section, other than the Reserve Bank, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the issued capital."

["११. (१) किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा धारित किसी ऐसे अंशों के सम्बन्ध में, जो २०० अंशों से अधिक हों, चाहे वह उसके नाम में हों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हों, अंशधारी पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा और न उसे उसके द्वारा धारित अधिक अंशों के लिये कोई भुगतान पाने का अधिकार होगा, अथवा इन अंशों के सम्बन्ध में केवल उनको बेचने के प्रयोजन के अतिरिक्त न उसे अंशधारी के रूप में किन्हीं भी अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार होगा ।

परन्तु इस उप-धारा में उल्लिखित कोई बात इन पर लागू नहीं होगी—

(क) रिज़र्व बैंक;

(ख) एक निगम;

(ग) बीमा अधिनियम, १९३८ की परिभाषा के अनुसार एक बीमा कराने वाला;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;

(ङ) एक सहकारी संस्था; और

(च) किसी सरकारी अथवा ग़ैर-सरकारी प्रन्यास का एक प्रन्यासधारी ।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी बात के अनपेक्ष उस उप-धारा के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, रिज़र्व बैंक के अतिरिक्त, जारी की गई पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किन्हीं

[श्री ए० सी० गुह]

अंशों के सम्बन्ध में मतदान अधिकार को प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होगा।"]

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि श्री अरुण चन्द्र गुह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन के प्रस्थापित खण्ड ११ के उपखण्ड १ के परन्तुक के भाग च में "Private trust" ["ग़ैर-सरकारी प्रन्यास"] के स्थान पर "Private, religious or charitable trust" ["ग़ैर-सरकारी, धार्मिक अथवा पूर्त प्रन्यास"] शब्द रखे जायें।

सभापति महोदय : ये दोनों संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

श्री वेंकटरामन : सरकारी संशोधन द्वारा व्यक्तियों को राज्य बैंक के अंशभाग रखने का अधिकार २०० तक सीमित कर दिया गया है। किन्तु परन्तुक उस निर्बन्धन के लिये एक अपवाद है। रिज़र्व बैंक २०० अंशभागों से अधिक रख सकता है, इसी प्रकार कोई भी निगम इतने से अधिक अंशभाग रख सकता है; बीमा कम्पनियां, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी बैंक और सरकारी अथवा ग़ैर-सरकारी प्रन्यास भी इतने अंशभाग रख सकते हैं। पद (क) से (च) पदों में उल्लिखित श्रेणियां अधिकतर सार्वजनिक संस्थाओं के सम्बन्ध में हैं।

कोई निजी प्रन्यास किसी व्यक्ति के बच्चों की शिक्षा अथवा उसकी पत्नी के निर्वाह अथवा अन्य किसी उद्देश्य के लिये हो सकता है। साधारणतया निजी प्रन्यास इस आशय से बनाया जाता है कि उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को कुछ लाभ प्राप्त हो। मेरा निवेदन है कि यह उन व्यक्तियों के लिये उपयुक्त नहीं है जिन्हें निश्चित अधिकतम सीमा से अधिक अंश रखने से मुक्त किया गया है।

साथ ही सार्वजनिक प्रकार के अन्य प्रन्यास भी होते हैं, जैसे पूर्त प्रन्यास, धार्मिक प्रन्यास और वे प्रन्यास जो शैक्षणिक अथवा अन्य सामाजिक कार्य करते हैं, और उन्हें राज्य बैंक के अंशभाग रखने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। मैं ने अपने संशोधन द्वारा सरकार के प्रस्थापित संशोधन के पद (च) को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। केवल वे प्रन्यास, जो पूर्त अथवा धार्मिक प्रकार के होंगे, व्यक्तियों के लिये निर्धारित २०० की संख्या से अधिक अंशभाग रख सकेंगे।

सभापति महोदय : क्या उनका संशोधन माननीय मंत्री को स्वीकार्य है ?

श्री ए० सी० गुह : हां। वास्तव में हमारा उद्देश्य यह था कि केवल पूर्त संस्थाओं को और न कि उन निजी संस्थाओं जो उस व्यक्ति के परिवार सदस्यों के लाभ के लिये बनाये गये हैं, मुक्ति दी जाय।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ३१९, संशोधन संख्या ३२४ द्वारा संशोधित रूप में, सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५ में, खण्ड ११ के स्थान पर यह रखा जाय :

"11. (1) No person shall be registered as a shareholder in respect of any shares held by him whether in his own name or jointly with any other person in excess of two hundred shares or be entitled to payment of any dividend on the excess shares held by him or to exercise

any of the rights of a shareholder in respect of such excess shares otherwise than for the purpose of selling them :

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to—

(a) the Reserve Bank;

(b) a corporation;

(c) an insurer as defined in the Insurance Act, 1938;

(d) a local authority;

(e) a co-operative society; and

(f) a trustee of a public or private religious or charitable trust.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) no person referred to in the proviso to that sub-section other than the Reserve Bank shall be entitled to exercise voting right in respect of any shares held by him in excess of one per cent. of the issued capital.'

["११.(१) किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा धारित किसी ऐसे अंशों के सम्बन्ध में जो २०० अंशों से अधिक हों, चाहे वह उसके नाम में हों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हों, अंशधारी पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा और न उसे उसके द्वारा धारित अधिक अंशों के लिये कोई भुगतान पाने का अधिकार होगा, अथवा इन अंशों के सम्बन्ध में केवल उनको बेचने के प्रयोजन के अतिरिक्त न उसे अंश-धारी के रूप में किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा

परन्तु इस उप-धारा में उल्लिखित कोई बात इन पर लागू नहीं होगी—

(क) रिज़र्व बैंक;

(ख) एक निगम;

(ग) बीमा अधिनियम, १९३८ की परीभाषा के अनुसार एक बीमा कराने वाला;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;

(ङ) एक सहकारी संस्था; और

(च) किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी धार्मिक अथवा पूर्त प्रन्यास का एक प्रन्यासधारी ।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी बात के अनपेक्ष उस उपधारा के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, रिज़र्व बैंक के अतिरिक्त, जारी की गई पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किन्हीं अंशों के सम्बन्ध में मतदान अधिकार को प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड ११क

श्री ए० एम० थामस ने नया खण्ड ११क जोड़ने वाले अपने संशोधन संख्या १९८ को प्रस्तुत किया ।

श्री ए० एम० थामस : मैं नहीं समझता कि सरकार को इस संशोधन को स्वीकार करने में अधिक कठिनाई होगी क्योंकि इन अंशभागों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में गतिशीलता की वांछनीयता की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है । सभा के अनेक सदस्यों ने कहा था कि यह वांछनीय है कि राज्य यथासंभव अधिक से अधिक अंशभाग रखे । किसी भी हालत में यदि कोई निजी धारक रिज़र्व बैंक को अंशभाग बेचना चाहता है, तो बैंक निर्गम-मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर जो भी कम हो, उन को अवश्य ले ले । अतः इस में

[श्री ए० एम० थामस]

बिलकुल कोई खतरा नहीं है। मेरे विचार से सरकार को यह उपबन्ध स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

इसके पश्चात् श्री एस० एल० सक्सेना ने अपना संशोधन संख्या ३०६ प्रस्तुत किया।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं नहीं चाहता कि नवीन राज्य बैंक विदेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाय। हम उसमें किन्हीं भी विदेशी हितों को स्थान नहीं देना चाहते। अतः उन्हें अभी जो भी प्रतिकर दिया जाये, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भविष्य में उन्हें अंशधारियों के रूप में आने की अनुमति न दी जाय। अत. बैंक के कोई अंशभाग विदेशियों को न बेचे जायें।

श्री ए० सी० गुह : श्री ए० एम० थामस द्वारा प्रस्तावित संशोधन रिज़र्व बैंक पर अंशभाग खरीदने का दायित्व अनिवार्य रूप से आरोपित करेगा।

श्री ए० एम० थामस : आप कह सकते हैं "रिज़र्व बैंक खरीद सकता है।"

श्री मात्तन : यदि ऐसा करना अनिवार्य हो तो ?

श्री ए० सी० गुह : अंशभागों के मूल्य में बाजार में चढ़ा उतरी अवश्य होनी चाहिये। जब उनका कम मूल्य हो उस समय हम क्यों खरीदें ? श्री एस० एल० सक्सेना द्वारा प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध म मैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता। मैं किसी विदेशी पर यह अनर्हता लगाना आवश्यक नहीं समझता। मैं यह आशा नहीं करता कि कोई विदेशी इस बैंक के अंशभागों में कुछ विनियोजित करेगा। यदि एक दो करें भी, तो हमें चिन्तित होने का कोई कारण नहीं है। अतः मैं इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

सभापति महोदय द्वारा श्री ए० एम० थामस का संशोधन संख्या १९८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा श्री एस० एल० सक्सेना का संशोधन (संख्या ३०६) मतदान के लिये रखा गया और स्थगित हुआ।

खंड १२–(अनुमोदित प्रतिभूतियां होने वाले अंश भाग)

सभापति महोदय : इस खण्ड के लिये कोई संशोधन नहीं है और मैं इसे सीधे ही सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"खण्ड १२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १३–(अंशधारियों की मुख्य पूंजी)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ ६, पंक्ति ३ में, "shall keep in one or more books a register" ["एक या अधिक पुस्तकों में एक पंजी रखेगा"] शब्दों के स्थान पर "shall keep at its central office a register, in one or more books" ["अपने केन्द्रीय कार्यालय में एक या अधिक पुस्तकों में एक पंजी रखेगा"] शब्द रखे जायें।"

सभापति महोदय : एक और संशोधन संख्या १९९ है, किन्तु श्री मूलचन्द दुबे यहां उपस्थित नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री उनके संशोधन की व्याख्या करना चाहते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : म स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३ में, "shall keep in one or more books

register" ["एक या अधिक पुस्तकों में एक पंजी रखेगा"] शब्दों के स्थान पर "shall keep at its central office a register, in one or more books" ["अपने केन्द्रीय कार्यालय में एक या अधिक पुस्तकों में एक पंजी रखेगा"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १४—(शाखा पंजियां)

सभापति महोदय : श्री मूलचन्द दुबे के नाम में केवल एक संशोधन है, वह यहां अनुपस्थित हैं । अतः मैं यहां खण्ड सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड १४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १५—(पंजी में न लिखे जाने वाले प्रन्यास)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ ६, पंक्ति २५ में, "No notice" ["कोई सूचना नहीं"] के स्थान पर "Notwithstanding anything contained in section 11, no notice" ["धारा ११ में उल्लिखित किसी चीज़ के बावजूद, कोई सूचना नहीं"] शब्द रखे जायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : पृष्ठ ६, पंक्ति २५ में "No notice" ("कोई सूचना नहीं") के स्थान पर "Notwithstanding anything contained in section, 11 "no notice" ["धारा ११ में उल्लिखित किसी चीज़ के बावजूद कोई सूचना नहीं"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १६—(कार्यालय, शाखाएं, और अभिकरण)

निम्नांकित सदस्यों द्वारा निम्न संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री बी० के० दास (कंटाई)	९२
श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक)	९३
श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर)	३०७
श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर)	२
श्री मूलचन्द दुबे	२०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	२७, ९७
श्री आर० डी० मिश्र	९५
श्री साधन गुप्त	९६
श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	२९६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	२८ और २९

श्री ए० एम० थामस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति १४ में "Reserve Bank" ["रक्षित बैंक"] के बाद "and the State Bank" और ["राज्य बैंक"] शब्द रखे जायें ।

सभापति महोदय : ये सब संशोधन सभा के सामने हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : श्रीमान्, मैं ने अपने संशोधन संख्या २९६ में यही बात रखे जाने के लिये कहा था कि प्रत्येक उपखण्डीय मुख्यालय में, भारत के प्रत्येक ज़िले

[श्री एन० बी० चौधरी]

में, एक एक शाखा हो । इस विधेयक का उद्देश्य हमारे गांवों में ऋण की सुविधाओं की व्यवस्था करना है । इसके लिये प्रत्येक कस्बे में एक शाखा का होना आवश्यक है । इस कार्य के लिए पांच वर्ष या इससे भी अधिक समय रखा गया है, पर मैं चाहता हूं कि इस समय प्रत्येक क़स्बे में कम-से-कम एक एक शाखा स्थापित हो जाये ।

सभापति महोदय: पंडित ठाकुर दास भार्गव ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने संशोधन संख्या २७, ९७, २८ तथा २९ रखे हैं । संशोधन संख्या ९७ में मैं ने कहा है कि प्रत्येक क़स्बे में कम-से-कम एक शाखा अवश्य होनी चाहिये । "पांच वर्ष" के स्थान पर मैं "तीन वर्ष" रखना चाहता हूं । वह अंश निकाल दिया जाय जिसमें यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार को समय निश्चित करने का अधिकार होगा ।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन से पता लगता है कि देश की जनता का भला इसी विधेयक से हो सकता है । पांच वर्ष का समय लिया गया है । केवल चार सौ शाखायें और खोलनी हैं । इस प्रकार क़स्बों तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जायेगा । मैं चाहता हूं कि २०० और शाखायें खोली जायें और इस पांच वर्ष के समय को तीन वर्ष कर दिया जाय । सभी लोगों को माननीय मंत्री से आशा है कि यह हमारी इस छोटी सी मांग को स्वीकार करेंगे ।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : इस खण्ड के सम्बन्ध में सर्वाधिक समय को घटाने, मुख्यालय खोलने के स्थान तथा प्रत्येक ज़िले में एक शाखा खोलने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है ।

इस विधेयक के पारित होने पर राज्य सरकारें स्वयं देखेंगी कि किस ज़िले में शाखा की कितनी आवश्यकता है । ४०० शाखायें प्रर्याप्त होगी । मुख्यालय बम्बई में खोलने से क्या लाभ है । जब हम दिल्ली में भारत के रक्षित बैंक का एक भवन यहीं बनवा रहे हैं तो मुख्यालय यहीं होना चाहिये और मुख्य शाखायें बम्बई, मद्रास और कलकत्ते में होनी चाहियें ।

सभापति महोदय : श्री झुनझुनवाला ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर–मध्य) : मैं श्री ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करता हूं । उन्होंने तीन वर्ष का समय रखा है पर मैं समझता हूं कि वह बहुत अधिक है।

श्री मात्तन की दृष्टि कुछ विशेष व्यक्तियों पर गई है । वह सोचते हैं कि उनको छोड़कर अन्य व्यक्ति हैं ही नहीं । यदि आप उन्हें उचित वेतन देंगे तो अवश्य योग्य व्यक्ति प्राप्त हो सकते हैं । मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की बात से सहमत हूं कि सरकार तीन वर्ष का अधिकतम समय स्वीकार कर ले । यदि सरकार इस अवधि में ऋण की सुविधाओं को बढ़ा देती है तो ठीक है । विलम्ब से विकास की प्रगति में बाधा ही उपस्थित होगी ।

श्री बालकृष्णन् (ईरोड–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : इस बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ऋण के लिये सुविधायें देना है । अन्यथा यह केवल नामपरिवर्तन होगा । आप किसानों को ऋण देने का कार्य सहकारी सभाओं को सौंप रहे हैं । किन्तु यह प्रक्रिया बड़ी औपचारपूर्ण और धीमी है किसानों को फ़स्ल बोते तथा काटते दोनों ही समय ऋण की तत्काल आवश्यकता होती है; किन्तु सहकारी संस्थायें स्थापित करने तथा ऋण देने की औपचारिक कार्यवाही में इतना विलम्ब हो जाता है कि किसानों को समय पर उधार नहीं मिल सकता ।

बैंक की पचास प्रतिशत शाखायें गांवों में खोली जानी चाहियें । जिससे कि गांव के लोग उसका लाभ उठा सकें । उधार तत्काल मिलना चाहिये, सरल शर्तों पर मिलना चाहिये और उसकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिये । हम ४०० शाखायें खोलने का विचार कर रहे है किन्तु मेरे विचार से कम-से-कम १,००० शाखायें खोली जानी चाहियें । आशा है, सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

श्री मुहीउद्दीन : मेरा संशोधन संख्या ३०७ है। जिसमें मैं ने यह प्रस्ताव किया है कि खण्ड १६ के उपखण्ड (२) को हटा दिया जाय और उसके स्थान पर यह अंश रखा जाये कि केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय सरकार जहां भी निश्चय करे वहां राज्य बैंक की छः स्थानीय शाखायें खोले। परन्तु राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति से शाखाओं की संख्या बढ़ा भी सकती है।

मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि हम ग्रामीण ऋण के एक नये क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि वहां के स्थानीय बोर्ड, अथवा प्रादेशिक बोर्ड अपने क्षेत्र की स्थानीय स्थिति से भली भांति जानकारी रखें।

इस समय बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में तीन प्रधान कार्यालय तथा कानपुर में एक उप-प्रधान कार्यालय है; किन्तु यदि ग्रामीण ऋण संस्था को प्रभावशाली तथा कुशल सिद्ध होना है तो यह आवश्यक होना चाहिये कि कम-से-कम स्थानीय प्रधान कार्यालयों की संख्या बढ़ा कर छः कर दी जाय जिससे कि ऋण संस्था का कार्य शीघ्रता तथा सुचारु रूप से चल सके। माननीय मंत्री कह सकते हैं कि खण्ड २ में उक्त व्यवस्था की गई है। भविष्य के सम्बन्ध में यह उचित है। किन्तु कार्य के समुचित प्रारम्भ के लिये यह आवश्यक है कि कम-से-कम छः प्रधान कार्यालय खोले जायें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (गया–पश्चिम) : मैं अपने माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह उचित है कि तीन वर्षों की अवधि में सरकार भारत के प्रत्येक उपविभाग में राज्य बैंक की एक शाखा खोल दे। इससे ज्ञात होगा कि सरकार वास्तव में ग्रामीणों को सुविधायें देने को उत्सुक है, अन्यथा तक़ावी की भांति यही होगा कि प्रभावशाली और अधिकार सम्पन्न व्यक्ति जिनकी पहुंच होगी वे ही ऋण प्राप्त कर लेंगे बाकी लोग रह जायेंगे। यह संशोधन वस्तुस्थिति के नित्तांत अनुकूल है तथा सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री टेक चन्द (अम्बाला–शिमला) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का विरोध करता हूं। मेरे इस विरोध के कारण नित्तांत भिन्न हैं। मुझे आशंका है कि गांव के लोग अभी धन का उचित उपयोग करना नहीं जानते। परिणाम यह होगा कि जो धन उनके हाथों में दिया जायेगा उसे वे विनियोग नहीं प्रत्युत उपभोग में व्यय करेंगे। वह धन कभी विकास के कार्यों में प्रयुक्त नहीं होगा।

जब तक शाखा बकों की संख्या सीमित रहेगी तब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा उनका निरीक्षण तथा संचालन कुशलता से होगा तथा वसूली भी तत्काल और सरलता से हो जायगी। किन्तु यदि धन सरलता से दिया जायेगा तो उसका दुरुपयोग करने वालों की संख्या बढ़ेगी। ग्रामीण ऋण सुविधाओं का विकास किसी एक सीमा तक ही अच्छा है। इसका उल्लंघन करने पर राज्य तथा ऋण लेने वाले, दोनों को ही हानि होने की संभावना है।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : मुझे दुःख है कि मेरे हस्तक्षेप करने के कारण कुछ भ्रांति उत्पन्न हो गई है। बैंक की एक हजार शाखायें खोलने के सुझाव का जो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने रखा है, समर्थ करने में, मैं किसी से भी पीछे नहीं हूं। मुझे दुःख है कि निदेश समिति का प्रतिवेदन परिचालित नहीं किया गया जो कि स्वतंत्रता के पश्चात् से प्राप्त होने वाले सभी मसौदों से अच्छा है। भारत के भविष्य का आधार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था है जो इसी प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर निर्भर है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इम्पीरियल बैंक के वर्तमान कर्मचारी

[श्री मात्तन]

इस नई व्यवस्था के अनुकूल सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि ये लोग केवल वाणिज्यिक महाजनी जानते हैं; हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो प्रशिक्षित हों और इस नई व्यवस्था को जानते हों। मेरे हस्तक्षेप करने का यही तात्पर्य था।

इस संशोधन के बारे में मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से पूर्णतया सहमत हूं, परन्तु मेरा सुझाव केवल यह है कि वह २ या ३ वर्ष पर जोर न दें। मुझे आशा है कि रिज़र्व बैंक (रक्षित बैंक) इस प्रतिवेदन को सभा में परिचालित करेगा और मैं सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूं वे इसे पढ़ें। जहां तक श्री टेक चन्द का सम्बन्ध है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इम्पीरियल बैंक की नीति, प्रस्वीकृत प्रतिभूतियों की नीति का अनुकरण करने के बजाये मैं ५० प्रतिशत अग्रिम देयों को हटा देने के बाद अचल सम्पत्ति लेना पसन्द करूंगा। वित्त मंत्री से मेरा कोई विवाद नहीं। इम्पीरियल बैंक के लोगों ने केवल पुराने इम्पीरियल बैंक की नीति को ही समझा है जो राष्ट्र के प्रतिकूल है। श्री अच्युतन ने कहा था कि प्रधान कार्यालय बम्बई से हटाकर दिल्ली लाया जा सकता है। रक्षित बैंक और नवीन राज्य बैंक का एक दूसरे से नीति व कार्य में घनिष्ट सम्बन्ध है। उन दोनों को एक ही स्थान पर रहना चाहिये। इसके लिये बम्बई की अपेक्षा और कोई स्थान अधिक उचित नहीं है। जहां तक प्रादेशिक कार्यालयों को खोलने का प्रश्न है, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में तीन प्रादेशिक कार्यालयों के अतिरिक्त और प्रादेशिक कार्यालय खोलने चाहियें, क्योंकि इन्हीं द्वारा ग्रामीण जनता के जीवन के विकास का पता चल सकता है। इन कार्यालयों के कर्मचारी इम्पीरियल बैंक के न हो कर अन्य उत्तम व्यक्ति अर्थात् जिन लोगों ने ग्रामीण अर्थशास्त्र और सहकारी महाजनी के सिद्धान्तों का अध्ययन किया है, हों। क्योंकि वे कर्मचारी इस काम के लिये ठीक नहीं हैं।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि हम आज भी तीन वर्षों को थोड़ा समय समझते हैं। उदाहरणार्थ, मैं यह बताना चाहता हूं कि १९५० तक चीन में, जबकि मुद्रास्फीति अत्यधिक थी, कोई केन्द्रीय बैंक न था परन्तु वहां की वर्तमान सरकार ने उसी वर्ष एक केन्द्रीय बैंक खोला। विगत पांच वर्षों में उसने ग्रामीण जनता को, कृषि कार्य के लिये छः अरब रुपये दिये हैं जबकि हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में केवल एक अरब रुपये देने का विचार कर रहे हैं। अतः हमें इन तीन वर्षों को थोड़ा समय नहीं समझना चाहिये। मैं जानता हूं कि देश में लाखों शिक्षित व्यक्ति बेकार हैं। क्या हम उन्हें प्रशिक्षण दे कर अपने शाखा कार्यालयों में काम नहीं दे सकते? ऐसा करने से अनेकों शिक्षित व्यक्तियों को काम मिलेगा। यदि हम ग्रामीण उधार की सुविधाओं के लिये कुछ करना चाहते हैं तो हमें यह काम एक या दो या अधिक-से-अधिक तीन वर्षों में करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी और यथासंभव शीघ्रता से इसे कार्यान्वित करेगी।

श्री साधन गुप्त : हमें बताया जाता है कि इस विधयक का उद्देश्य ग्रामीण उधार सुविधाओं की व्यवस्था करना है। फिर भी केवल ४०० शाखा-कार्यालयों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है। परन्तु मैं जानता हूं कि जब शाखा-कार्यालय खोलने का समय आयेगा तब ये शब्द "४०० शाखाओं से कम नहीं" लुप्त हो जायेंगे। दूसरी ओर हमें यह भी बताया जाता है कि भारत में पांच लाख गांव हैं। जब आप पांच लाख गांवों को ग्रामीण उधार सुविधायें देने जा रहे हैं तो यह ४००

संख्या कुछ नहीं है। अतः मैं ने और श्री एन० बी० चौधरी ने क्रमानुसार संशोधन संख्या ९६ व २९६ में देश के प्रत्येक उप-क्षेत्र के मुख्य नगर में शाखा-कार्यालय खोलने की प्रार्थना की है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण जनता उधार लेने के लिये किसी ज़िले में नहीं आती अपितु उप-क्षेत्र के नगर में जाती है। अतः जब तक आप प्रत्येक उपखण्डीय कस्बे में शाखा-कार्यालय नहीं खोलते तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि गांवों वालों को ग्रामीण उधार की सुविधायें मिलेंगी।

उधार सुविधा के अतिरिक्त, यह बात भी स्पष्ट है कि यदि हम अपने विकास के व्ययों को चालू रखना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ बचत प्राप्त करनी होगी। आजकल कदाचित् ही कोई ऐसी संस्था हो जहां ग्रामीण अपनी बचत के पैसे को रख सकें। कुछ असुविधाओं के कारण डाकघर बचत बैंक इस कार्य के लिये सर्वथा बेकार हैं। अतः हमें गांवों में इसके लिये वाणिज्यिक बैंक सुविधायें देनी चाहियें। यदि राज्य बैंक ग्रामीण बचत को प्राप्त करने के लिये शाखा-कार्यालय खोलता है तो मेरा विचार है कि बचत की पर्याप्त राशियां प्राप्त हो जायेंगी बशर्ते कि उचित परिस्थितियां उत्पन्न की जायें। इसी कारण हम प्रत्येक उपखण्डीय कस्बे में शाखा-कार्यालयों का खोला जाना चाहते हैं।

श्री आर० डी० मिश्र : सभापति महोदय, मैं ने दो एमेंडमेंट्स इस क्लाज़ के बारे में मूव की हैं। मेरी पहली एमेंडमेंट जो नं० २ है इसमें लिखा है कि कलकत्ता के आगे दिल्ली इस में और जोड़ दिया जाये। इस एमेंडमेंट का मंशा यह है कि अब जब हम इस ऐक्ट को बना रहे हैं तो तीन आफिसिस के बजाये चार आफिसिस होने चाहियें। इसका खास कारण यह है कि जब रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम देहातों में बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिये तैयार हैं तो जो हिन्दुस्तान का इंटीरियर पार्ट है उसमें इस का एक हैड आफिस न हो यह मेरी समझ में नहीं आता। पहले यहां पर जो तीन प्रेजीडेंसी बैंक्स थे उनको एमेलगमेट कर के यह इम्पीरियल बैंक बनाया गया। उनके तीन हैडक्वार्टर थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में और यह तीनों भारत की सरहद पर वाक्या थे और बाकी के तमाम हिन्दुस्तान के भीतर जो हिस्से हैं उन हिस्सों में इसका कोई बड़ा दफ्तर नहीं था। अब जब हम देहातों में इस बैंक को ले जाना चाहते हैं तो मेरी गुज़ारिश है कि इसका एक हैडक्वार्टर दिल्ली में भी होना चाहिये। यह बात खास तौर पर इसलिये भी ज़रूरी है कि रिज़र्व बैंक का एक हैडक्वार्टर यहां पर है और उसके इस बैंक में ५५ फीसदी हिस्से भी होंगे, इसलिये दिल्ली में कम से कम एक हैडक्वार्टर इसका ज़रूर होना चाहिये। इस हैडक्वार्टर के अलावा अगर आप और कहीं भी हैडक्वार्टर खोलना चाहें तो आप खोलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन एक हैडक्वार्टर दिल्ली में ज़रूर होना चाहिये।

मेरी जो दूसरी एमेंडमेंट है वह है नं० ९५। इस एमेंडमेंट का मंशा यह है कि इस बैंक की एक एक ब्रांच हर एक सब-डिवीज़न में ज़रूर कायम की जाये अलावा ज़िले के हैडक्वार्टर के कि जहां पर इम्पीरियल बैंक की अब तक शाखायें नहीं हैं और यह जो नई ब्रांचिज़ खोली जायें वह उस मौजूदा तादाद से जो इस वक्त है और ४०० ब्रांचिज़ से कम नहीं होनी चाहियें। इसकी एक खास वजह यह है कि सब-डिवीज़नल हैडक्वार्टर गांव के बीच में वाक्या होता है और वहां पर गांव वालों को वह सहूलियतें मिल सकती हैं जो बैंक पहुंचाना चाहता है।

अभी भाई टेकचन्द साहब ने यहां पर कहा कि देहातियों के ऊपर रुपये की जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से रुपया मारा जायगा। उन्हें यह मालूम नहीं कि

[श्री आर० डी० मिश्र]

बैंक का काम किस तरीके से होता है । बैंक में जो रुपया जमा होता है उसमें से ही रुपया दिया जाता है । इम्पीरियल बैंक में जो २११ करोड़ रुपया है वह शेअर होल्डर्स का नहीं है । वह रुपया तो जमा करने वालों का है । जब आप किसी सब डिवीज़नल हैडक्वार्टर पर बैंक खोलेंगे, तो उस इलाके के लोगों के पास जो फालतू रुपया होगा उसको वह उस बैंक में जमा करेंगे, उसको महफूज रखने के लिये और उससे थोड़ा मुनाफा उठाने के लिये । उसी रुपये को वहां के कोआपरेटिव बैंक्स के द्वारा किसानों को दिया जायेगा । उनकी जमानत के लिये तो कोआपरेटिव बैंक्स मौजूद ही रहेंगी । तो जब किसानों को रुपये की ज़रूरत होगी तो उन्हीं का रुपया उनको दे दिया जायेगा । वहां पर व्यापारियों का रुपया नहीं जायगा । अगर गवर्नमेंट अपन रुपया वहां पहुंचावेगी तो उसको भी मुनाफा होगा । इसलिये जरूरत इस बात की है कि हर एक सब डिवीज़न के हैडक्वार्टर पर इस बैंक की एक ब्रांच होनी चाहिये । मेरे ज़िले में चार डिवीज़न हैं । तीन में बैंक मौजूद हैं एक में नहीं है । उस इलाके के लोगों को यह सहूलियत क्यों न पहुंचायी जाये । इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि हर तरफ के गांव वालों के लिये डिवीजन के हैडक्वार्टर पर बैंक कायम किया जाये ताकि उसमें गांव वाले अपना रुपया जमा कर सकें और जो कोआपरेटिव बैंक उस इलाके में कायम हों वे भी उसमें अपना रुपया जमा कर सकें, और उसी में से रुपया ले भी सकें ।

अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो इस रिपोर्ट का होना और इस ऐक्ट का बनाना सब बेकार बातें हो जायेंगी । रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट पर अगर कोई सब से पहला कदम हो सकता है तो वह यही कि हम इस बैंक की देहाती क्षेत्र में ब्रांचिज़ कायम करें और उत्तरी भारत में इसका हैड आफिस दिल्ली में कायम कर दें जैसा कि रिज़र्व बैंक का भी कायम है ।

इतना कह कर मैं अपने दोनों अमेंडमेंट्स को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब मेरे अमेंडमेंट्स को मंजूर कर लेंगे ।

श्री बी० के० दास : मेरा संशोधन बैंक के मुख्यालय के सम्बन्ध में है । बैंक का मुख्यालय इस समय बम्बई और कलकत्ता दोनों स्थानों से कार्य करता है । बम्बई और कलकत्ता वाणिज्यिक महत्व के नगर हैं और राज्य बैंक के बन जाने के बाद इन बैंकों के वाणिज्यिक महत्व में कोई कमी नहीं होने वाली है । इसके अतिरिक्त अब ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी ही शाखायें खुलने वाली हैं । मुख्यालय यदि कलकत्ता में ही रहे तो पूर्वी क्षेत्र की शाखाओं का प्रबन्ध उत्तम रीति से हो सकेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त : जहां तक बैंक के मुख्यालय का सम्बन्ध है वर्तमान व्यवस्था तो यही रही है कि वह छः मास कलकत्ते में और छः मास बम्बई में रहता है । यह प्रबन्ध बहुत अच्छा है इसलिये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इस व्यवस्था में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं ।

श्री ए० सी० गुह : जिन सदस्यों ने इस खण्ड के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किये हैं उन्होंने मुख्यतः मुख्यालय की स्थिति के सम्बन्ध में और इस सम्बन्ध में कि कितनी शाखायें तथा स्थानीय मुख्यालय खोले जायें, जोर दिया है । कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हर तहसील में राज्य बैंक की एक एक शाखा खोली जाये । एक दूसरे माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हर परगने में राज्य बैंक की एक एक शाखा हो ।

तहसीलों की कुल संख्या का तो मैं अनुमान नहीं कर सकता हूं परन्तु मेरा विचार है कि लगभग १४०० या १५०० उप-राज्य-कोष ऐसे होंगे जहां इम्पीरियल बैंक की कोई शाखा नहीं है। इतनी शाखायें इन चार वर्षों में तो खोलना कठिन है परन्तु विधेयक में इतना अवश्य कहा गया है कि जितनी शाखायें नई खोली जायेंगी उनकी संख्या ४०० से कम नहीं होगी। यह संख्या इसलिये निर्धारित की गई है कि १०० ज़िले तथा ३०० परगने के नगर ऐसे हैं जहां के राज्य कोष बैंक का काम नहीं करते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: तो क्या यह काम तीन वर्ष में समाप्त हो जायेगा।

श्री ए० सी० गुह: मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार वास्तव में इस काम को पूरा करना चाहती है और इस बात का प्रयत्न करेगी कि कम से कम समय में अधिक से अधिक शाखायें खोली जायें। कर्मचारियों तथा आवास का इतना अभाव है कि हम इतनी तीव्रगति से शाखायें नहीं खोल सकते हैं।

स्थानीय मुख्यालयों का जहां तक सम्बन्ध है सरकार किसी प्रकार का वचन देने को तो तैयार नहीं है परन्तु सरकार का अभिप्राय इतना अवश्य है कि जल्दी से जल्दी स्थानीय मुख्यालयों की संख्या बढ़ाई जाये। अभी तीन स्थानीय मुख्यालय हैं, हम अपना कार्य उन्हीं से आरम्भ कर रहे हैं परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि इनकी संख्या शीघ्र ही बढ़ा दी जायेगी हो सकता है कि इस कार्य में छः मास का समय लगे या उस से कुछ अधिक। हमें ज्ञात है कि ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने छः स्थानीय मुख्यालयों की सिफारिश की थी।

जहां तक मुख्यालय का सम्बन्ध है, मैं श्री वी० के० दास तथा श्री एस० सी० सामन्त की चिन्ता को अनुभव करता हूं। परन्तु कुछ व्यवहारिक बातें भी हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। छः मास के लिये चलते-फिरते केन्द्रीय कार्यालय को बम्बई में रखना और छः मास के लिये कलकत्ते में रखना जैसा कि अभी होता है इतना सरल नहीं है। रक्षित बैंक का अनुभव यह है कि वर्तमान व्यवस्था ठीक तरह से काम नहीं करती है। पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को चाहे अच्छा न लगे, पर मुझे यह तो कहना ही पड़ेगा कि इस समय वित्तीय गुरुत्वाकर्षण केन्द्र बम्बई में है न कि पूर्वी क्षेत्र में, इसीलिये इस विधेयक में सरकार ने यही विनिश्चय किया है कि मुख्यालय बम्बई में ही रखा जाये।

चूंकि सरकार के लिये इन संशोधनों को स्वीकार करना असंभव है इसलिये, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन वापस ले लें।

श्री ए० एम० थामस: मैं आशा करता हूं कि सरकार को मेरे संशोधन (संख्या २०३) के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री ए० सी० गुह: हम उस संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हैं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए क्या पंडित ठाकुर दास भार्गव चाहते हैं कि मैं उनके संशोधन को मतदान के लिये रखूं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा है उसमें मुझे दृढ़ विश्वास है परन्तु साथ ही मुझे जान पड़ता है कि होता वही है जो श्री देशमुख चाहते हैं।

सभापति महोदय: यदि वह चाहें तो मैं सब संशोधनों पर अलग-अलग मत लूं नहीं तो मैं सब संशोधनों पर एक साथ मत लेने जा रहा हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं अपने संशोधन संख्या २७, ९७, २८ और २९ को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री बी० के० दास : मैं अपना संशोधन संख्या ९२ वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री मुहीउद्दीन : मैं अपना संशोधन संख्या ३०७ वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या ९५ और २ को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा संशोधनों के वापिस लिये जाने की अनुमति प्रदान करती है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस लिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति १४ में शब्द "Reserve Bank" ["रक्षित बैंक"] के बाद शब्द 'and the State Bank" ["और राज्य बैंक"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९३, २०२, २७, ९६, २९६, २८ और २९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १७—(प्रबन्ध)

पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा अपने संशोधन संख्या ९९ और १०० प्रस्तुत किये गये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे द्वितीय संशोधन का कारण स्पष्ट है। इम्पीरियल बैंक का उद्देश्य यह रहा है कि यदि एक पाई भी निकलती हो तो वह भी वसूल की जानी चाहिए। बैंक लगभग १६ प्रतिशत लाभांश देता रहा है। जहां तक सामान्य बैंकिंग सिद्धान्तों का सम्बन्ध है प्रत्येक बैंकिंग संस्था लाभ कमाना चाहती है। लाभ अर्जन ही उन का मुख्य उद्देश्य है। अब जब कि हमने उसे राज्य बैंक के रूप में परिणत किया है तो इसका उद्देश्य केवल लाभ उठाना ही नहीं होना चाहिए।

इस विधेयक के अनुसार लगभग ५५ प्रतिशत अंशों से प्राप्त लाभांश एक विकास निधि बनाने के काम में आयेगा। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। हमने यह भी उबलब्ध किया है कि यह बैंक इस निधि में और अंशदान करे जो समय समय पर रक्षित बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किये जायें। सरकार को यह भली भांति विदित है कि ग्राम्य ऋण की सुविधायें देने से बैंक को प्रायः हानि ही रहेगी उनसे बैंक को कोई लाभ नहीं होगा। श्री टेकचन्द ने ठीक ही कहा है कि गांव वाले अधिक अपव्यय करते हैं। अधिक भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने भी अनेक सुझाव दिये हैं जिनसे उनका खर्च कम हो सके और उनको अपव्यय न करने दिया जाये। मैं उन बातों को मानता हूं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रामवासियों को ऋण की सुविधायें न दी जायें। ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन से ग्राम्यवासियों को बहुत आशायें बंधी हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी प्रत्येक सिफ़ारिश को कार्यान्वित किया जाये। उन लोगों को तो हमें बिना सूद के रुपया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सम्भव है कि कभी कभी मूलधन भी बट्टे खाते में पड़ जाये, परन्तु तो भी हमें उन्हें ऋण सुविधायें देनी चाहियें।

जो लोग ढाई आने या चार आने प्रति दिन कमाते हैं वे सूद के रूप में क्या दे सकते हैं ?

वे तो कई बार मूलधन भी नहीं दे सकेंगे। ऐसी दशा में देहातों में ऋण देने में हमें प्रायः हानि ही होगी। वहां पर व्यापार के सिद्धान्त लागू करने से काम नहीं चलेगा। ग्राम्य ऋण सुविधा में केवल एक सिद्धान्त का अनुसरण किया जाये और वह है लक्ष्य की प्राप्ति। मैंने अपने संशोधन में यह दिया है कि सहकारिता के उद्देश्य को ध्यान में रख कर काम किया जाये। ऐसा न करने से लोक-हित का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। वह तो केवल एक बहाना रह जायेगा।

यदि सरकार वास्तव में इस ओर ध्यान देना चाहती है तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि बैंक दोनों बातें नहीं कर सकता है। वह यह चाहे कि गांवों में ऋण व्यवस्था भी की जाये और उससे खूब लाभ भी उठाया जाये तो यह ठीक नहीं है। गांवों की ओर उसका दृष्टिकोण सहायता और विकास का होना चाहिये उसे इसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिये कि वहां ऋण का प्रबन्ध अच्छा हो सके। मैं ने पहले ही सुझाव दिया है कि इस प्रयोजन के लिये एक डेप्टी गवर्नर नियुक्त किया जाये जिसका सम्बन्ध केवल इसी प्रबन्ध को अच्छा बनाने से हो। उसे बैंक के दूसरे कार्यों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।

राज्य बैंक के उद्देश्य की जैसी भाषा विधेयक में दी गई है उससे सरकार के ऐसे प्रयोजन विदित न हो कर केवल लाभ उठाने का ध्येय स्पष्टतः विदित होता है। यदि लाभ ही उठाना था तो इम्पीरियल बैंक का केवल नाम बदल देने से ही काम चल सकता था। किन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया है, हमारा लक्ष्य दूसरा है। गांवों में ऋण की सुविधायें देने में अभी कुछ वर्षों तक हमें लाभ की बात नहीं करनी चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि इस खण्ड की भाषा म मेरे संशोधन के अनुसार परिवर्तन किया जाये।

सभापति महोदय : ये दोनों संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं श्री ठाकुर दास भार्गव के संशोधनों का समर्थन करता हूं। व्यापारिक सिद्धान्त को लोक-हित से संयुक्त करना कुछ विचित्र सा लगता है। फिर भी जिन लोगों के लिये ऋण-व्यवस्था की जा रही है उनकी आर्थिक दशा की ओर ध्यान देना हमारा कत्तव्य है। श्री टेक चन्द ने अपने भाषण में बताया है कि किसान के पास धन की इतनी कमी है कि उसे जिस उद्देश्य के लिये ऋण दिया जायगा उस धन को वह अन्य कार्यों में व्यय कर सकता है। किसान का खर्च उसकी पैदावार से पूरा नहीं होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वह मूलधन या ऋण को भी व्यय कर देता है। इसलिये यदि हम व्यापारिक सिद्धान्तों के अपनाये जाने पर आग्रह करें तो कृषकों को ऋण ही नहीं मिल पायेगा।

खण्ड १७ (१) तो भारत के इम्पीरियल बैंक अधिनियम की धारा २४ के समान है किन्तु उपखण्ड (२) में अन्तर है। ग्रामवासियों को ऋण देने में बैंक को लाभ नहीं होगा। संभवतः इसीलिये निदेशकों को इस संभावना के सम्बन्ध में सचेत करने के लिये ऐसा उपबन्ध किया गया है।

मैं समझता हूं कि जहां तक ग्राम्य अर्थनीति का सम्बन्ध है हमें ग्राम्य ऋण की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिये कि ग्रामवासियों को अपने परिश्रम तथा उपज का पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिये मैं ने इन संशोधनों का समर्थन किया है।

मैं जानता हूं कि व्यापारिक सिद्धान्त और लोकहित साथ साथ नहीं चला करते। इन में से किसको प्रधानता दी जायेगी इस का उत्तर सरकार को देना चाहिये।

श्री ए० सी० गुह : पंडित ठाकुर दास भार्गव के दोनों संशोधनों से बैंक का कार्य प्रतिबन्धित हो जायगा । यदि वह विधेयक की प्रस्तावना की ओर दष्टिपात करें तो उन्हें विदित होगा कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है । यह स्पष्ट है कि राज्य बैंक, सहकारी संस्थाओं और ग्राम्य ऋण संस्थाओं को यथाशक्ति सहायता देगा । यह प्रस्तावना में दिया हुआ है । अतः इन दो संशोधनों की आवश्यकता नहीं है । मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करता हूं कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां, अवश्य ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९९ तथा १०० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८—(केन्द्रीय बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशन होगा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १९—(केन्द्रीय बोर्ड की संरचना)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ७, पंक्ति ३५ में "Central Government" ["केन्द्रीय सरकार"] शब्दों के पश्चात् "in consultation with the Reserve Bank and" ["रक्षित बैंक की परामर्श से और"] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति ११ तथा १२ में "experience of co-operation and rural economy" ["सहकारिता तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का अनुभव"] शब्दों के स्थान पर "Special Knowledge of the working of co-operative institutions and of rural economy" ["सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के कार्य संचालन का विशेष ज्ञान"] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ८, पंक्ति३ में "five" ["पांच"] के स्थान पर "two and a half" ["ढाई"] शब्द रखा जाये ।

श्री ए० एम० थामस ने अपने संशोधन संख्या २०५ तथा २०७ प्रस्तुत किये ।

श्री ए० एम० थामस : दो प्रबन्ध निदेशकों से राज्य बैंक की कार्यप्रणाली मेरे विचार से सुचारु रूप से नहीं चल सकती है । इस सम्बन्ध में यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि एक निदेशक ग्राम्य कार्यप्रणाली को देखेगा तथा दूसरा वाणिज्यिक कार्यप्रणाली को । परन्तु मेरे विचार से एक प्रबन्ध निदेशक तथा दूसरा उप-प्रबन्ध निदेशक होना चाहिये । दोनों में से एक ग्राम्य कार्यप्रणाली का निदेशन करे तथा दूसरा वाणिज्यिक कार्यप्रणाली का । नीति के आधार पर भी हमें यह भेद रखना ठीक नहीं है । केन्द्रीय नियंत्रण आवश्यक है तथा यदि दो प्रबन्ध निदेशक होंगे तो यह संभव होगा कि कभी कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये । भारत के राज्य बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की संरचना के सम्बन्ध म गोरवाला समिति ने कहा है कि "भारत के राज्य बैंक में १६ निदेशक

हो सकते हैं। केन्द्रीय बोर्ड की सिफ़ारिश पर सरकार द्वारा पदेन प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति की जायेगी तथा केन्द्रीय बोर्ड की सिफ़ारिश पर सरकार एक उप-प्रबन्ध निदेशक को अथवा कई उप-प्रबन्ध निदेशक होने की दशा में वरिष्ठतम उप-प्रबन्ध निदेशक की केन्द्रीय बोर्ड में पदेन नियुक्ति की जाये ।"

इस प्रकार की सिफ़ारिशों के अनुसार, यदि उप-प्रबन्ध निदेशक भी बोर्ड का सदस्य होगा तो उसको मतदान का अधिकार होगा। इसलिये मेरे विचार से दो उप-प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति होनी चाहिये ।

खण्ड १९ के उपखण्ड (घ) में दिया है कि रिज़र्व बैंक की मंत्रणा से केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन ८ निदेशकों की नियुक्ति की जायेगी उनमें कम से कम दो को सहकारी तथा ग्राम्य अर्थ व्यवस्था का अनुभव होना चाहिये तथा शेष को वाणिज्य उद्योग बैंकिंग अथवा वित्त का अनुभव होना चाहिये। परन्तु सामान्यतः होता यह है कि जिन व्यक्तियों को केवल सैद्धान्तिक ज्ञान होता है उनको नियुक्त किया जाता है। इसलिये मैं "व्यवहारिक" शब्द रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : सरकारी संशोधन में यह व्यवस्था रख दी गई है।

श्री ए० एम० थामस : उसमें शब्द "कार्यकरण" आ जाने से मेरे विचार से "व्यवहारिक अनुभव" भी आ जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन संख्या १०९, ११०, १११ तथा ११४ प्रस्तुत किये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे संशोधन पृष्ठ ८ पर ८ निदेशकों के उपबन्ध के सम्बन्ध में हैं। उसमें दिया हुआ है कि उनमें से दो को सहकारिता तथा ग्राम्य अर्थ व्यवस्था का अनुभव होना चाहिये। अब सरकार ने संशोधन के द्वारा इन शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दिया है, परन्तु मेरी शिकायत इस सम्बन्ध में यह है कि इस अनुभव वाले कितने व्यक्ति होने चाहियें। मेरे विचार से इनकी संख्या दो से अधिक होनी चाहिये क्योंकि वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अनुभव के बहुत से व्यक्ति इम्पीरियल बैंक में होंगे। इसीलिये मेरा सुझाव है कि ८ निदेशकों में से ६ इस अर्हता के होने चाहियें, परन्तु यदि यह संख्या अधिक प्रतीत हो तो बराबर अर्थात् चार-चार दोनों प्रकार की अर्हता के होने चाहियें। इसके अतिरिक्त मैं "अथवा वित्त" के स्थान पर "वित्त अथवा श्रम समस्याओं" शब्द रखना चाहता हूं। क्योंकि इस प्रतिवेदन के अन्तर्गत श्रमिक तथा दस्तकार भी आते हैं। इसलिये यदि इस प्रकार का अनुभव रखने वाले निदेशकों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो उद्योग तथा वाणिज्य की बढ़ौत्तरी ही होगी। होना तो यह चाहिये था कि सभी निदेशकों को सभी प्रकार का अनुभव होता, परन्तु यदि इस प्रकार के व्यक्ति अप्राप्य हों तो ग्राम्य क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिये क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या कम नहीं है।

मेरा एक संशोधन संख्या ११४ है, जिसके अनुसार मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्थानीय मुख्य कार्यालय के सचिव को, जो पदेन निदेशक भी होगा, मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि स्थानीय बोर्डों के इन सचिवों को कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये बुलाया जाये, चाहे इन्हें मतदान में भाग लेने का अधिकार न भी हो। कारण यह है कि ये सभी व्यक्ति स्थानीय विषयों से परिचित होंगे और संपूर्ण व्यापार के भारसाधक होंगे। मैं चाहता हूं कि उनके अनुभव से लाभ उठाया जाये। जब तक सचिवों का व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध न होगा, ये चर्चायें निरर्थक रहेंगी। मैं इस बात के लिये चिन्तित हूं कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वे संगठन के एक भाग हों और चर्चा के समय प्रत्येक स्थानीय मुख्य कार्यालय को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ।

सभापति महोदय : ये सभी संशोधन अब सभा के समक्ष हैं ।

इसके पश्चात् श्री एस० एल० सक्सेना ने अपना संशोधन (संख्या ३०९) प्रस्तुत किया।

श्री एस० एल० सक्सेना : माननीय श्रम मंत्री ने अनेक बार यह कहा था कि श्रम भी उद्योग में बराबरी का साझेदार होना चाहिये। मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में यह पहला प्रमुख विधेयक है और ऐसे विधेयक में हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि श्रम और पूंजी को प्रबन्ध में बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। २० निदेशकों में से १४ सरकार द्वारा नामनिर्देशित हैं। शेष ६ निदेशक अंशधारियों द्वारा अर्थात् पूंजी और उद्योग द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। मेरा सुझाव है कि हम अब इस सिद्धान्त को लागू करना प्रारम्भ करें कि औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रम को पूंजी के साथ बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। अतः मैंने यह कहा था कि राज्य बैंक के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ६ निदेशक होने चाहियें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन से पढ़ कर बताया है कि इस बैंक को श्रम और ग्रामीण जनसंख्या को ऋण देने के सम्बन्ध में बहुत कुछ करना होगा, वह भी मेरे दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। यदि ये लोग वहां रहेंगे, तो वे न केवल व्यवहारिक कठिनाइयों को ही बता सकेंगे बल्कि ऋण चाहने वाली ग्रामीण जनता और श्रम की समस्याओं को सुलझाने में सहायता देंगे।

विशेषकर बैंक प्रणाली के सम्बन्ध में, हम देखते हैं कि गत छः-सात वर्षों से एक बड़ा औद्योगिक विवाद चल रहा है। इससे स्पष्ट है कि हमारे बैंक-उद्योग में सुधार की कितनी आवश्यकता है। यदि हम कर्मचारियों के व्यावहारिक अनुभव और ज्ञान से लाभ उठायें और उन्हें पूंजी के साथ साझेदार समझें, तो इससे बहुत लाभ होगा। हम इस प्रयोग को यहीं से प्रारम्भ करें और इस का उपबन्ध करें कि कर्मचारियों की ओर से निदेशक निर्वाचित किये जायें। इससे औद्योगिक विवाद दूर होंगे और उद्योगों के कार्यकरण में सहायता मिलेगी। आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे।

तत्पश्चात् श्री एस० वी० रामस्वामी ने अपना संशोधन संख्या ३०८ प्रस्तुत किया।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि इम्पीरियल बैंक को गांवों तक पहुंचाया जाय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाय और सहकारी समितियों और सहकारी संस्थाओं से काम लिया जाये और उनका विस्तार किया जाये। अतः मेरा यह निवेदन है कि सहकारिता का अनुभव रखने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और बढ़ायी जाये। विधेयक के उपबन्धों से यह दिखायी पड़ता है कि निदेशक बोर्ड में २० व्यक्तियों में से १२ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के नहीं होंगे। शेष आठ में से यदि केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हों जिन्हें सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अनुभव हो तो यह संख्या बहुत अपर्याप्त है। अतः मैं चाहता हूं कि यह संख्या चार से कम न हो जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ।

इसके पश्चात् श्री साधन गुप्त ने अपने संशोधन संख्या ३१, ३२, ३४, ३९, ११५ प्रस्तुत किये ।

श्री साधन गुप्त : खण्ड १९ में हम यह पाते हैं कि सरकार की ओर से समाजवादी

ढंग के वचन के अनपेक्ष एक ओर निजी क्षेत्र को खूब महत्व दिया गया है और दूसरी ओर बैंक कर्मचारियों के दावों की उपेक्षा की गयी है। आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय श्रम मंत्री ने श्रम को प्रबन्ध के साथ संबद्ध करने का आश्वासन दिया था। अतः इसी संस्था से इसका श्रीगणेश क्यों नहीं किया जाता है? दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि प्रत्येक उपबन्ध इस प्रकार बनाया गया है कि बड़े बड़े व्यापारी पिछले दरवाज़े से आ सकते हैं। अंशधारियों के छः प्रतिनिधि हैं और आठ प्रतिनिधियों में से अधिकतर बड़े व्यापारियों का समर्थन करेंगे। किन्तु क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन देंगे कि सरकार इन आठ निदेशकों को नाम-निर्देशित करने में किसी हालत में भी बड़े व्यापारियों को या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो बड़े व्यापारियों से सम्बद्ध हो, नामनिर्देशित नहीं करेगी? मैं माननीय मंत्री से इस विषय में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। इसीलिये मैंने अपने संशोधन में इस दोष को दूर करन का सुझाव दिया है। मेरे संशोधन संख्या ३१ द्वारा अंश-धारियों के निर्देशकों की संख्या ६ से घटा कर एक कर दी गयी है। बड़े व्यापारियों के प्रभुत्व को कम करने और कर्मचारियों को कुछ प्रतिनिधित्व देने के लिये यह कमी करना आवश्यक है।

संशोधन संख्या ३२ उस परन्तुक को निकाल देने के लिय है जिससे सरकार को किसी विशिष्ट शाखा में निर्धारित अधि-सम्पत्ति के कम होने की दशा में नामनिर्देशित करने की अनुमति प्राप्त है। अतः संशोधन संख्या ३१ और ३२ का यही उद्देश्य है।

कर्मचारियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिये, मैं ने यह उपबन्ध भी रखा है कि सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले विशेषज्ञों के अभ्यंश में से दो निदेशक निकाल दिये जायें। अतः संशोधन संख्या ३४ द्वारा उनकी संख्या ६ कर दी गयी है।

संशोधन संख्या ३९ द्वारा में एक उपखण्ड (छ) जोड़ना चाहता हूं जिसमें यह उपबन्ध है कि निर्धारित रीति के अनुसार कर्मचारियों द्वारा सात निदेशक निर्वाचित किये जायें। निर्धारित रीति से मेरा तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाय जाने वाले नियमों के अनुसार उनका निर्वाचन किया जायेगा। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि इस अधिनियम के क्षेत्र में निर्वाचनों की प्रत्येक विस्तृत प्रक्रिया का उपबन्ध किया जाना वांछनीय नहीं था। इसीलिये मैं ने यह कहा है कि निर्वाचन निर्धारित रीति से होना चाहिये। मेरे संशोधन संख्या ३९ का यही उद्देश्य है।

संशोधन संख्या ११५ में मैं ने यह उपबन्ध रखा है कि जब कभी सरकार सभापति अथवा उपसभापति नियुक्त करे अथवा खण्ड (क) या खण्ड (ङ) के अधीन निदेशक नामनिर्देशित करे, तो उस आदेश का संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा। कारण यह है कि इस बात का खतरा है कि बड़े व्यापारी नामनिर्देशित निदेशकों अथवा विशेषज्ञ निदेशकों के ज़रिये अपना हित साधन करेंगे अथवा यह भी खतरा है कि सरकार द्वारा उन लोगों को नामनिर्देशित किया जाये जो इस बड़ी संस्था में बड़े बड़े व्यापारियों का हित साधन करें। अतः इस संशोधन संख्या ११५ में यह उपबन्ध रखा गया है कि वे आदेश संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जायेंगे। इस प्रकार हमें उन नामनिर्देशनों और नियु-क्तियों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसी कारण मैं सिफारिश करता हूं कि मेरे संशोधन स्वीकार किये जायें।

श्री अच्युतन ने अपना संशोधन संख्या २०८ प्रस्तुत किया।

श्री अच्युतन . द्वितीय पंच वर्षीय योजना प्रारम्भ होने को है। यह घोषणा कर दी गई है कि सभी प्रकार के उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

[श्री अच्युतन]

किया जायेगा । प्रत्येक उस देश में जिन्होंने आर्थिक कार्यक्रम बनाये हैं योजना आयोग होने ही चाहियें । आयोजन की आवश्यकता कब तक रहेगी यह कोई नहीं कह सकता है । योजना आयोग का कार्य देश की गतिविधियों का समन्वय करना, कृषि, उद्योग, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र, इत्यादि सभी की गतिविधियों का समन्वय करना होगा । अतः मेरा निवेदन यह है कि उसमें एक ऐसा संचालक होना चाहिये जो देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने में समर्थ हो और जो कृषि, कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की अभिवृद्धि के लिये अपेक्षित ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की जानकारी रखता हो । ऐसा संचालक रखा जाना वांछनीय है जिस से कि बोर्ड को विशेषज्ञ परामर्श मिलता रहे ।

इस सुझाव को हमें ठुकरा नहीं देना चाहिये, अपितु इस पर विचार करना चाहिये । इससे हमारे योजना कार्यक्रम में कोई बाधा पड़ने की संभावना नहीं है ।

सभापति महोदय : योजना आयोग केन्द्रीय सरकार का एक अंग है । अतः केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है ।

श्री अच्युतन : केन्द्रीय सरकार द्वारा एक संचालक नामनिर्देशित किया जाता है । यदि उसका चुनाव योजना आयोग में से किया जायेगा तो आयोग उसे समस्त आवश्यक सूचना दे कर सूचित करता रहेगा और वह उस सूचना को केन्द्रीय बोर्ड को दे देगा । यही संस्था देश के समस्त आर्थिक ढांचे को नियंत्रित करने को है अतः यह वांछनीय है कि योजना आयोग द्वारा नामनिर्देशित किसी संचालक को रखा जाये ।

सभापति महोदय : यह सभी संशोधन सभा के समक्ष है ।

श्री मात्तन : मैं अपने मित्र श्री थामस के संशोधन संख्या २०५ का विरोध करता हूं, जिसमें वे प्रबन्धक निदेशकों की संख्या २ से घटा कर एक कर देना चाहते हैं । मेरे मित्र संभवतः एक बात भूल गये हैं कि अब हम निदेश समिति के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप चल रहे हैं जिसका विकास करना और उसे प्राथमिकता एवं महत्व देना आवश्यक है । इसी कारण इसकी सिफारिश की गई है और वह वहीं तक लागू होती है जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है ।

श्री ए० एम० थामस : नहीं, नहीं ।

श्री मात्तन : मैं इसकी मूल भावना के सम्बन्ध में कह रहा हूं । सभापति और उपसभापति हैं ही यदि हम एक प्रबन्धक निदेशक रखते हैं तो उसे ही नियुक्त करना पड़ेगा जो इम्पीरियल बैंक का प्रबन्धक निदेशक रहा है, हमारा उद्देश्य शहरी बैंकिंग और ग्रामीण बैंकिंग को दो विभागों के रूप में अलग-अलग चलाने का है । इस कारण उस व्यक्ति का पद भी बैंकिंग के वाणिज्यिक पक्ष के देखने वाले व्यक्ति के पद के बराबर का होना चाहिये । मैं ग्रामीण बैंकिंग को अधिक महत्व देना चाहता हूं । एक ही व्यक्ति दोनों प्रकार के कार्य उचित रूप से नहीं कर सकेगा । इसलिये मैं उसकी महत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देना चाहता ।

श्री ए० एम० थामस : रक्षित बैंक बोर्ड की रचना किस प्रकार की है ?

श्री मात्तन : मेरे मित्र की यही गल्ती है क्योंकि रक्षित बैंक इससे बिल्कुल भिन्न है । बैंकिंग रक्षित बैंक की अन्य कार्यवाहियों में से केवल एक कार्यवाही है । वह इस देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रा और विदेशी विनिमय आदि का प्रभारी है । यह बिलकुल भिन्न बात है । एक सभापति पूर्णकालिक हो सकता है ।

दो समान श्रेणी के प्रबन्धक निदेशक होंगे—एक वाणिज्यिक पक्ष की देख-भाल करने के लिये और दूसरा ग्रामीण पक्ष की देख-भाल करने के लिये । इस ग्रामीण पक्ष के महत्व में मैं किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहता । इसके पश्चात् बोर्ड का एक सभापति और एक उप-सभापति होगा । दो प्रबन्धक निदेशकों के होते हुए भी सभापति पूरे समय के लिये रखा जा सकता है । मैं ग्रामीण बैंक सम्बन्धी कार्य कर चुका हूं इसलिये मुझे इस कार्य का अनुभव है ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस विषय की व्याख्या करेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : अन्तिम वक्ता की प्रथम बात से मैं बहुत कुछ सहमत हूं । वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये दोनों विभाग समान महत्व रखते हैं । मैं मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक व्यवस्था करना अब अधिक महत्व रखता है । यदि ऐसा न होता तो सम्भवतः इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ही न पड़ी होती । विशेषज्ञों द्वारा की गई एक जांच के कारण ही हमें पता लगा कि विद्यमान व्यवस्था के अधीन ग्रामीण बैंकिंग का विस्तार नहीं हो सका, इसलिये उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार ही हम ने यह विधान प्रस्तुत किया है । जिस माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि संशोधन का निर्देश रक्षित बैंक से था, वह "उप" शब्द से बहक गये हैं । वास्तव में गवर्नर के अधीन दो उप-गवर्नर होते हैं—एक कृषि सम्बन्धी ऋण का प्रभारी और दूसरा बैंकिंग का प्रभारी होता है । सामान्यतः इन दोनों के कार्य मिलाये नहीं जाते । बहुधा होता यही है कि एक धन के पक्ष की देख-भाल करता है और दूसरा कृषि सम्बन्धी ऋण की ओर । यहां व्यवस्था ऐसी है कि एक सभापति होगा, एक उप-सभापति और दो प्रबन्धक निदेशक । माननीय सदस्य द्वारा रखा गया प्रस्ताव उचित नहीं रहेगा यदि उपप्रबन्धक निदेशक के मन में, जिस पर इस नये विभाग के संगठन का उत्तरदायित्व होगा, हीनता की भावना आ गई । प्रबन्ध संचालक वाणिज्य सम्बन्धी व्यापार को देखेगा । वह इसकी देखभाल करता रहा है । हम आशा यह करते हैं कि हम एक ऐसा प्रबन्धक निदेशक रखेंगे जो इस विभाग की देख-रेख करता रहेगा । यह कार्य अधिक कष्टदायक नहीं हो सकता है क्योंकि वह तो चलाये हुए कार्य को चलाने के सम्बन्ध में होगा । किन्तु यह दूसरा कार्य अधिक महत्व का है । यदि हम इस समय इसमें असफल रहे तो सदा ही असफल रहेंगे । अतः उसको भी पर्याप्त शक्ति दी जानी चाहिये । इसको निश्चित रूप तभी दिया जा सकेगा यदि उसको भी उतनी ही सह-शक्ति होगी और उसका पद प्रबन्धक निदेशक के बराबर का होगा ।

अगली बात विशेषज्ञों के सम्बन्ध में है । जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, दो विशेषज्ञ न्यूनतम होंगे । इसमें केवल दो हित अर्थात् सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा वाणिज्य और उद्योग नहीं हैं । तीसरा एक और महत्वपूर्ण हित है जिसे प्रादेशिक वितरण कहते हैं । हो सकता है कि जिन क्षेत्रों के लोगों के अधिकांश अंश होंगे, उनसे हमें सभी प्रकार के लोग मिल सकेंगे, चाहे सहकारिता हो, चाहे वाणिज्य या बैंकिंग आदि । फिर भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों के प्रतिनिधि हमें न मिल सकें । मेरे विचार से यह बड़ा महत्व का विषय है और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में आ जायें । हमें स्मरण रखना चाहिये कि उन क्षेत्रों में ऋण की व्यवस्था करने में अधिक कठिनाइयां आयेंगी जिन से संभवतया किसी कारणवश निदेशक नहीं भेज सकें । अतः इस प्रकार का लचीला रूप रखना सर्वोत्तम होगा ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

सदन को सरकार पर विश्वास रखना चाहिये कि यदि इन उपायों में से किसी एक उपाय के द्वारा सहकारिता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो सरकार सुनिश्चय करेगी कि उसके दो से अधिक प्रतिनिधि बोर्ड में ले लिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि जहां तक विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व करने का प्रश्न है उनके लिये इस मामले में इतना विश्वास करना न्यायोचित होगा क्योंकि सही मार्ग अपनाने से कोई भी विधि हमें रोक नहीं सकती।

श्री अच्युतन ने कहा कि इसमें योजना आयोग का एक निदेशक होना चाहिये। जैसा कि आपने स्वयं कहा योजना आयोग सरकार का एक परामर्शदात्री अंग है। पांच विद्यमान सदस्यों में से तीन सरकार की ओर से हैं; प्रधान मंत्री सभापति हैं और वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त दो सदस्य और हैं। पता नहीं योजना आयोग द्वारा एक ऐसे काम के किये जाने से, जिससे उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, और दूसरा क्या परिणाम निकल सकता है। यह ठीक है कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो कुछ भी होता है वह उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाता है। उनका मुख्य कार्य आर्थिक विकास के लिये योजनायें बनाना होता है। ये विषय उनके लिये गौण हैं। चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन हो या ऋण के संगठन अथवा सहयोग के संगठन का प्रश्न हो—ये ऐसे मामले हैं जिन पर व्यवहारिक क्रियान्विति के सम्बन्ध में वे हमें सिद्धान्त बताते हैं और हमारा पथनिर्देश करते हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उस काम को क्रियान्वित करने वाले वास्तविक अभिकरणों में लोगों को नाम-निर्देशित करने में उनका हाथ हो। मैं समझता हूं कि योजना आयोग को यह विशेष कार्य सौंपने से कोई लाभ नहीं होगा। योजना आयोग में माननीय सदस्य का विश्वास अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। मैं समझता हूं कि यद्यपि उनका सुझाव सद्भावनापूर्ण है, परन्तु वह युक्तिसंगत नहीं है।

अब एक ही महत्वपूर्ण विषय बच जाता है और वह है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तथा सभी आनुषंगिक संशोधन। विपक्षी दल के कुछ सदस्य प्रत्येक विषय और अवसर पर अपना पुराना राग अलापते रहते हैं। ऐसे भी अवसर आते हैं जब कि उन पर उचित रूप से चर्चा होनी चाहिये। निस्सन्देह ये अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हैं और अभी मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये या नहीं और यदि हां, तो किस विशिष्ट ढंग से—सामान्य रूप से औद्योगिक उपक्रमों पर और उन उपक्रमों पर जो विशेष रूप से सरकार के आधिपत्य में हैं। यह एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर उपयुक्त अवसर पर इस सदन में चर्चा होने की आवश्यकता है। उस विषय के अनेक पहलू होंगे और इस प्रकार के एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त को एक अकेले संशोधन के द्वारा स्वीकार नहीं कराया जा सकता है। इस विषय पर बाद में भली प्रकार सोच विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि गैर-सरकारी उद्योग में अभी यह सिद्धान्त स्वीकृत नहीं हुआ है कि निदेशालय में श्रमिकों को स्थान मिलना चाहिये क्योंकि उसमें कई झंझटें हैं। एक ऐसी संस्था को ले लीजिये जिसका पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकरण हो चुका हो। वहां पर अंशधारियों और श्रमिकों के बीच पसन्द का सवाल नहीं उठता। वहां पर तो समाज और श्रमिकों का प्रश्न होता है। सरकार द्वारा नामनिर्देशित समाज के प्रतिनिधियों को हटा कर उनके स्थान पर कर्मचारियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को किस विशेष कारण से रखा जाये? यह एक पेचीदा बात है और मैं

समझता हूं कि वर्तमान अवस्था में इस प्रकार के किसी भी संशोधन को स्वीकार करना उचित नहीं होगा। जब तक कि हम कोई संतोषजनक हल न ढूंढ लें तब तक हमें स्थिति को ज्यों का त्यों बनाये रखना चाहिये। इस मामले में मेरी कोई पूर्वनिश्चित धारणा नहीं है। माननीय सदस्यों के तर्कों पर हम विचार कर सकते हैं।

हम से यह आश्वासन मांगा गया कि निदेशकगण बड़े उद्योग के प्रतिनिधि नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने का विचार नहीं कर रहे हैं। हम एक और संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके अनुसार इसकी एक निश्चित सीमा होगी कि बैंक में किसी भी व्यक्ति के अधिक से अधिक कितने अंश हो सकते हैं। हमारा विचार २०० अंशों की सीमा निश्चित करने का है।

श्री एस० एस० मोरे : हम इस संशोधन को पारित कर चुके हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : खेद है कि उस समय मैं यहां नहीं था। अतः इससे मेरे इस तर्क की पुष्टि होती है कि बड़े और छोटे व्यापार जैसी कोई चीजें नहीं हैं। हमारा विचार उन उद्देश्यों की पूर्ति करना है, जिन से प्रेरित हो कर हम यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं और सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना है। बड़े और छोटे व्यापार का विभेद एक गलत धारणा है। यही कारण है कि मैं इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधनों का विरोध कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या २७१, २७२ और ३२१ को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३५ में "Central Government" [केन्द्रीय सरकार"] शब्दों के पश्चात् "in consultation with the Reserve Bank and "]रक्षित बैंक के परामर्श से और"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ ८, पंक्ति ११ और १२ में "experience of Co-operation and rural economy" ["सहकारिता और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का अनुभव"] शब्दों के स्थान पर "special knowledge of the working ofco-operative institution and of rural economy" ["सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कार्य संचालन का विशेष ज्ञान"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ ८, पंक्ति ३ में, "Five" ["पांच"] के स्थान पर "two and a half" ["ढाई"] शब्द रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधन संख्या २०५, २०७, ३०८ और २०८ सम्बन्धित सदस्यों द्वारा सदन की अनुमति से वापिस लिये गये।

श्री एस० एल० सक्सेना : मेरा संशोधन संख्या ३०९ अलग से रखा जाये।

श्री साधन गुप्त : मेरा संशोधन संख्या ३९ भी।

श्री एस० एल० सक्सेना : अब संशोधन संख्या ३०६ और ३०४ पर भी मत ले लिया जाय।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३०९ मतदान के लिये रखा गया। पक्ष में केवल १७ सदस्य थे और विपक्ष में अनेक; अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३१, ३२, ३४, ३६, ११५, १०६, ११०, १११, और ११४ भी मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३०४ मतदान के लिये रखा गया ; पक्ष में केवल १५ सदस्य थे और विपक्ष में बहुत से; अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३०६ मतदान के लिय रखा गया; पक्ष में १६ सदस्य थे और विपक्ष में अनेक; अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड २०—(सभापति, प्रबन्ध-निदेशक आदि की पदावधि)

श्री साधन गुप्त द्वारा अपने संशोधन संख्या ११६, ११७, ११८ और १२२ प्रस्तुत किये गये ।

श्री साधन गुप्त : मेरे पहले तीन संशोधन यह चाहते हैं कि एक बार निवत्ति-प्राप्त निदेशक दुबारा न रख जा सकें । मेरा संशोधन संख्या १२२ सभापति आदि के दुबारा चुने जाने के बीच पांच वर्ष के समय की व्यवस्था करना चाहता है । मेरा लक्ष्य यही है कि निहित स्वार्थ सदैव इस संस्था के ऊपर हावी न बनें रहें । अतः मैं सदन से इन संशोधनों को स्वीकार कर लेने का अनुरोध करता हूं ।

श्री ए० सी० गुह : सभापति और उपसभापति की पुनर्नियुक्ति की संभावना के ऊपर यह बन्धन हमें स्वीकार नहीं है । कुछ अवसरों पर उन्हें पुनः नियुक्त करना आवश्यक हो सकता है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११६, ११७, ११८ और १२२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २० विधेयक का अंग बन।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २१—(स्थानीय बोर्ड और स्थानीय समितियां)

श्री ए० एम० थामस द्वारा अपने संशोधन संख्या २१३ प्रस्तुत किया गया ।

श्री ए० एम० थामस : मैं समझता हूं कि रक्षित बैंक के स्थानीय बोर्डों के आधार पर स्थानी बोर्डों की स्थापना करने का विचार है जिस से कि प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थानीय बोर्ड और एक स्थानीय मुख्यालय हो जाये । जब हम उस क्षेत्र की स्थानीय समिति बनावें तो उचित यह होगा कि उस क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड को भी स्थानीय समिति की रचना करने में अधिकार दिया जाये । जब ऐसे साधारण मामले में भी स्थानीय बोर्ड को शक्ति नहीं दी जायेगी तो स्थानीय बोर्ड का मान

ही क्या रहेगा। इसलिये कम से कम स्थानीय बोर्ड से परामर्श लिया जाये। म आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकर कर लेगी ।

श्री साधन गुप्त ने अपने संशोधन संख्या १२३ और १२६ प्रस्तुत किये।

श्री साधन गुप्त : मैं ने दो संशोधन रखे हैं और मेरा विचार है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर ध्यान देते हुए सरकार के लिये यह दोनों ही संशोधन आपत्ति-जनक होंगे, क्योंकि कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का जहां तक प्रश्न है सरकार का एक विचित्र दृष्टिकोण है कि जो लोग छोटे छोटे वेतनों पर काम करने के लिये आते हैं वे इस योग्य नहीं होते हैं कि जिस संस्था में वे काम करते हैं उस के कार्यों में भाग लें या उस के प्रबन्ध में प्रतिनिधि के रूप में भाग लें। इसलिये मैं ने ये संशोधन रखा है कि स्थानीय बोर्डों में कर्मचारियों के अधिक से अधिक दस प्रतिनिधि हों जैसा कि विहित किया जाये ।

स्थानीय समितियों का जहां तक सम्बन्ध है मेरा सुझाव यह है कि सरकार सदस्यों की संख्या निर्धारित करे परन्तु इस प्रकार कि कम से कम इन में से एक तिहाई सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो जाये। इम्पीरियल बैंक कर्मचारी संस्था ने भी यही मांग रखी है इसलिये मेरे विचार से यह सुझाव बहुत ही तर्क संगत है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "पृष्ठ ९, पंक्ति ३३ में, "by regulations made by it" ["उस के द्वारा बनाये विनियमों के द्वारा"] शब्द हटा दिये जायें ।

'विहित' शब्द की परिभाषा खंड २ (ङ) में दी हुई है इसलिये इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ए० सी० गुह : हम इस संशोधन को स्वीकार करते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपना संशोधन संख्या १२५ प्रस्तुत किया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि यह सच है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है तो इन संशोधनों को युक्तसंगत समझा जाना चाहिये।

मरा एक संशोधन संचालकों के सम्बन्ध में यह है कि कम से कम उन में से चार ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तथा सहकारी आंदोलन से भली प्रकार परिचित हों। ग्रामों के हितों को कम से कम आधा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। यदि सरकार वास्तव में ग्राम ऋण सुविधाओं का विस्तार करना चाहती है तो सरकार को मेरे उन संशोधनों को जो युक्तिसंगत है, स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री एस० एल० सक्सेना ने अपना संशोधन संख्या ३११ प्रस्तुत किया ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मेरा सुझाव यह है कि जितने संचालक अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये रखे गये हैं उतने ही कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये रखे जायें ।

ये राष्ट्रीय उपक्रम हैं जो राज्य द्वारा अपने अधिकार में लिये जा रहे हैं और मैं समझता था कि कम से कम इन में तो कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का अधिकार स्वीकार किया जायेगा। बाद में गैर-सरकारी उपक्रमों में भी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संचालकों की व्यवस्था की जा सकती है। सरकारी उपक्रमों से कम से

[श्री एस० एल० सक्सेना]

कम श्री गणेश किया जा सकता है । ऐसा न करने का कोई कारण समझ में नहीं आता है । अंशधारियों के प्रतिनिधियों के रूप में बड़े बड़े पूंजीपति आ सकते हैं । कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध होते हुए भी यदि माननीय मंत्री कह सकते हैं कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता है तो यह वास्तव में बहुत ही आपत्ति-जनक है तथा आवड़ी संकल्प के विरुद्ध है । यदि कांग्रेस का समाजवादी ढंग का समाज ऐसा ही होने जा रहा है तो एसे समाज से हमें भगवान ही बचाये ।

सभापति महोदय : अब यह सब संशोधन सभा के समक्ष है ।

श्री ए० एम० थामस : स्थानीय समिति सम्बन्धी मेरे संशोधन के विरुद्ध वास्तव में आपत्ति क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : स्थानीय समिति के कृत्य कुछ और होंगे और स्थानीय बोर्डों के कृत्य कुछ और । हमारा अभिप्राय दोनों निकायों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखने का है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३३ में, "by regulations made by it" ["उस के द्वारा बनाये गये विनियमों के द्वारा"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा श्री ए० एम० थामस का संशोधन संख्या २१३ तथा श्री एस० एल० सक्सेना का संशोधन संख्या ३११ पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या १२५ तथा श्री साधन गुप्त के सशोधन संख्या १२३ तथा १२६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २२--केन्द्रीय बोर्ड की संचालकता अथवा स्थानीय बोर्ड अथवा समिति-यों की सदस्यता के लिये अनर्हतायें ।

श्री एस० वी० रामस्वामी ने संशोधन संख्या ३१३, ३१४ प्रस्तुत किये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं ने दो संशोधन रखे हैं । एक के द्वारा मेरा सुझाव यह है कि संचालकता की अनर्हताओं में १०,००० रुपये की सीमा बहुत ऊंची है तथा इसके लिये जो सीमा हो वह घटा कर ५,००० रुपये कर दी जाये ।

दूसरा संशोधन (संख्या ३१४) मैं ने यह सुझाव देने के लिये रखा है कि संसद् या विधान मण्डल की सदस्यता को संचालकता के लिये एक अनर्हता बनाने का कारण अभी तक चाहे जो कुछ रहा हो, चूंकि हमारे ऊपर विदेशियों का शासन था, परन्तु अब इस बात पर ध्यान देते हुये कि यह राज्य बैंक हो गया है लोकहित की दृष्टि से विधान मण्डल की सदस्यता को अनर्हता घोषित करने का कोई कारण नहीं है, इसलिये मेरा सुझाव है कि इस खण्ड में से उपखण्ड (३) निकाल दिया जाये

श्री ए० एम० थामस ने संशोधन संख्या २१५ प्रस्तुत किया ।

श्री ए० एम० थामस : मेरे संशोधन का सुझाव है कि संचालकता की अनर्हता के लिये जो सीमा रखी गई है उसे घटा कर १००० रुपये कर दिया जाये ।

श्री आर० डी० मिश्र ने सशोधन संख्या २१६ प्रस्तुत किया ।

श्री आर० डी० मिश्र : मेरे संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक न हो उसे संचालक बनने की अनुमति न दी जाये । दूसरा सुझाव यह है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण सेवा से पृथक् कर दिया गया हो उसे भी संचालक बनने की अनुमति न दी जाये ।

श्री साधन गुप्त ने संशोधन संख्या १३०, १३१ प्रस्तुत किये ।

श्री साधन गुप्त : खण्ड २२ के द्वारा जो अनर्हतायें रखी गई हैं उन के अतिरिक्त एक और अनर्हता मैं उन के विरुद्ध रखना चाहता हूं जो आयकर जांच आयोग द्वारा कर अपवंचन के अपराधी पाये गये हैं । ऐसे व्यक्तियों को इस लोक संस्था के निदेशालय में स्थान नहीं दिया जाना चाहिये । यह ठीक है कि कुछ प्रविधिक कारणों से आयकर जांच आयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा शक्ति परस्तात् घोषित कर दिया गया था फिर भी यह तथ्य तो है ही कि इन व्यक्तियों की सावधानी से जांच की गई थी और यह कर अपवंचन के अपराधी पाये गये थे, इसलिये हमें इस आयोग के निर्णय का आदर करना चाहिये और एक निकृष्ट प्रकार के व्यक्तियों से इस संस्था की रक्षा करनी चाहिये ।

मेरा दूसरा सूझाव यह है कि यह केवल पूंजीवादियों की एक धारणामात्र है कि संचालक उसी को होना चाहिये जिसकी अधिकतम पूंजी उस संस्था में लगी हुई हो । गैर-सरकारी संस्थाओं में अंश सम्बन्धी अर्हताओं का फिर भी कुछ औचित्य हो सकता है परन्तु सरकारी क्षेत्र में ऐसा करने की और इस प्रकार समाज के कम पूंजी वाले व्यक्तियों को, अर्थात् दस बीस अंश वाले व्यक्तियों को, प्रबन्ध में भाग लेने से वंचित रखने का कोई कारण नहीं है । मैं चाहता तो यह था कि अंश सम्बन्धी अर्हताओं को कोई स्थान ही न दिया जाता परन्तु मैं यह भी समझता हूं कि वित्त मंत्री के शब्दों में, सरकार ऐसा कोई क्रान्तिकारी सुझाव मानने को तैयार नहीं होगी, इस लिये मैं ने संशोधन रखा है इसे घटा कर १००० रुपय कर दिया जाये ।

श्री सी० आर० अय्युणि ने संशोधन सख्या १३३ प्रस्तुत किया

सभापति महोदय : यह सब संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : पृष्ठ १० पर उप-खण्ड (घ) में कहा गया है, "अपने ऋणदाताओं से अभिसंधान कर लिया है" । इस के सम्बन्ध में मेरे मन में कुछ शंका थी परन्तु जब सरकारी प्रवक्ता को इस सम्बन्ध में इतना अटल विश्वास है तो मैं इस पर आग्रह नहीं करता हूं । परन्तु १०,००० रुपये की जो सीमा रखी गई है उस पर मुझे बहुत आपत्ति है । पहले खण्ड ११ के अनुसार उच्चतम सीमा कुल जारी की गई पूंजी की पांच प्रति शत रखी गई थी जो लगभग २८,१२,५०० रुपये होती है । जब इतनी उच्चतम सीमा थी तब अर्हता के प्रयोजन के लिये अधिकतम सीमा १०,००० रुपये रखी गई थी । जब हमने इतनी बड़ी राशि को घटाकर २०,००० रुपये कर दिया है तो इस अर्हता के सम्बन्ध में भी हमें उच्चतम सीमा को घटाना चाहिये ।

उपखण्ड (३) के द्वारा संसद् सदस्यों पर जो रोक लगाई गई है उसका मैं समर्थन करता हूं । पुराने ऋषियों की भांति हम को भी त्याग की भावना से काम लेना चाहिय और इस प्रकार की सेवा करने का अवसर दूसरों के लिये छोड़ देना चाहिये । हमारे लिये संसद् का कार्य ही इतना अधिक है कि यदि हम ईमानदारी से करें तो हमें अन्य कार्यों के लिये समय ही नहीं मिल सकता है । परन्तु, यहां तो आपको श्रीमान्, गण-पूर्ति के लिये भी घंटी बजानी पड़ती है । प्रसिद्ध अभि समय के अनुसार, केन्द्रीय बोर्ड की

[श्री एस० एस० मोरे]

सदस्यता तथा निदेशकता, एक लाभ क पद होगी इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि हम इसके लिये कोई भत्ता नहीं लेंगे परन्तु कितने ही देशों में ऐसे पद लाभ के पद समझे गए हैं। आप चाहे कोई भत्ता न लें। परन्तु आपको प्रश्रय देने का कोई अवसर प्राप्त तो होता है। इसलिए मैं इस खण्ड का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस उपबन्ध पर दृढ़तापूर्वक जमी रहे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सरकार ने कहा है कि ग्रामीण व्यक्ति आगे आयें और प्रत्येक कार्य में भाग लें। यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो इस १०,००० रुपये की सीमा को घटाकर १,००० रुपये कर दिया जाये क्योंकि ग्रामों में आप को एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिल सकता जिस के पास १०,००० रुपये के अंश हों।

श्री मात्तन : पहले सरकार विदेशी थी और राष्ट्र विरोधी थी इसलिये उस ने कांग्रेस के अनुयाइयों को बाहर रखने के लिये ऐसा प्रतिबन्ध लगाया था। रक्षित बैंक और मंत्रालय अब भी बिना सोचे विचारे बातों की नकल कर रहे हैं। कम से कम जनता के दो प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाना चाहिये। यदि लोक लेखा समिति इन बातों पर विचार कर सकती है तो इस में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : क्या लोक लेखा समिति और इस में कोई सादृश्य है ?

श्री मात्तन : मैं श्री मोरे को उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं श्री माननीय मंत्री की आपत्तियों का उत्तर दे रहा हूं। आखिर २२ सदस्यों के बोर्ड में दो सदस्य क्या राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं ? किसी भी अवस्था में उन्हें क्यों अनर्द किया जाये।

इस के पश्चात् श्री मुहीउद्दीन ने अपना संशोधन संख्या ३१२ प्रस्तुत किया।

श्री मुहीउद्दीन : में इस संशोधन द्वारा उपखंड (छ) को निकाल देना चाहता हूं। उपखंड (छ) में बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों की अर्हता में दी हुई हैं। अर्हता यह है कि कम से कम दस हज़ार रुपये के मूल्य के अंश उनके पास होने चाहियें। मेरे विचार से इन राष्ट्रीकृत अथवा राज्य द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में अशों के आधार पर बोर्ड में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत रद्द कर दिया जाना चाहिये। निर्देशक ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो उस उद्देश्य के लिये सर्वोत्कृष्ट योग्यता रखते हों। मेरे विचार से वांछनीय है कि इन राष्ट्रीयकृत संस्थाओं में अंश रखने की अर्हता आवश्यक नहीं होनी चाहिये। अतः मेरी प्रस्थापना है कि उपखंड (छ) को निकाल दिया जाये।

सभापति महोदय : यह संशोधन भी सभा के समक्ष है।

श्री ए० सी० गुह : मेरे विचार से हम संशोधन संख्या ३१३ को, जिस में अर्हता पांच हजार रुपये तक सीमित कर दी गयी है, स्वीकार कर सकते हैं। मेरा एक दूसरा सुझाव है। निर्वाचित सदस्यों के लिये हम एक हजार रुपये स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। निदशकों के लिये यह पांच हजार रुपये होने चाहियें, किन्तु निर्वाचित सदस्यों के लिये हम एक हजार रुपये का अर्हता स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

श्री मात्तन : अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : हम अन्य संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। मेरे विचार से यह सिद्धांत कि संसद् सदस्यों और विधान सभाइयों को शामिल नहीं किया जाना चाहिये, एक अच्छा सिद्धांत है।

सभापति महोदय : क्या इस के लिये एक सशोधन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ?

श्री वी० पी० नायर : जब हम अनर्हता रखना चाहते हैं, तो कर अपवंचनों के बारे में क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : हम निश्चित रूप से वहां यह नहीं मालूम कर सकते हैं कि कौन वास्तव में कर अपव्यय है और कौन नहीं है। ऐसा करना कठिन होगा। किसी भी चीज को सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।

श्री वी० पी० नायर : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कम से कम उन लोगों को अपवर्जित करने के लिये तैयार है जिनकी आय का निर्धारण आय जांच आयोग द्वारा जांच किये जाने के बाद किया गया है ?

श्री ए० सी० गुह : नाम निर्देशित निदेशकों के लिये हम उस बात पर विचार कर सकते हैं।

श्री वी० पी० नायर : हम केवल विचार नहीं चाहते। क्या वह यह आश्वासन दे सकते हैं कि ऐसे लोगों को इस से अपवर्जित किया जायेगा ? यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है और हम इस का उत्तर चाहते हैं।

श्री ए० सी० गुह : आज कोई कर-अपवंचक हो सकता है, कल वह नहीं भी हो सकता।

सभापति महोदय : अभी में संशोधन संख्या ३३ को नहीं रखूंगा। जब संशोधित चीज आयेगी, तब हम देखेंगे।

श्री ए० सी० गुह : संशोधन संख्या २१६ के सम्बन्ध में हम केवल भाग (झ) स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। भाग (ज) को नहीं।

सभापति महोदय : मेरे विचार से हम अब अगले खंड २३ पर चर्चा करें।

खंड २३—(निदेशकों आदि के पद का रिक्त होना)

सभापति महोदय : एक सहकारी संशोधन संख्या २७३ है।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११ में पंक्तियां १ से ३ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(b) resigns his office by giving notice in writing under his hand, in the case of the Chairman and vice-Chairman, to the Central Government and in the case of other directors or members of Local Boards or Committees, to the Central Board, and the resignation is accepted; or".

["(ख) सभापति और उपसभापति के मामले में, केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ से लिखी अधिसूचना दे कर और अन्य निदेशकों अथवा स्थानीय बोर्डों या समितियों के सदस्यों के मामले में, केन्द्रीय बोर्ड को अधिसूचना दे कर अपना पद त्याग करना है और वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है; अथवा"]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११ में, पंक्तियां १ से ३ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(b) resigns his office by giving notice in writing under his hand, in the case of the Chairman and the vice-Chairman, to the Central Government and in the case of other directors or members of Local Boards or Committees, to the Central Board, and the resignation is accepted; or."

[सभापति महोदय]

["(ख) सभापति और उपसभापति के मामले में केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ से लिखी अधिसूचना दे कर और अन्य निदेशकों अथवा स्थानीय बोर्डों या समितियों के सदस्यों के मामले में, केन्द्रीय बोर्ड को अधिसूचना दे कर अपना पद त्याग करना है और वह त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है अथवा"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २४—(निदेशकों आदि के पद से हटाया जाना)

सभापति महोदय : मेरे विचार से एक संशोधन संख्या १३६ है ।

श्री साधन गुप्त : मैं ने इसे प्रस्तुत किया है, किन्तु कर्मचारियों के प्रतिनिधि सम्बन्धी संशोधन के अस्वीकार किये जाने के बाद, वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २५—(आकस्मिक रिक्तताएं

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ ११ में, पंक्तियां ३६ और ३७ में "after considering the recommendations of the Central Board made in this behalf"

["इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्"] के स्थान पर "in consultation with the Reserve Bank and after considering the recommendations of the Central Board"

["रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्"] रखा जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११ में, पंक्तियां ३६ और ३७ में "after considering the recommendations of the Central Board made in this behalf.'

["इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्"] के स्थान पर "in consultation with the Reserve Bank and after considering the recommendations of the Central Board."

["रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड २५ क

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपना संशोधन संख्या १३७ प्रस्तुत किया ।

श्री एस० एस० मोरे: यदि यह संशोधन स्वीकार किया जाता है तो इस का परिणाम यह होगा कि वित्त मंत्री का वेतन बढ़ाने के लिये दबाव डाला जायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक ओर आप यह कहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री केवल एक हजार रुपया लेंगे, दूसरी ओर श्री मोरे कहते हैं कि वह अधिक लेंगे । मैं उसे २,५०० रुपये रखूंगा । मैं इस बात पर जोर देना चाहता था कि वित्त मंत्री मंत्रालय के प्रधान हैं और उनके अधीन काम करने वालों को उन के वेतन से अधिक वेतन नहीं लेना चाहिये । यह सिद्धांत अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये । रिजर्व बैंक और इम्पीरियल बैंक में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो २,५०० रुपये से अधिक वेतन पा रहे हैं । जहां तक प्रबन्ध संचालक अथवा सभापति और अन्य व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इस ऊंचे वेतन के कारण उन्हें सेवायुक्त नहीं रहने दिया जायेगा । यह उचित नहीं मालूम होगा । अन्य लोगों के सम्बन्ध में एक भिन्न सिद्धांत होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम यह सिद्धांत अवश्य अपनायें और अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी हम उसे लागू कर सकते हैं, अन्यथा कठिनाई यह होगी कि निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को अधिक वेतन मिलेगा और हमें अपने काम के लिये केवल तीसरे दर्जे के व्यक्ति मिलगे । मैं चाहता हूं कि इन पदों पर प्रथम श्रेणी के लोग नियुक्त किये जायें। मैं तो यह कहूंगा कि उन्हें अधिक मिलना चाहिये अन्यथा आप समाजवादी ढंग किस प्रकार लायेंगे ? अतः मैं यह कहूंगा कि इन पदाधिकारियों को २,५०० रुपये प्रति मास से अधिक नहीं मिलना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : हम इस संशोधन के विरूद्ध हैं इसलिये नहीं कि वित्त मंत्री द्वारा अधिक मांग किये जाने का खतरा है, बल्कि इसलिये कि उस पद के लिये हम उचित व्यक्ति नहीं पा सकेंगे ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

श्री ए० सी० गुह : हम ने अभी खंड २२ समाप्त नहीं किया है ।

सभापति महोदय : संशोधन के कारण वह स्थगित रखा गया है ।

श्री साधन गुप्त : मेरा यह सुझाव था कि खंड २६ से २९ एक साथ लिये जायें क्योंकि उन में फीस, पारिश्रमिक आदि का विवेचन किया गया है ।

खंड २६ से २९

श्री साधन गुप्त ने अपने संशोधन संख्या १३८, १४०, १४१ और १४२ प्रस्तुत किये ।

श्री साधन गुप्त : खंड २६ में निदेशकों की फीस और भत्तों और खंड २७, २८ और २९ में क्रमशः सभापति उपसभापति और प्रबन्ध संचालक के पारिश्रमिक का विवेचन किया गया है ।

मेरे संशोधन संख्या १३८ में यह सुझाव किया गया है और मेरे विचार से यह बहुत उपयुक्त सुझाव है, कि निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिये १६ रुपये प्रति दिन और उचित यात्रा खर्च से अधिक नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री मुहीउद्दीन : खंड २६ के सम्बन्ध में, क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि यदि दैनिक बैठक के लिये १६ रुपये दिये जाते हैं तो क्या बैंक होटल-आवास का प्रबन्ध करेगा और उस का खर्च देगा ?

श्री साधन गुप्त : हम यह आशा करेंगे कि इस देश में निदेशक ऐसे होटलों में रहें

[श्री साधन गुप्त]

जहां वे १६ रुपये में रह सकें और अपने आराम के लिये अपनी जेब से व्यय करें। वह बहुत कठिन चीज नहीं है।

सभापति, उपसभापति, और प्रबन्ध संचालक के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में, मैं ने वित्त मंत्री या अन्य किसी मंत्री के पारिश्रमिक से उसे सम्बन्धित नहीं किया है। इस देश के लोग जो कुछ कमाते हैं, और वास्तव में इस देश का एक व्यक्ति जो कुछ लेने का अधिकारी है उसे देखते हुए मैं ने उसे निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। मैं ने अधिकतम १,५०० रुपये पारिश्रमिक का उपबन्ध किया है। यही इम्पीरियल बैंक के कर्मचारी वर्ग की मांग थी कि पारिश्रमिक १०० रुपये से कम और १,५०० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। मैं ने अपने संशोधनों में इसी का उपबन्ध किया है।

इस के पश्चात् श्री आर० डी० मिश्र ने अपना संशोधन संख्या १३९ और श्री वी० पी० नायर ने सशोधन संख्या ४७, ५२ और ५५ प्रस्तुत किये।

श्री वी० पी० नायर : मेरा संशोधन संख्या ४७ इस अर्थ में थोड़ा भिन्न है कि मैं अधिकतम वेतन १,२०० रुपये निर्धारित करना चाहता हूं। अभी अभी वित्त मंत्री यह कह रहे थे कि उचित व्यक्ति प्राप्त करने के लिये अधिक वेतन रखना होगा। २,५०० रुपये निर्धारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मुझे खेद है कि मैं माननीय मंत्री के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। हम जानना चाहते हैं कि यदि वित्त मत्री १,५०० या १,२०० रुपये स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वह सभापति को क्या देने का विचार करते हैं। उन का आशय जानने पर ही हम आलोचना कर सकते हैं।

उस के बाद संशोधन संख्या ५२ है। मैं देखता हूं कि कुछ पदाधिकारियों को विशेषकर प्रबन्धक संचालक को दिया जाने वाला वेतन और भत्ते असाधारण रूप से अधिक हैं। उदाहरण के लिये श्री ए० सी० गुह ने आज ही अपने पत्र में लिखा है :

"प्रबन्धक संचालक को ७,५०० रुपये प्रतिमास और ५०० रुपये व्यय सम्बन्धी भत्ता मिलता है और निःशुल्क आवास, मोटरगाड़ी का निःशुल्क उपयोग आदि अन्य लाभ प्राप्त होते हैं।"

मेरे विचार से अन्य लाभों में अनेक बातें शामिल होंगी। इम्पीरियल बैंक को अपने अधीन लेने में क्या हमारा यह उद्देश्य कि लोगों को ७,५०० रुपये और मकान भत्ता, कुत्ता भत्ता, धोबी भत्ते आदि दिया जाये? मैं नहीं समझता कि इस संस्था को चलाने योग्य व्यक्ति इतने लालची होंगे कि १०,००० रुपये दिये जाने के लिये आग्रह करेंगे, जैसा कि वित्त मंत्री कल्पना करते हैं। यही समय है कि वे ऐसे लोगों को ढूंढ निकालें जो कम वेतन स्वीकार करें। इस दृष्टिकोण से मेरे संशोधनों पर विचार किया जाना चाहिये। मैं यह भी कहता हूं, जैसा कि मैं ने अपने संशोधन संख्या ५५ में प्रस्थापना की है, कि इन सभी पदों के लिये केवल १,२०० रुपये अधिकतम वेतन निर्धारित किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : ये सभी संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या भारसाधक सदस्य यह बतायेंगे कि सभापति और प्रबन्ध संचालक आदि का प्रस्थापित वेतन क्या है? हम उन की प्रस्थापना से विदित नहीं हैं और ऐसी अवस्था में सारी चर्चा निरर्थक हो जाती है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परिलब्धियों के अधीन कौन कौन से विभिन्न पद धनराशियां आती हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं अभी पारिश्रमिक सम्बन्धी निश्चित प्रस्थापनायें इस कारण बताने में असमर्थ हूं कि इन विभिन्न पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में मैं ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है । जहां तक प्रबन्ध संचालकों का सम्बन्ध है वह बाद में राज्य बैंक के निर्णय का विषय होगा । हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिया जाने वाला पारिश्रमिक अत्यधिक न हो जैसा कि माननीय सदस्य ने निर्देश किया है । जहां तक सभापति का सम्बन्ध है, अभी किसी व्यक्ति का नाम बताना समय से बहुत पहले की बात है । यदि मैं नाम बता दूं तो आप दिये जाने वाले पारिश्रमिक के बारे में कल्पनायें करने लगेंगे और उस विशिष्ट व्यक्ति की देशभक्ति के सम्बन्ध में कुछ अनादरपूर्ण टिप्पणियां करेंगे जिस के परिणामस्वरूप इस नवीन संस्था के योग्य प्रधान प्राप्त करने के अवसर से हमें हाथ धोना पड़ेगा । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस समय जिस स्तर पर पारिश्रमिक दिया जाता है वह हमारे मतानुसार बहुत अधिक है । स्तर निर्धारित करते समय, दो विषय हमारे समक्ष विचाराधीन होंगे । एक तो वह व्यक्ति, जिसे हम लेना चाहते हैं । संभव है कि कुछ योग्य व्यक्तियों के लिये वह उपयुक्त न हो । किसी के निजी साधन हो सकते हैं, किसी के नहीं भी हो सकते हैं । हमारे हाथ बांध देना और यह कहना कि चूंकि किसी व्यक्ति के निजी साधन हैं, आप उसे १,५०० रुपये दीजिये, बिल्कुल गलत है मेरे विचार से यह गलत अर्थ-व्यवस्था है । इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ स्वतंत्रता दी जानी चाहिये । हम यथा समय में इस की घोषणा करेंगे । वह कोई गुप्त वेतन नहीं होगा। तब आप उस का परीक्षण भी कर सकते हैं । मुझे विश्वास है कि आप हमारे अंतिम निर्णय से संतुष्ट होंगे ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन (संख्या १३८) मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६ विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४० और ४७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या १३९ वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४१ और ५२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २८ विधेय क में जोड़ दिया गया

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४२ और ५५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब हम खंड २२ को लेते हैं । माननीय मंत्री अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १० में पंक्ति ३ के बाद यह रखा जाये :—

(i) "(bb) he has been removed or dismissed from the service of Government on a charge of corruption or bribery; or"

[(१)"(खख) वह भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोप में सरकारी नौकरी से पृथक कर दिया गया हो या सेवामुक्त कर दिया गया हो ; अथवा "]

(२) पृष्ठ १० में पंक्ति १३ से १६ तक के स्थान पर यह रखा जाये :—

"(g) in the case of an elected director he is not registered as a holder in his own right of unencumbered shares in the State Bank of a nominal value of at least five thousand rupees and in the case of an elected member of a nominal value of at least one thousand rupees."

["(छ) निर्वाचित निदेशक के मामले में, वह राज्य बैंक में कम से कम पांच हजार रुपयों के नाम-मात्र मूल्य के और निर्वाचित सदस्य के मामले में कम से कम एक हजार रुपयों के नाम-मात्र मूल्य के भार रहित अंशों के लिये स्वयं अपने अधिकारों से पंजीबद्ध न किया गया हो"]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ १० में पंक्ति ३ के बाद यह रखा जाये :—

(i) "(bb) he has been removed or dismissed from the service of Government on charge of corruption or bribery ; or"

[(१)"(खख) वह भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोप में सरकारी नौकरी से पृथक कर दिया गया हो या सेवामुक्त कर दिया गया हो ; अथवा"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ १० में पंक्ति १३ से १६ तक के स्थान पर यह रखा जाये :—

"(g) in the case of an elected director, he is not registered as a holder in his own right of unencumbered shares in the State Bank of a nominal value of at least five thousand rupees and in the case of an elected member of a nominal value of at least one thousand rupees"

["(छ) निर्वाचित निदेशक के मामले में, वह राज्य बैंक में कम से कम पांच हजार रुपयों के नाम-मात्र के मूल्य के और निर्वाचित सदस्य के मामले म कम से कम एक हजार रुपयों के नाम-मात्र मूल्य के भाररहित अंशों के लिये स्वयं अपने अधिकार से पंजीबद्ध न किया गया हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : इन दोनों संशोधनों के स्वीकृत हो जाने से संशोधन संख्या ३१३ अवरुद्ध हो जाता है ।

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३०, ३१२, १३१, २१५, २१६, ३१४ और १३३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २२, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३०—(केन्द्रीय बोर्ड की कार्यपालिका तथा अन्य समितियां)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड ३० विधेयक का अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३१—(केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १४, पंक्ति २ में, शब्द behalf" ["की ओर से"] के पश्चात् "and in the absence of such authorisation, any such director elected by the directors present from amongst themselves."

["और ऐसे प्राधिकरण की अनुपस्थिति में, उपस्थित निदेशों में से निर्वाचित ऐसा कोई भी अन्य निदेशक"] रखा जाये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १३, पंक्ति २३ और २४ में laid down by regulation made in this behalf" यह रखा जाये ।

["(१) इस सम्बन्ध में बनाये गये विनियमनों द्वारा विहित"] के स्थान पर शब्द "prescribed" ["विहित"] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ १३, पंक्ति १० में शब्द "board बोर्ड"] के स्थान पर "central board" ["केन्द्रीय बोर्ड"] रखा जाये ।

श्री ए० एम० थामस : मैं अपना संशोधन संख्या २२४ प्रस्तुत करता हूं । मैं समझता हूं कि बैठक में उपस्थित निदेशकों द्वारा ही बैठक का सभापति चुना जाना चाहिये । यह ढंग अच्छा नहीं है कि सभापति जब अनुपस्थित हो तो वह लिख कर किसी दूसरे को नामांकित कर दे । मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी ।

सभापति महोदय : ये सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री ए० सी० गुह : मेरे सरकारी संशोधन के अन्तर्गत यह बात आ जाती है, अतः इस की जरुरत नहीं है । हम ने सशोधन संख्या २२१ और २२३ स्वीकार किये हैं ।

श्री ए० एम० थामस : मैं अपना संशोधन संख्या २२४ वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १३, पंक्तियों २३ और २४ में, "laid down by regulations made in this behalf"

[सभापति महोदय]

["इस के सम्बन्ध में बताय गये विनियमनों द्वारा विहित"] के स्थान पर शब्द "prescribed" ["विहित"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १३, पंक्ति ४० में शब्द "Board" ["बोर्ड"] के स्थान पर "Central Board" "[केन्द्रीय बोर्ड"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १४, पंक्ति २ में शब्द "behalf" ["की ओर से"] के पश्चात् "and ie the absence of such authorisation any such director elected by the directors present from amongst themselves." ["और ऐसे प्राधिकरण की अनुपस्थिति में, उपस्थित निदेशकों में से निर्वाचित ऐसा कोई अन्य निदेशक"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३३—(अन्य कार्य जो राज्य बैंक कर सकता है)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १५, पंक्ति १६ में, "immovable property" ["अचल सम्पत्ति"] शब्दों के स्थान पर "fully paid shares of companies with limited liability or immovable property" ["सीमित दायित्व वाले समवायों के पूर्णरूपेण चुकाये गये अंशों अथवा अचल सम्पत्ति"] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ १७, पंक्तियां १ से ४ के स्थान पर यह अंश रखा जाये :

"(xiii) the administration whether alone or jointly with other persons of estates for any purpose, whether as executor trustee or otherwise the acting, whether alone or jointly with other persons, as trustee under any settlement or debenture trust deed or as liquidator of any banking in stitutions or the acting as an agent on the commission in the transaction of the following kinds of business namely :—"

["(१३) किसी प्रयोजन के लिये इन सम्पत्तियों का अकेले या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से प्रशासन, चाहे कार्यपालक, प्रन्यासी या किसी अन्य रूप से करना, किसी समझौते या ऋण-पत्र न्यास विलेख के अन्तर्गत चाहे अकेले या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के

साथ संयुक्त रूप से न्यासी के रूप में कार्य करना, अथवा किसी बैंकिंग संस्था के समापक के रूप में कार्य करना, या इस प्रकार के व्यापारिक कार्यों को करने के लिये कमीशन पर अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करना:–"]

(३) पृष्ठ १७, पंक्ति १४ में, nine months ["नौ महीने"] के स्थान पर शब्द 'fifteen months" ["पन्द्रह महीनें"] रखे जायें ।

(४) पृष्ठ १७, पंक्ति ३८ में शब्द "nine months" ["नौ महीने"] के स्थान पर शब्द "fifteen months" ["पन्द्रह महीने"] रखे जायें ।

श्री ए० एम० थामस : खंड ३३ के लिये मैं ने जो संशोधन दिये थे उन में से कई तो सरकारी संशोधनों के अन्तर्गत आ जाते हैं। अतः शेष दो संशोधनों (संख्या २२५ तथा २९७) को मैं प्रस्तुत करता हूं । मुझे आश्चर्य है कि उपखंड (२) में सहकारी संस्थाओं को स्थान नहीं दिया गया है । यह तो सभी को ज्ञात है कि सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को संशोधन संख्या २२५ को अवश्य स्वीकार करना चाहिये ।

मेरा दूसरा संशोधन (संख्या २९७) और भी महत्त्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित है । इस खंड के अनुसार स्थावर सम्पत्ति को ऋण देने के लिये अच्छी प्रतिभूति नहीं समझा गया है । इतना ही नहीं, बल्कि केवल कुछ स्थितियों में ही ऐसी प्रतिभूति पर ऋण दिये जाने का उपबन्ध है । मैं नहीं समझता कि हमारे देश में स्थावर सम्पत्ति पर ऋण देने की प्रथा होते हुए भी सरकार ने इस ओर क्यों उदासीनता दिखाई बताई है । कृषकों के पास अधिकतर स्थावर सम्पत्ति ही होती है जिसे बन्धक रूप में रख कर वे ऋण प्राप्त करते हैं । जब सरकार उन्हें इस प्रकार ऋण नहीं देगी तो उन के लिये यह बड़ी कठिन समस्या हो जायेगी । सम्पत्ति स्थानान्तरण अधिनियम में भी इस प्रकार का उपबन्ध है । अंग्रेजी बन्धक प्रणाली में भी इसी प्रकार ऋण दिये जाते हैं । एक पूर्व अवसर पर श्री मात्तन ने ठीक ही कहा था कि प्राधिकारियों का मस्तिष्क लाभ कमाने की ओर अधिक जा रहा है इसलिये वे स्थावर सम्पत्ति की प्रतिभूति को प्रोत्साहन नहीं देते हैं । यह अवांछनीय है । अनुभव ने यह बताया है कि यदि स्थावर सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण दिये जाते हैं तो वे जमादी नहीं होते हैं, फिर भी न जाने क्यों यह विभेद किया गया है वाणिज्यिक आधार पर सरकार चाहे कोई भाषण दे परन्तु हमें विधि द्वारा निर्बन्धित किया जाये । इस दृष्टिकोण से मेरा संशोधन बहुत सुसंगत है, और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस विषय में मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री मात्तन ने संशोधन संख्या ३१५ और ३१६ प्रस्तुत किये ।

श्री मात्तन : अपने सशोधन प्रस्तुत करते समय मुझे यही बताना है कि श्री थामस ने पहले ही इस विषय में जो कहा है वह मैं ठीक समझता हूं । जर्मनी और अमरीका में भी स्थावर सम्पत्ति के आधार पर ऋण

[श्री मात्तन]

दिया जाता है । श्री गुहा ने मेरे संशोधन का विरोध करने का कोई कारण नहीं बताया था ।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये केवल २० घंटे निश्चित किये गये हैं । अपना भाषण कृपया जल्दी समाप्त करिये ।

श्री मात्तन : यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है । यदि मेरा संशोधन स्वीकृत किया गया तो इस विधेयक का समस्त उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । जब बड़े बड़े बैंक स्थावर सम्पत्ति को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर क्या कारण है कि राज्य बैंक उसे स्वीकार न करे ? यदि सरकार ने ग्रामवासियों को इस प्रकार की सुविधायें न दी तो इस विधेयक का प्रयोजन ही विफल हो जायेगा ।

श्री साधन गुप्त ने संशोधन संख्या १४५ प्रस्तुत किया ।

श्री साधन गुप्त : मेरे संशोधन (संख्या १४५) का उद्देश्य केवल इतना ही है कि बैंक में कम से कम रोकड़ ५०० रुपये न रख कर ५० रुपये रखने का उपबन्ध किया जाये क्योंकि गांव के निर्धन किसान बैंक में ५०० रुपये जमा रख कर अपना खाता नहीं खोल सकते । मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी ।

श्री अच्युतन ने संशोधन संख्या २२६ प्रस्तुत किया ।

श्री अच्युतन : मेरा सशोधन श्री मात्तन के संशोधन से मिलता जुलता है । मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भमि भी उतनी ही अच्छी प्रतिभूति समझी जाये जितनी की और सम्पत्तियां समझी जाती हैं । हमारे देश के वाणिज्यिक बैंक भूमि के आधार पर ऋण देते हैं । जब राज्य बैंक भी ऐसा करेगा तो अन्य बैंक अपने सूद की दर घटा देंगे और इस प्रकार किसानों का भला होगा ।

इस प्रकार ऋण देने से केवल खेती को ही नहीं बल्कि छोटे पैमाने के उद्योगों को भी लाभ होगा । देश के किसान ही देश की उन्नति के आधारभूत हैं । उन्हें सहायता देना हमारा कर्त्तव्य है । हमें आशा है कि सरकार इन संशोधनों को अवश्य स्वीकार करेगी ।

सभापति महोदय : ये सब संशोधन अब सभा के समक्ष हैं ।

सरदार हुक्म सिंह (कथूरथला-भटिंडा): ग्राम ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में कल मैंने एक महाजन से पूछा तो वह बोला कि इम्पीरियल बैंक वालों को इस विषय में जरा भी अनुभव नहीं है । यह बात मुझे बहुत कुछ ठीक मालूम होती है । अभी तक जो यह बैंक व्यापार के सिद्धांतों पर चल रहा था । उस में तो व्यापारियों को जब भी रुपयों की जरूरत पड़ती थी उन के लिये उस का तुरन्त प्रबन्ध किया जाता था उस समय प्रतिभूतियों को जल्दी से जल्दी नकद रुपये में बदलने की आवश्यकता पड़ती थी किन्तु अब स्थिति दूसरी है । इस बैंक ने देश के किसानों की सहायता करने के लिये अब एक निश्चित कदम उठाया है । ऐसी दशा में स्थावर सम्पत्ति को भो प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करना अनुचित नहीं कहा जा सकता । ग्राम वासियों के हित को ध्यान में रखना हमारे लिये आवश्यक है। अन्य देशों में तो केवल उत्पादन को

प्रतिभूति मान कर ऋण दे दिये जाते हैं। इस के लिये तो हमारे यहां कई वर्ष लगेंगे फिर भी मैं समझता हूं कि अचल सम्पत्ति को प्रतिभूति के रूप में अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल--पश्चिम कटक) : मैं भी इस संशोधन का समर्थन करता हूं। पहले वाणिज्यिक बैंकों का उद्देश्य अपने धन को यथासंभव शीघ्रता से वसूल करना होता था, परन्तु अब स्थिति बदल गई है। हम अब कृषकों को कृषि के सुधार के लिये ऋण दे रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश कृषक ही ऋण लेंगे तथा उन की भूमि ही उन का सर्वस्व है और इस भूमि को ही वह बन्धक रख कर यह ऋण लेंगे। इसलिये अब सरकार राज्य बैंक की एक शाखा केवल कृषि के सुधार के लिये ही स्थापित करना चाहती है तो हमें यह भूल जाना चाहिये कि भूतकाल में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये क्या किया जाता था, क्योंकि यदि वह इस को सफल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें भूमि सम्पत्तियों को भी बन्धक रखे जाने की अनुमति देनी चाहिये।

श्री ए० सी० गुह : यदि आप मुझे दो मिनट का समय दें तो मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं।

यह बैंक केवल थोड़ी अवधि के ही ऋण देगा तथा लम्बी अवधि के ऋण देना इस का कार्य नहीं होगा। यह कार्य रिजर्व बैंक के लिये रक्षित है, जो सहकारी बैंकों के द्वारा इस कार्य को करेगा। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ५३९ की कंडिका २२ में की गई इस सिफारिश की ओर आकर्षित करता हूं।

"जो सहकारी संस्थायें ऋण तथा विशेषतया विपण्य और व्यापार सम्बन्धी कार्य करेंगी, उन की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये भारत के राज्य बैंक को सर्वदा प्रयत्न करना चाहिये।"

इस प्रकार यह बैंक विपण्य, व्यापार तथा मुख्यतया गोदाम आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि एक सहकारी विकास बोर्ड होगा तथा यह बैंक इस अभिकरण के द्वारा ही कार्य करेगा। यह स्वयं मूल कृषकों से भूमि को प्रतिभूति के रूप में लेने का कार्य नहीं कर सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री ने योजना में से पढ़ कर बताया कि रिजर्व बैंक, सहकारी बैंकों के द्वारा कार्य करेगा। परन्तु मुझे इस का बड़ा ही आश्चर्य है कि जब हम ने इस बैंक की दो अलग अलग शाखायें बनायी हैं तब स्थावर सम्पत्ति को बन्धक रख कर स्वयं ऋण देने का अधिकार देने में क्या कठिनाई है। पुराने बैंकों को तो कठिनाई हो सकती थी क्योंकि वह केवल वाणिज्य अथवा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति ही करते थे परन्तु अब स्थिति एकदम भिन्न है। अब यह प्रतिपालन बोर्ड के सम्बन्ध में भी काम करेगा और प्रतिपालक बोर्ड भी भूमि के अतिरिक्त और क्या प्रतिभूति दे सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि भूमि को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जाये, क्योंकि इस प्रकार की स्थावर सम्पत्ति ही सब से उपयुक्त प्रतिभूति होती है। मैं ने खंड ३४ के सम्बन्ध में एक संशोधन भी दिया है और मेरे विचार से स्थावर सम्पत्ति ही सब से उपयुक्त प्रतिभूति हो सकती है।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि मैं ने इस प्रकार की व्यवस्था क्यों रखी है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

रिज़र्व बैंक का गवर्नर होने के नाते सब से पहले मुझे बंगाल में बहुत से भूमि समवायों के असफल हो जाने का सामना करना पड़ा । ये समवाय अधिकतर चाय बाग़ानों तथा अन्य भूमि सम्पत्तियों पर धन देती थीं । ये ऐसा इसलिये करती थीं । क्योंकि इनका व्यापार अधिकतर इन्हीं में फला था । इस प्रकार निक्षेपकों को लगभग ५० करोड़ रुपये की हानि हुई तथा यह अधिकतर भूमि की प्रतिभूति पर ऋण देने के कारण हुआ । मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार भूमि की प्रतिभूति पर ऋण नहीं देना चाहिये था, क्योंकि सहकारी भूमि बन्धक समवायों का कार्य ही यही होता है कि जब वह लम्बी अवधि के लिये ऋण देते हैं तो भूमि को प्रतिभूति रूप में लेते ही हैं । परन्तु भूमि का मूल्य कम भी तो हो जा सकता है । जो व्यक्ति १९३०–१९३१ में सहकारी आंदोलन से सम्बन्धित थे उनको इसका अनुभव है कि भूमि को प्रतिभूति के रूप में लेने पर किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । मुझे मध्यप्रदेश के बरार में स्थित एक केन्द्रीय बैंक की असफलता के सम्बन्ध में ज्ञात है । इसने एक बार ९०,००० एकड़ भूति प्रतिभूति के रूप में ली थी । परन्तु वह इतने एकड़ों में से एक एकड़ में भी कृषि नहीं करा पाया । क्योंकि जब भी उस सहकारी बैंक ने उसमें कृषि कराने का प्रयत्न किया तभी लेनदारों ने इसमें अड़चन डाली और कृषि नहीं करने दी । मेरे विचार से हमें जनता के धन को इस प्रकार फंसा देने का कोई अधिकार नहीं है । इसी आधार पर श्री गाडगील, जो कि कृषि अर्थ व्यवस्था के प्रमुख जानकार हैं, अन्य विशेषज्ञ तथा पदाधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे कि इम्पीरियल बैंक के विस्तार के सम्बन्ध में हम केवल उसी सीमा तक अपने को सीमित रखें जिसका मेरे सहयोगी ने निर्देश किया है । परन्तु मेरे सहयोगी इस सम्बन्ध में कुछ ग़लत बता गये हैं । उन्होंने बताया कि रिज़र्व बैंक केवल लम्बी अवधि का व्यापार करता है । परन्तु ऐसा है नहीं । सहकारी संस्थाओं को रिज़र्व बैंक थोड़ी अवधि के लिये भी धन देता है । तथा इससे सम्बन्धित आंकड़े भी मैं सभा में बता चुका हूं । इस योजना में पहले वर्ष हमने ५० लाख रुपया लगाया था तथा आज इसमें १५ करोड़ रुपया लगा हुआ है । अतः जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, वह अपने सदस्यों से भूमि ले सकती हैं । इसके पश्चात् ज़िला बक अथवा शिखर बैंक के हस्ताक्षर होते हैं, तथा इस दुहरी प्रत्याभूति पर रिज़र्व बैंक १.५ प्रतिशत की दर से रुपया देता है । हम इस बात का निश्चय करते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कि कृषकों को यह रुपया बहुत कम सूद पर मिले । इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं । परन्तु हम उनको सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिये यह बात नहीं है कि रिज़र्व बैंक कृषि उत्पादन में कोई सहायता नहीं देता है, परन्तु वह एक दूसरी प्रकार से सहायता देता है । जब हम इस प्रकार के कार्य पर कोई नियंत्रण नहीं लगा रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि जहां तक इस वाणिज्यिक बैंक का सम्बन्ध है, हम ऐसा एक उपबन्ध रखें । इस प्रकार से से यह एकर संयुक्त संस्था है । यह कृषि के लिये ऋण देने के लिये कोई अलग संस्था चालू नहीं की गई है । ये भी थोड़ी अवधि के निक्षेप हैं तथा इसीलिये हमें सावधान रहना होगा । इसीलिये हमने लोक हित पर आधारित वाणिज्यिक सिद्धान्तों सम्बन्धी खंड को पारित किया है । लोक हित में इस नियम में कुछ ढील भी दी जा सकती है । परन्तु मूल नियम वही रहना चाहिये । इसीलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य दोनों विषयों को

आपस में उलझायें नहीं तथा किसी बैंक विशेष को चलाने के हमारे उद्देश्यों की अधिगणना न करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम इसकी शाखायें ग्राम्यक्षेत्रों में बढ़ायेंगे तो इससे विपणन के लाभ प्राप्त होंगे तथा गोदामों की व्यवस्था किये जाने के बाद प्रत्याभूत ऋणों के बदले में हम फसलों को भी ले लेने में समर्थ होंगे। इससे रिज़र्व बैंक द्वारा चलाई जा रही दूसरी योजना को भी सहायता मिलेगी।

अन्त में मैं यह बता देना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को भी आदेश दे रहा है कि स्थावर सम्पत्ति को प्रतिभूति मान कर ऋण न दिये जायें। मेरा सुझाव है कि हमें प्रथमतः (क) विशेषज्ञ समिति तथा (ख) रिज़र्व बैंक की सलाह के अनसार जो कि इस सम्बन्ध में कार्य कर रहा है, तथा जो कि उस विधि के अन्तर्गत जिसे हमने पारित किया है बैंकिंग संस्थाओं का प्रबन्ध ठीक रखने के लिये उत्तरदायी है कार्य करना चाहिये।

सभापति महोदय : सर्व प्रथम मैं संशोधन संख्या २७६, २७७, २७८ तथा २७९ मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ १५, पंक्ति १६ में, "immovable property" ["अचल सम्पत्ति"] शब्दों के स्थान पर "fully paid shares of companies with limited liability or immovable property" ["सीमित दायित्व वाले समवायों के पूर्णरूपेण चुकाये गये अंशों अथवा अचल सम्पत्ति"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १७, पंक्तियां १ से ४ के स्थान पर यह अंश रखा जाय :—

"(xiii) the administration whether alone or jointly with other persons for any purpose, whether as executor trustee or otherwise, the acting whether alone or jointly with other persons as trustee under any settlement or debenture trust deed or as liquidator of any banking institution or the acting as an agent on the commission in the transaction of the following kinds of business, namely:—

["(१३) किसी प्रयोजन के लिये इन सम्पत्तियों का अकेले या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से प्रशासन, चाहे कार्यपालक प्रन्यासी या किसी अन्य रूप से करना, किसी समझौते या ऋणपत्र न्यास विलेख के अन्तर्गत चाहे अकेले या किन्ही अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से न्यासी के रूप में कार्य करना अथवा किसी बैंकिंग संस्था के समापक के रूप में कार्य करना या इस प्रकार के व्यापारिक कार्यों को करने के लिये कमीशन पर अभिकर्ता के रूप में कार्यकरण:—]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १७, पंक्ति १४ में शब्द "Nine months" ["नौ महीने"] के स्थान पर शब्द "fifteen months"] ["पन्द्रह महीने"] रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १७, पंक्ति ३८ में शब्द "nine months" ["नौ महीने"] के स्थान

[सभापति महोदय]

१र [शब्द "fifteen months" ["पन्द्रह महीने"] रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[सभापति महोदय द्वारा खंड ३३ पर संशोधन संख्या ३१५, ३१६, २२५, २९७, १४५ और २२६ सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३४—(वह कारोबार जो राज्य बैंक नहीं करेगा)

सभापति महोदय : अब सरकारी संशोधन संख्या २८० रखा जायेगा ।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ १९, पंक्ति १९ के पश्चात् ये शब्द जोड़े जायें :—

"Provided that if any such building or other accommodation is not immediately required for any of the purposes of State Bank, the State Bank may utilize it to the last advantange by letting it out or in any other manner. "

["परन्तु यदि किसी इमारत अथवा अन्य स्थान की राज्य बैंक को अपने किसी प्रयोजन के लिये तुरन्त आवश्यकता न हो तो वह उसे किराये पर दे कर अथवा किसी अन्य रीति से उसका उपयोग कर सकता है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सशोधन संख्या १४६ प्रस्तुत किया जिस में यह व्यवस्था करने के लिये कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी राज्य बैंक में से जमा राशि से अधिक रुपया बिना पर्याप्त प्रतिभूति के न निकाल सकें। वह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन पर मत लेता हूं :

प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १९, पंक्ति १९ के पश्चात् ये शब्द जोड़े जायें :

"Provided that if any such building or other accommodation is not immediately required for any of the purposes of the State Bank, the State Bank may utilize it by letting it out or in any othor manner."

["परन्तु यदि किसी इमारत अथवा अन्य स्थान की राज्य बैंक को अपने किसी प्रयोजन के लिये तुरन्त आवश्यकता न हो तो वह किराये पर दे कर अथवा किसी अन्य रीति से उस का उपयोग कर सकता है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३५—(राज्य बैंक दूसरे बैंकों के कारोबार का अर्जन कर सकता है)

श्री ए० सी० गुह : मेरा संशोधन संख्या २८१ है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १९, पंक्ति २७ में

"Institution concerned" ["सम्बन्धित संस्था"] के पश्चात् "and are also approved by the Reserve Bank" ["और रक्षित बैंक द्वारा भी अनुमोदित हों"] शब्द जोड़े जायें ।

(श्री साधन गुप्त ने अपना संशोधन संख्या १५० प्रस्तुत किया ।)

डा० कृष्णस्वामी (कांची पुरम) : अब मेरा संशोधन सख्या १४८ है ।

सभापति महोदय : अच्छा ।

(डा० कृष्णस्वामी ने अपना संशोधन संख्या १४८ प्रस्तुत किया ।

सभापति महोदय : सभी संशोधन सभा के सम्मुख हैं ।

श्री साधन गुप्त : मेरे संशोधन संख्या १५० का उद्देश्य यह है कि अन्य बैंकों के कारोबार का अर्जन करने के बाद राज्य बैंक का एकाधिकार हो जाना चाहिये और उन बैंकों का कारोबार बन्द हो जाना चाहिये । खंड ३५ में उन के कारोबार के अर्जन की व्यवस्था है पर यह व्यवस्था नहीं है कि इस के बाद वह बैंक कारोबार नहीं करेंगे ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इसी कारण मैंने खंड ३५ में उपखंड (५) जोड़ कर इस की व्यवस्था की है ।

डा० कृष्णस्वामी : मैं प्रसन्न हूं कि वित्त मंत्री ने विशेषज्ञों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर के सीधे इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का कार्य शुरू किया । मैं समझता हूं कि विधेयक में क्षमता प्रदान करने वाला यह खंड ३५ नहीं होना चाहिये। हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिये कि जब तक हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं तब तक हमें राज्य-संबद्ध बैंकों, जो ठीक प्रकार कार्य चला रहे हैं, का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये। इस के लिये सरकार को संकल्प प्रस्तुत कर के दोनों सभाओं की स्वीकृति लेनी चाहिये, न कि मनमाने ढंग से यह कार्य करना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : खंड ३५ के अनुसार सरकार को अधिकार होगा कि वह जितने चाहे उतने बैंकों का अर्जन कर सकती है । अतः इस खंड ३५ के पारित हो जाने पर केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक और राज्य-बैंक तीनों मिलकर मनमानी शर्तों पर बैंकों का अर्जन कर लिया करेंगे । मैं समझता हूं कि इन मामलों में संसद् को भी छानबीन करने की सुविधा होनी चाहिये । अतः जो संशोधन रखा गया है वह बिल्कुल तर्क-संगत है ।

एक बात और है । संविधान चतुर्थ (संशोधन) विधेयक, जो अब एक विधेयक बन गया है, में एक धारा ३१ (२क) है । वैधानिक विशेषज्ञों को संदेह है कि कहीं संविधान की धारा ३१ (२क) और खंड ३५ से कुछ संघर्ष न हो या ये दोनों एक दूसरे का उल्लंघन न करें ।

श्री ए० सी० गुह : बक समवाय अधिनियम में कुछ उपबन्ध हैं कि कुछ बैंक आपस में अपना विलय कर सकते हैं । हम ने इस में कोई नई बात नहीं रखी है। राज्य बैंक के लिये यह संभव नहीं होगा कि वह प्रत्येक बार संकल्प के अनुमोदन के लिये संसद् के सामने आये । यह एक प्रशासकीय विधान है और बैंकिंग समवाय अधिनियम में भी लगभग इसी प्रकार का एक उपबन्ध है । यह एक ऐच्छिक विलय है । अतः हम इस संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १६, पंक्ति २७ में, "Institution concerned" ["सम्बन्धित संस्था"] के पश्चात् "and are also approved by the Reserve Bank" ["और रिजर्व बैंक द्वारा भी अनुमोदित हों "] शब्द जोड़े जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(सभापति महोदय द्वारा संशोधम संख्या १५० तथा १४८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३५, सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३६--(एकीकरण तथा विकास निधि)

श्री साधन गुप्त : मैं सशोधन संख्या १५१ प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा श्री साधन गुप्त का संशोधन संख्या १५१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३८--(लाभों का वितरण)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ २१, पंक्ति ६, में से "annual" ["वार्षिक"] शब्द हटा दिया जाये ।

श्री साधन गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या १५२, १५३, १५४ तथा १५५ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा मत है कि रिजर्व बैंक को देय लाभांश पर कोई निर्बन्धन न लगाया जाये। इसलिये मैंने संशोधन संख्या १५४ रखा है । संशोधन संख्या १५५ में मैंने बताया है कि गैर सरकारी क्षेत्र के लाभांश पर रोक होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मैंने संशोधन संख्या १५२ व १५३ कर्मचारियों की स्थिति की रक्षा के लिये रखा है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१, पंक्ति ६ में से "annual" ["वार्षिक"] शब्द हटा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५२, १५३, १५४ तथा १५५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३९ तथा ४० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ४१—(लेखापरीक्षा)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २२, पंक्ति ३५ के पश्चात् निम्न अंश जोड़ा जाये :

"(7A) The auditors shall also forward a copy of the audit report to the State Bank."

["(७क) लेखा परीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य बैंक के पास भी भेजनी होगी"]

(श्री साधन गुप्त ने संशोधन संख्या १५६ तथा १५७ प्रस्तुत किये ।

श्री एस० एल० सक्सेना ने संशोधन संख्या ३१७ प्रस्तुत किया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २२, पंक्ति ३५ के पश्चात् निम्न अंश जोड़ा जाये :

"(7A) The auditors shall also forward a copy of the audit report to the State Bank."

["(७क) लेखा परीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य बैंक के पास भी भेजनी होगी"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५६, १५७ तथा ३१७ मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सरदार हुक्म सिंह : हमें राष्ट्रपति-भवन के उत्सव में जाना है और इस विधेयक को समाप्त करने में अभी बहुत समय लगेगा । क्या हम लोग चर्चा जारी रखेंगे?

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय के अनुसार यह निदेश दिया है कि यह विधेयक आज ही समाप्त करना है ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : यह केवल कार्य मंत्रणा समिति का ही निश्चय नहीं है, अध्यक्ष महोदय ने भी इस निश्चय को सभा के सामने पेश किया था । मैं ने एक औपचारिक संकल्प प्रस्तुत किया था और सभा ने उसे स्वीकार किया था । अतः यह सभा का आदेश था ।

श्री वेंकटरामन् : प्रेस विधेयक की चर्चा होते समय हम ९ या १० बजे रात तक रुके थे ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि कार्य मंत्रणा दाता समिति ने इस विधेयक को २० घंटे दिये हैं । मैं सभा का मत जानना चाहता हूं । जो सदस्य यह चाहते हैं कि इस विधेयक पर अभी आगे चर्चा न की जाये वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

[खड़े होने वाले सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१. श्री एस० एस० मोरे ।
२. सरदार हुक्म सिंह ।
३. श्री सारंगधर दास ।
४. श्री साधन गुप्त] ।

सभापति महोदय : तो सभा का यह अभिप्राय है कि हमें विधेयक पर चर्चा तथा अन्य कार्यवाही जारी रखनी चाहिये ।

[सभापति महोदय]

खंड ४२—(राज्य बैंक के संतुलन पत्र इत्यादि पर सामान्य बैठक में चर्चा की जाये)

(श्री साधन गुप्त ने अपने संशोधन संख्या १५८ और १५९ प्रस्तुत किये)

श्री साधन गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या १५८ प्रस्तुत करता हूं जिस में यह कहा गया है कि :

(१क) कर्मचारियों के प्रतिनिधि राज्य बैंक के प्रधान कार्यालय की वार्षिक सामान्य बैठकों में भाग ले सकें; और

(१ख) कुल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के द्वारा जारी किये अंशों को प्रतिनिधियों की संख्या से भाग दे कर जो संख्या आयेगी उन में से प्रत्येक को उतने ही मत देने का अधिकार होगा ।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या १५९ इस प्रकार है कि :—

पृष्ठ २३, पंक्ति ९ में "अंशधारी" शब्द के पश्चात् "और कर्मचारियों के प्रतिनिधि " शब्द रखे जायें ।

मैं ने केन्द्रीय बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को स्थान देने का असफल प्रयास किया । मुझे आशा है कि कम-से-कम वार्षिक सामान्य बैठकों में उन के प्रतिनिधियों को भाग लेने तथा मतदान करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

संशोधन संख्या १५९ में यह उपबन्ध किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा चुना गया प्रत्येक प्रतिनिधि उतने मत देने का अधिकारी होगा जो कि वार्षिक सामान्य बैठकों में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा कुल जारी किये गये अशों को भाग दे कर आय । वे लोग लाभ तथा संतुलन पत्र इत्यादि पर भी चर्चा कर सकेंगे ।

सभापति महोदय : ये दोनों संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रम मंत्री तथा प्रधान मंत्री जो कि दैवयोग से यहां उपस्थित हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं इन संशोधनों पर आग्रह करूं । श्रम मंत्री ने कहा है कि वह विशेष व्यावसायिक संगठनों के निदेशन में कर्मचारियों के सहयोग की योजनायें प्रस्तुत कर रहे हैं । इसी प्रश्न पर प्रधान मंत्री ने भी कई बार कहा है कि कार्य जड़ से किया जाना चाहिये, केवल ऊपर से कोई चीज थोपना उचित नहीं होता, इत्यादि । मैं यह देखना चाहता हूं कि बैंकों के निदेशन में कर्मचारियों के सहयोग की यह भावना कहां तक क्रियान्वित की जाती है तथा मंत्रिमंडल के कितने सदस्य, जो यहां उपस्थित हैं, इन संशोधनों पर आग्रह करते हैं ।

श्री ए० सी० गुह : हम संशोधनों का विरोध करते हैं ।

[सभापति महोदय द्वारा सशोधन संख्या १५८ तथा १५९ मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड ४२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४३ से खंड ४५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ४६—(निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों तथा स्थानीय समितियों को तारण दिया जाना, इत्यादि)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं पृष्ठ २४ की पंक्ति ६ और ७ में कुछ परिवर्तन करने के

सम्बन्ध में संशोधन संख्या १६० प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा उक्त संशोधन मतदान के लिये रखा गया जो अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४७ तथा ४८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ४९—(केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २४, पंक्ति ३५ और ३६ में "in cases where shares in the Imperial Bank have been held by more than one persons" ["उन मामलों में जहां इम्पीरियल बैंक के अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिये गये हैं"] के स्थान पर "in all cases, including cases where shares in the Imperial Bank have been held by more than one person, or where they have been transferred before the appointed day but the transfer has not been registered." ["उन सभी मामलों में, जिनमें वे मामले भी सम्मिलित हैं, जहां कि इम्पीरियल बैंक के अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिये गये हैं, अथवा जहां वे निश्चित दिन को हस्तांतरित किये गये किन्तु यह हस्तांतरण पंजीयित नहीं हुआ ।"] अंश रखा जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ....

श्री एच० एन० मूकर्जी : मैं जानता हूं कि हम सब लोग शीघ्रता में हैं किन्तु इन संशोधनों की व्याख्या करनी आवश्यक है । अभी कुछ समय पूर्व एक संशोधन प्रस्तुत किया गया किन्तु सरकार ने उस का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा ।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रार्थना करें तो माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं, किन्तु उत्तर देना अथवा न देना माननीय मंत्री की इच्छा पर निर्भर है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं व्यक्तिगत व्याख्या के रूप में दो एक शब्द कहूंगा । कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये बड़े संशोधन पर मैं पहिले ही भाषण दे चुका हूं । और मैं उस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर चुका । जब यह प्रश्न चर्चा के लिये लाया गया तो उपयुक्त समय पर मैं इस पर विचार करने के लिये प्रस्तुत था । आप इस प्रकार के विधेयक में अपना कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सके । अतः अग्रेतर उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २४, पंक्ति ३५ और ३६ में "in cases where shares in the Imperial Bank have been by more than one person"

[सभापति महोदय]

["उन मामलों में, जहां इम्पीरियल बैंक के अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिये गये हैं"] के स्थान पर "in all cases, including cases where shares in the Imperial Bank have been held by more than one person or where they have been transferred before the appointed day but transfer has not been registered." ["उन सभी मामलों में, जिन में, वे मामले भी सम्मिलित हैं जहां कि इम्पीरियल बैंक के अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिये गये हैं, अथवा जहां वे निश्चित दिन को हस्तांतरित किये गये किन्तु यह हस्तांतरण पंजीयित नहीं हुआ"] अंश रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५०—(केन्द्रीय बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता

(१) पृष्ठ २५, पंक्ति १७ से २२ के स्थान पर यह अंश रखा जाये :—

"(d) the number of elected or nominated members of Local Boards and Local Committees, the terms of office of the members, the manner of their election or nomination, the formation and constitution of committees of Local Boards, the powers, functions and duties of Local Boards, Local Committees and Committees of Local Boards, the holding of meetings of Local Boards, Local Committees and committees of Local Boards and the conduct of business thereat;"

["(घ) स्थानीय बोर्डों के निर्वाचित अथवा नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कार्यावधि, उन के निर्वाचन अथवा नामनिर्देशन का तरीका, स्थानीय बोर्डों की समितियों का गठन तथा निर्माण, स्थानीय बोर्डों की शक्तियां, उन के कृत्य तथा कर्त्तव्य, स्थानीय समितियां और स्थानीय बोर्डों की समितियां, स्थानीय बोर्डों की बैठकों का आयोजन, स्थानीय समितियां तथा स्थानीय बोर्डों की समितियां, तथा उन में कार्य-संचालन; "]

(२) पृष्ठ २६, पंक्ति २७ म,

"by this Act to be prescribed ["इस अधिनियम द्वारा विहित किया जायेगा"] के स्थान पर "for the purpose of this Act" ["इस

अधिनियम के प्रयोजन के लिये"] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ २६ में, पंक्ति २७ के पश्चात् यह शब्द रखे जायें :—

"(ss) the payments of dividends, including interim dividends;" ["(घघ) अन्तरिम लाभांशों सहित, लाभांशों की अदायगी;"]

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप माननीय मंत्री से इस संशोधन के प्रयोजन की व्याख्या करने की प्रार्थना करेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह बहुत साधारण, तथा बहुत कुछ स्वयंसिद्ध संशोधन हैं । पहिले में स्थानीय बोर्डों द्वारा समितियों के निर्माण का उपबन्ध है । स्थानीय बोर्डों की समितियों का निर्माण तथा गठन और उन की शक्तियां विनियमों में दी गई हैं तथा ऐसा विनियम बनाने के लिये खंड ५० (घ) पर संशोधन आवश्यक है ।

दूसरा संशोधन विशुद्ध औपचारिक है, हमारा ख्याल है कि इस से प्रारूप का सुधार होगा । अंतिम संशोधन, वार्षिक लाभांशों के अलावा अन्तरिम लाभांश देने की व्यवस्था करता है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २५, पंक्ति १७ से २२ के स्थान पर यह अंश रखा जाये :—

"(d) the number of elected or nominated members of Local Boards and Local Committees, the terms of office of the members, the manner of their election or nomination, the formation and constitution of committees of Local Boards, the powers, functions and duties of Local Boards, Local Committees and committees of Local Boards, the holding of meetings of Local Boards, Local Committees and committees of Local Boards and the conduct of business thereat;"

["(घ) स्थानीय बोर्डों के निर्वाचित अथवा नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कार्यावधि, उन के निर्वाचन अथवा नामनिदशन का तरीका, स्थानीय बोर्डों की समितियों का गठन तथा निर्माण, स्थानीय बोर्डों की शक्तियां, उन के कृत्य तथा कर्त्तव्य, स्थानीय समितियां और स्थानीय बोर्डों की समितियां, स्थानीय बोर्डों की बैठकों का आयोजन, स्थानीय समितियां तथा स्थानीय बोर्डों की समितियां, तथा उन में कार्य-संचालन;"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ २६, पंक्ति २७ में

"by this Act to be prescribed" ["इस अधिनियम द्वारा विहित किया जायेगा "] के स्थान पर "for the purpose of this Act" ["इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २६ में, पंक्ति २७ के पश्चात् यह शब्द रखे जायें :

"(ss) the payment of dividends including interim dividends"

["(घच) अन्तरिम लाभांशों सहित, लाभांशों की अदायगी;"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५०, संशोधित रूप में, विधेयक जोड़ दिया गया ।

खंड ५१—(इम्पीरियल बैंक का समाप्त किया जाना और १९२० के अधिनियम ४७ का निरसन)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २६, पंक्ति २५ में, "As from the appointed day" ["जैसा कि निश्चित दिन से"] शब्दों के स्थान पर "On the appointed day" ["निश्चित दिन को"] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ २७, पंक्ति १ में "As from the appointed day" ["जैसा कि निश्चित दिन से"] शब्दों के स्थान पर "On the appointed day" ["निश्चित दिन को "] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ २७, पंक्ति ७ में, "As from the" ["जैसा कि उस से "] शब्दों के स्थान पर "On and from the" ["को और उस से "] शब्द रखे जायें ।

उक्त संशोधन न्यनाधिक रूप म प्रारूप से सम्बन्ध रखते हैं ।

सभापति महोदय : मैं इन सशोधनों पर सभा का मत लूंगा । प्रश्न यह है :

पृष्ठ २६, पंक्ति ३५ में, As from the appointed day" ["जैसा कि निश्चित दिन से"] के स्थान पर "On the appointed day" ["निश्चित दिन को"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २७, पंक्ति १ में, "As from the appointed day" ["जैसा कि निश्चित दिन से"] शब्दों के स्थान पर "On the appointed day" ["निश्चित दिन को"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

पृष्ठ २७, पंक्ति ७ में, "As from the" ["जैसा कि उस से"] शब्दों के स्थान पर "On and from the" ["को और उस से "] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड ५१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५१ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५२—(१९३४ के अधिनियम २ का संशोधन)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २७, पंक्ति ६ में से "As from the appointed day" [जैसा कि निश्चित दिन से"] शब्द हटा दिये जायें ।

यह भी केवल भाषा सम्बन्धी परिवर्तन है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ २७, पक्ति ६ में से "As from the appointed day" ["जैसा कि निश्चित दिन से"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है .

"कि खंड ५२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५२ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५३—(१९४९ के अधिनियम १० का संशोधन)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ २७ पर पंक्ति १२ में से "As from the appointed day" ["जैसा कि निश्चित दिन से"] शब्द हटा दिये जायें

यह भी प्रारूप-सुधार के सम्बन्ध में है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २७ पर, पंक्ति १२ में से "As from the appointed day" ["जैसा कि निश्चित दिन से"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड, ५३ "संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

प्रथम अनुसूची

श्री साधन गुप्त : मैं अपने संशोध संख्या १७६ और १७८ प्रस्तुत करता हूं । प्रथम अनुसूची बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि, सर्वप्रथम, यह वर्त्तमान इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों को प्रतिकर देने की व्यवस्था करती है; दूसरे, इस कारण कि यह रक्षित बैंक को दिये जाने वाले लाभांश के निर्बन्धन सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था करता है । प्रतिकर के सम्बन्ध में, हम ने यह मत व्यक्त कर दिया है कि हम अंशों के अंकित (प्रत्यक्ष) मूल्य से अधिक प्रतिकर देने के पक्ष में नहीं हैं ।

मैं आप का ध्यान अनुसूची की कंडिका ३ में की गई व्यवस्था की ओर भी दिलाना

[श्री साधन गुप्त]

चाहता हूं जो कि इम्पीरियल बैंक के अंश-धारियों को लाभांश देने के सम्बन्ध में है। मैं इस कंडिका का विरोध करता हूं। तथा इस का निरसन करने के पक्ष में हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अंशों से सम्बन्धित रक्षित बैंक को दिये जाने वाले लाभांशों में कोई निर्बन्धन नहीं होना चाहिये क्योंकि इस राशि का देश के विकास में उपयोग किया जायेगा। किन्तु निजी (गैर-सरकारी) क्षेत्र को अधिकाधिक लाभांश देने के उद्देश्य से रक्षित बैंक के अंशों को निर्बन्धित कर दिया गया है। हम इस का पूर्णतः विरोध करते हैं।

सभापति महोदय : प्रथम अनुसूची पर अन्य संशोधन भी प्रस्तुत किये जायें।

(निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री वी० पी० नायर	६६, ६८, ६९
श्री एस० एस० मोर	२९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३
श्री आर० डी० मिश्र	८
श्री एस० एल० सक्सेना	३१८
श्री साधन गुप्त	१७१)

श्री मोहनलाल सक्सेना (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २८, पंक्ति ८ में से "full" ["पूरा"] शब्द हटा दिया जाये।

श्री ए० सी० गुहः मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २८ और २९ में, क्रमश पंक्ति ३७ और ३८ तथा पंक्ति १ से ५ तक, के स्थान पर, यह अंश रखा जाये,

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (I), any person who is registered as the holder of a share in the Imperial Bank on the 19th day of December 1954 and continues to be so until the appointed day shall, if he applies in writing in this behalf to the Reserve Bank before the expiry of three months from the appointed day, be entitled to be paid, by cheque drawn on the Reserve Bank, any compensation payable to him upto the first tenthousand Rupees."

["(२) उपकंडिका (१) में किसी भी व्यवस्था के रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो कि १९ दिसम्बर, १९५४ को, किसी अंश के अंश- धारी के रूप में, पंजीयित हुआ है तथा निश्चित दिन तक उसी स्थिति में रहता है, यदि निश्चित दिन से तीन महीने बीतने से पूर्व वह इस सम्बन्ध में रक्षित बैंक को लिखित आवेदन देता है, तो वह पहिले दस हजार रुपये तक, रक्षित बैंक की चैक से कोई भी प्रतिकर अदा किये जाने का अधिकारी होगा।"]

सभापति महोदय : संशोधन संख्या २५६ तो संशोधन संख्या १७८ जैसा है, अतः उस को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यह सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री एस० एस० मोरे : अंशधारियों को प्रतिकर के भगतान के प्रश्न को हम

बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न मानते हैं क्योंकि इस से उस कार्यवाही का निश्चय होगा जो हम समाजवादी ढंग की समाज की स्थापना करने के लिये करना चाहते हैं । श्रीमान्, सरकार ५०० रुपये के प्रदत्त अंश के लिये १,७६० रुपये, आदि का भुगतान करेगी । इस का कारण यह बताया गया है कि अंशों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है । परन्तु मुझे यह आपत्ति है कि इम्पीरियल बैंक के अंश मूल्य में वृद्धि होने का कारण यह है कि सरकार इस बैंक को सदैव ही अपना प्रतिपालन प्रदान करती रही है । इस के कारण इस के अंशों के मूल्य में वृद्धि हो गई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बैंक को सरकार द्वारा एकाधिकार देने का पूंजीकरण होना चाहिये जैसे कि किसी दुकान की आस्तियों का हस्तान्तरण करते समय उस की ख्याति का भी मूल्यांकन किया जाता है । १९४८ से १९५४ तक इम्पीरियल बैंक के अंश के मूल्य में हुई वृद्धि, जिसे सरकार प्रतिपालन प्रदान करती रही, तथा बैंक आफ बड़ौदा और युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के अंशों में हुई वृद्धि के आंकड़ों को देखने से विदित होता है कि इम्पीरियल बैंक के ५०० रुपये के अंश का मूल्य, १९४८ में २०११ रुपये ११ आने से बढ़े कर १९५४ में १७६५ रुपये १० आने हो गया, जब कि बड़ौदा बैंक के १०० रुपये के अंकित मूल्य के अंश का १९४८ में १५९ रुपये १३ आने मूल्य था और १९५४ में १०८ रुपये ९ आने होगा तथा यूनाइटेड कॉमिर्शियल बैंक के ५० रुपये के अंकित मूल्य के अंश का मूल्य १९४८ में ६४ रुपये १५ आने था और १९५४ में घटकर ४३ रुपये १४ आने होगा । इस बात से यह परिणाम निकलता है कि इम्पीरियल बैंक के अंश के मूल्य में जो भी वृद्धि हुई उस का एक मात्र कारण सरकारी प्रतिपालन का होना है । अब यह प्रश्न पैदा होता है कि सरकारी प्रतिपालन के लिये, जिस के कारण मूल्य में इतनी वृद्धि हुई, हमें क्या प्राप्त हो रहा है ? अतः ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिये कि अपने प्रतिपालन का, जो उस ने इम्पीरियल बैंक को दिया, मूल्यांकन करे और फिर अंश का मूल्य निर्धारित करे । क्योंकि सरकार ने, ऐसा नहीं किया है इसलिये मैं ने इसी सम्बन्ध में संशोधन संख्या ३०१ प्रस्तुत कर दिया है । मैं महसूस करता हूं कि सरकारी प्रतिपालन का मूल्य ३० प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है । यदि हम इस मूल्य को अंश के मूल्य से निकाल दें तो उस का मूल्य लगभग १२३५ रुपये १५ आने प्रति अंश रह जाता है । सरकारी प्रतिपालन के कारण ही इम्पीरियल बैंक १६ प्रति शत लाभांश, आय कर से मुक्त, दे सकता है । कुछ अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये लाभांश की मैं ने गणना की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि केवल बैंक आफ मैसूर तथा करूर व्यास बैंक ही १५ प्रतिशत लाभांश दे सके हैं । इम्पीरियल बैंक के इतना लाभांश देने का कारण भी सरकारी प्रतिपालन ही है । सरकार को इस का अवश्य ध्यान रखना चाहिये और इस का मूल्य ३० प्रतिशत निर्धारित कर के उस के बाजार मूल्य में ३० प्रतिशत कमी कर देनी चाहिये ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मेरे संशोधन संख्या ३१८ में कहा गया है कि पृष्ठ २८ पर १२ से १५ तक की पंक्तियों के स्थान पर "at the rate at which the shares were purchased" ["उस दर पर जिस पर अंश क्रय किये गये थे"] शब्द रखे जायें । इस का पहिला कारण यह है कि अधिकतर ये अंशधारी वे ही लोग हैं जिन्होंने मूल अंशों का क्रय किया था, अतः इन्होंने कभी भी अंश के मूल मूल्य से अधिक भुगतान नहीं किया है । अपितु,

[श्री एस० एल० सक्सेना]

सदैव ही उन्हें अन्य बैंकों की अपेक्षा अधिक लाभांश प्राप्त होता रहा है । अतः मेरा निवेदन है कि इन अंशधारियों को केवल उतना ही भुगतान किया जाये जितना कि उन्होंने अंशों को प्राप्त करने के लिये किया था । इन अंशों के मूल्य में वृद्धि होने का एक कारण यह भी है कि इन्हें सदैव ही सरकार का प्रतिपालन प्राप्त होता रहा है इस के फलस्वरूप एक अंश का मूल्य मूल मूल्य की अपेक्षा लगभग चार गुना हो गया है । परिणाम यह होगा कि इम्पीरियल बैंक में अपना अंश बेचकर वह व्यक्ति राज्य बैंक में पिछले अंश की अपेक्षा चार गुना मूल्य के अंश ले सकता है । यह बड़ी ही असाधारण बात है । अतः मेरा सुझाव है कि इस क्षतिपूर्ति में कमी अवश्य होनी चाहिये ।

समाचारपत्रों से मुझे विदित हुआ है कि क्षतिपूर्ति में कमी न करने का मुख्य कारण यह है कि सरकार ने पहिले ही अंशधारियों को आश्वासन दिया है कि वह उन्हें उस दर पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेंगे जिस पर उन्होंने रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करते समय किया था । मेरा ख्याल है कि सभा में इस पर विचार होने के पूर्व ही इस प्रकार का आश्वासन देना अनुचित है । ऐसी बातों पर संसद् में विचार होने से पूव ही कोई निश्चय कर लेना संसद् का अपमान करना है, और यदि आप यह पूर्वानुमान करते हैं कि हम आप के आश्वासनों को स्वीकार कर लेंगे तो, यह संसद् की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता का उल्लंघन हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि यह निकृष्ट क्षतिपूर्ति और निकृष्ट छूट है जो सरकार दे रही है । इस के अतिरिक्त, यह बहुत ही अनुचित है कि आप मजदूरों के उन अधिकारों को भी छीन रहे हैं जो उन्हें पहिले प्राप्त थे । आप ने उन्हें यह भी अधिकार नहीं दिया है कि उन्हें सेवाओं के स्थानान्तरण होने के कारण क्षतिपूर्ति मिलेगी जब कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उन्हें यह अधिकार प्राप्त है । यह बहुत ही अनुचित बात है । जिस सरकार ने समाजवादी ढंग के समाज के लिये शपथ ली है, यदि वही सरकार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करती है तो वह हमारी बुद्धि और उन आदर्शों का अपमान है जिन के प्रति हम सब हार्दिक श्रद्धा रखते हैं । एक ओर तो आप संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक में क्षतिपूर्ति का खंड पारित करते हैं और पूर्ण क्षतिपूर्ति न देने का अधिकार प्राप्त करते हैं, यद्यपि आप यह समझते हैं कि वह देश के हित में है, परन्तु दूसरी ओर अब आप यह क्या कर रहे हैं ? आप केवल पूर्ण ही नहीं अपितु चार गुनी क्षतिपूर्ति दे रहे हैं । यह बहुत अनुचित कदम है । यदि भविष्य में भी सरकार का यही रवैया रहा, तो मुझे इस में सन्देह नहीं जान पड़ता कि सरकार राज्य के लिये कोई सम्पत्ति प्राप्त कर सकेगी । इस के अतिरिक्त मेरा एक और निवेदन भी है । आप ने उपबन्ध किया है कि रिजर्व बैंक अपने अंशों को किसी भी व्यक्ति को दे सकता है बशर्तेकि उसके पास न्यूनतम सम्पत्ति हो । मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति दें और उसे चाहिये कि वह राज्य बैंक का अधिक-से-अधिक राष्ट्रीयकरण करे ।

श्री वी० पी० नायर : मेरे तीन संशोधन संख्या ६६, ६८ और ६९ हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि बाजार में प्रचलित दर देने का क्या विशेष कारण है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इम्पीरियल बैंक के अंश का मूल्य बढ़ने का कारण यह नहीं

है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिये इसे एक साधन बनाया था और इसे अपना सारा बैंक-व्यापार दे कर तथा अन्य प्रकार से पूर्ण प्रतिपालन प्रदान किया ? क्या इस समय जब कि हम ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने के लिये बैंक पर नियंत्रण करना चाहते हैं, अंशधारियों को उन के अंशों का इतना अधिक मूल्य देना उचित है ? मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दें ।

मेरे संशोधनों में यह सुझाव दिया गया है कि प्रथम अनुसूची में जिस मूल्य का सुझाव दिया गया है उस के बजाये उन अंशों का, जो प्रदत्त अंश हैं, केवल अंकित मूल्य, तथा उन अंशों का, जो अंशतः प्रदत्त अंश हैं, केवल उतना धन जितना प्राप्त हुआ है, दिया जाये । मेरे संशोधन संख्या ६९ का विषय यह है कि जिस व्यक्ति के पास इम्पीरियल बैंक का अंश तीन वर्ष तक रहा है, उसे अंकित मूल्य प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं है । इस का कारण यह है कि इम्पीरियल बैंक ने अन्य भारतीय बैंकों की अपेक्षा अत्यधिक लाभ कमाया है । अतः उन सब लोगों को, जिन के पास इस बैंक के अंश तीन वर्ष तक थे, अपनी विनियोजित पूंजी का पर्याप्त भाग लाभांश या लाभ के रूप में प्राप्त हो गया है । यह सब होते हुए, इसका क्या कारण है कि इस समय, जब कि सरकार इस बैंक के बैंक-व्यापार पर नियंत्रण करना चाहती है, इन लोगों को पूर्ण भुगतान का अधिकार है ?

श्री मोहन लाल सक्सेना : एक बार मैं फिर सभा को स्मरण करा दूं, कि इसका कारण केवल ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति की सिफारिशें ही नहीं है अपितु ४ फरवरी, १९४८ को उस समय के वित्त मंत्री के द्वारा सभा में की गई घोषणा भी थी कि सरकार इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करेगी और अंशधारियों को ३ प्रतिशत दीर्घकालीन स्कन्धों के बराबर मूल्य दिया जायेगा और कोई नकद भुगतान नहीं किया जायेगा । परन्तु इस के बावजूद हम उन को न केवल दीर्घकालीन स्कन्ध दे रहे हैं वरन् १०,००० रुपये नकद भी दे रहे हैं, और अंशों के आवंटन में प्राथमिकता भी दे रहे हैं । इस बार तो जैसा हुआ वैसा ही रहने दिया जाये, परन्तु भविष्य में औद्योगिक तथा बैंकिंग समवायों के अर्जन के समय प्रतिकर देने की इस प्रक्रिया का पालन न किया जाये । आशा है वित्त मंत्री ऐसा आश्वासन देने की कृपा करेंगे । जहां तक शब्द "पूर्ण" को हटाने का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि हम इस शब्द को रखेंगे तो सम्भव है कि ये मामले न्यायालय के सामने इस विनिश्चय के लिये भेजे जायें कि जो प्रतिकर दिया जाता है वह पूर्ण है या नहीं । अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन संख्या ६५ स्वीकार कर लिया जाये ।

हम ने रिजर्व बैंक के अंशों का लाभांश तो सीमित कर दिया परन्तु अन्य अंशधारियों को भुगतान किया जाने वाला लाभांश सीमित नहीं किया गया है । खंड ३६ के अन्तर्गत एकीकरण तथा विकास निधि की स्थापना की गई है । एक अन्य खंड के द्वारा यह उपबन्धित किया गया है कि रिजर्व बैंक को इन अंशों पर जो भी लाभांश प्राप्त होगा वह अनिवार्य रूप से इस निधि में चला जायेगा । परन्तु अन्य अंशधारियों को इसी प्रकार इस निधि में कोई अंश दान देने के लिये बाध्य नहीं किया गया है । इस का वास्तव में, क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता ? इस का अर्थ है कि इन शाखाओं के खोलने से यदि हानि होगी तो उस की पूर्ति इस निधि से की जायगी । परन्तु इस का उत्तरदायित्व अन्

[श्री मोहन लाल सक्सेना]

अंशधारियों पर नहीं रखा गया है । इस का क्या कारण है कि जब रिजर्व बैंक भी अन्य अंशधारियों के समान एक अंशधारी है तो उस पर ही यह सारा उत्तरदायित्व हो ?

मैं किसी सीमा तक यह बात समझ सकता था यदि उस लाभांश को भी किसी प्रकार सीमित किया जाता जो अन्य अंशधारियों को दिया जायेगा । इसलिये यदि आप लाभांशों को किसी प्रकार सीमित करना चाहते हैं तो अन्य अंशधारियों के लाभांशों को भी उसी प्रकार सीमित किया जाये जैसे कि रिजर्व बैंक के लाभांशों को सीमित किया गया है ।

मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिकर भुगतान प्रक्रिया को भविष्य में काम में नहीं लाया जायेगा । कुछ भी हो, मैं तो यही चाहूंगा कि औद्योगिक सार्थों तथा बैंकिंग समवायों के राष्ट्रीयकरण करने में हमें किसी प्रकार की अड़चन का सामना न करना पड़े ।

श्री आर० डी० मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो मैं ने अपना अमेंडमेंट पेश किया है उस का मंशा यह है कि जिस दिन यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था उस दिन बाजार का भाव जो रहा हो उस बाजार के भाव पर यह कम्पेन्सेशन दिया जाये । मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इस बारे में मुआवजा किस तरीके से दिया जा रहा है । आज भी शेयर का भाव १६५० रुपया है १७६५ रुपया १० आने नहीं है । मैं कोई फाइनेन्शियर नहीं हूं पर मैं यह समझना चाहता हूं कि यह मुआवजा देने की स्कीम किस तरीके से बनाई गई है । मैं ने चाहा कि मैं इम्पीरियल बैंक के शैयर्स की नार्मल वेल्यू निकाल कर देखूं । मैं यह जानना चाहता था कि जिस दिन से यानी सन् २१ से जब से यह इम्पीरियल बैंक बना है उस वक्त से इसके शेयर का क्या बाजार भाव रहा, कितना रुपया रिजर्व फंड में रखा गया और कितना डिवीडेंड दिया गया । लेकिन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में सन् २२ से सन् ३४ तक के किसी हिसाब का पता नहीं चला । हां, सन् ३४ मे, जो इनवेस्टमेंट इअर बुक है उस से, कुछ पता चलता है । उससे मैंने कुछ एदाद इकट्ठे किये हैं । उनसे पता लगता है कि सन् ३४ स सन् ४४ तक ६७,०५,००० रुपया सालाना डिवीडेंड में दिया गया, यानी मुनाफे का १२ परसेंट डिवीडेंड में दिया गया । उस वक्त रिजर्व फंड में भी सालाना १२,५०,००० रुपया के करीब डाला जाता था । सन् ४४ के बाद पांच बरस तक सालाना ७८,७५,००० डिवीडेंड बांटा गया । शरह डिवीडेंड १२ परसेंट से १४ परसेंट कर दी गयी । मैं ने सोचा कि यह डिवीडेंड की शरह १२ परसेंट से १४ परसेंट क्यों कर दी गयी तो पता चला कि सन् ४५ में बैंक आफ इंगलैंड नेशनलाइज किया गया और वहां पर यह तय किया गया था कि पिछले २० बरस में जो डिवीडेंड बांटा गया है उसी शरह से मुआवजा दिया जाएगा । यहां पर इम्पीरियल बैंक के डाइरेक्टरों ने भी यह सोचा कि शायद इम्पीरियल बैंक भी नशनलाइज हो जायगा । इसलिये उस के डिवीडेंड की परसेंटज बढ़ा दी । यानी उन्होंने १२ परसेंट से शरह १४ परसेंट कर दी और रिजर्व फंड में कम रुपया डालना शुरू कर दिया । सन् ४९ के बाद उन्होंने सन् ५४ तक ९० लाख रुपया डिविडेंड में बांटा । यानी १६ पर सेंट मुनाफा लिया । सन् ५० और ५१ में उन्होंने सिर्फ ५ लाख ही रिजर्व फंड म डाला । सन् ५२, ५३ और ५४ में एक पाई रिजर्व फंड में नहीं डाली । जब से आजाद हिन्दुस्तान की नई पार्लियामेंट बनी है यानी सन् १९५२ से इम्पीरियल बक के डाइरे-

क्टरों ने रिजर्व फंड में कोई पैसा नहीं डाला है और ९० लाख रुपया सालाना मुनाफा बांटा है। जब हिन्दुस्तान १५ अगस्त सन् ४७ को आजाद हुआ तब मुनाफा तो बढ़ा लिया पर रिजर्व फंड में केवल ढाई लाख रुपया डाला। यह रवैया इम्पीरियल बैंक के डाइरेक्टरों का हमारे आजादी के मूवमेंट के साथ रहा। जब से हमारी पार्लियामेंट बनी है उन्होंने रिजर्व फंड में पैसा डालना बन्द कर दिया। प्राफिट बहुत ज्यादा लिया है। मैं ने जोड़ कर देखा है कि ये सन् ३४ से आज तक १५,८६,२५,००० रुपया मुनाफा का ले चुके जब कि इनका केपीटल सिर्फ ५,६२,००,००० रुपया है। करीब करीब तिगुना मुनाफा तो ये लोग सन् १९३४ से बांट चुके हैं और सन् १९२२ से १९३३ तक जो मुनाफा बांटा वह अलग रहा। और अब भी हम आगे १७६५ रुपये के हिसाब से मुआवजा देना चाहते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैं ने सुना है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो यह ऐलान २० दिसम्बर १९५४ को कर दिया है वह पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने सन् ४८ में वायदा किया था उसी के मुताबिक था और उसी असूल के मुताबिक अब मुआबजा दिया जायेगा। मैं उसको मानता हूं। लेकिन उस वक्त यानी सन् १९४८ में पोजीशन यह थी कि पार्लियामेंट ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को मंजूर नहीं किया था। अभी पिछले दिसम्बर पार्लियामेंट ने इस को माना है। सन् १९५५ में आवड़ी कांग्रेस में इस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को माना गया है। तो मेरा कहना यह है कि सन् १९४८ के बाद दुनिया के और हिन्दुस्तान के हालात बहुत बदल गये हैं। ऐसी सूरत में मैं यह उम्मीद करता था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस मुआवजे के स्कीम को सोशलिस्टिक पैटर्न के ढंग पर लाने की कोशिश करेंगे।

सरकार शेयर खरीदेगी इस से भाव बढ़ जायेंगे और डर था कि शायद गवर्नमेंट को रुपया ज्यादा देना पड़ जाय इसलिये पिछले साल का औसत भाव लिया गया लेकिन पता यह लगा कि बावजूद इस यकीन दिलाने के कि १७६५ रुपये १० आने सालाना इस का मुआविजा दिया जायेगा १५ अप्रैल ५५ को बाजार बन्द होने पर और १६ अप्रैल को खुलने पर १५८० रुपये भाव था वह १६८० तक गया। और बाजार का भाव आज भी घटा हुआ है लेकिन जब बिल इस पार्लियामेंट में पेश होने लगा और मेम्बरान ने एतराज किया कि मुनाफा बहुत ज्यादा है तो स्पैकुलेटर्स के दिमाग में यह बात आई कि पार्लियामेंट शायद मुआवजे की दर घटा दे तब बढ़े हुए १६८० रुपये की जगह आज के अखबारों में बम्बई के भाव १६५० रुपये रह गये हैं, तो मेरी समझ में इतना ज्यादा मुनाफा देने की बात नहीं आती।

अभी हम लोगों ने कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया है, उस के दौरान में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह यकीन दिलाया था कि जिस किसी की जायदाद ली जायेगी, उस को पूरा मुआविजा दिया जायेगा मैं भी यह मानता हूं, जरूर देना चाहिये और उस के लिये हम कमिटेड हैं। किसी की जमीन, किसी की जायदाद या किसी का माल हम मुफ्त में छीन लेना नहीं चाहते और हम ने यह भी तय कर लिया कि पार्लियामेंट को यह अख्तियार रहना चाहिये कि कितना मुआविजा दिया जाये। जहां तक समाज के सुधारने का सवाल है, हमने पूरी तौर पर उस को सपोर्ट किया, अदालतों को यह अख्तियार नहीं होना चाहिये कि मुआविजा कम दिया

[श्री आर० डी० मिश्र]

गया या ज्यादा दिया गया, इस का निर्णय पार्लियामेंट को ही करना चाहिये । लेकिन यहां कम मुआवजे का सवाल नहीं है, यहां तो मुआविजा ज्यादा देने का सवाल है और पार्लियामेंट को और हम लोगों को पार्लियामेंट में बैठ कर यह सोचना है और समझना है कि यह मुआविजा कहीं हम ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं । यह ज्यादा देने की जब बात आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाये । जब हम इस बात को कह चुके और उस के लिये कमिटेड हैं कि मुनासिब मुआविजा दिया जाये तब इस को मुआविजा उस दिन के बाजार भाव पर देना चाहिये जिस दिन यह बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ परन्तु मिनिस्टर साहब का कहना है कि जिस स्कीम का वह ऐलान कर चुके हैं उस के अनुसार मुआवजा दिया जाये । कांग्रेस पार्टी ने यह बात मान ली है अब हमें इस मौके पर कुछ बोलना नहीं है और मेरा भी कर्त्तव्य है कि पार्टी में रहने के कारण उस का अनुशासन मानूं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो मुआविजा देना चाहते हैं उस को सपोर्ट करूं और उस के पक्ष में वोट करूं, क्योंकि पार्टी में रहते हुए और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हुए पार्टी के अनुशासन में चलना चाहिये और पार्टी की बात न मानना और अकेली अपनी राय पर अड़े रहना गलत बात है । जब हमारी पार्टी का यह निश्चय है कि इतना मुआविजा दिया जाये तो जरूर दिया जाये और मैं भी अपनी आवाज को उसी के साथ जोड़ूंगा और उस को सपोर्ट करूंगा . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया विधेयक पर बोलें दल के अनुशासन आदि पर नहीं ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं तो अपनी पर्सनल बात कह रहा था . . . .

सभापति महोदय : व्यक्तिगत दलीय अनुशासन का कोई प्रश्न नहीं है । उन्हें विधेयक पर बोलना चाहिये । मेरे विचार में वह भाषण समाप्त कर चुके हैं ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह था कि मेरी समझ में मुआविजा देने का वह उसूल नहीं आया और ज्यादा मुआविजा दे कर के हम किस तरीके से सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी इस देश में ला सकेंगे ? इसलिये जैसा मेरे भाई सक्सेना साहब ने कहा कि आयन्दा के लिये सरकार को कम से कम यह इतमिनान दिला देना चाहिये कि जो उसूल इस मर्तबा मुआविजा देने में रक्खा गया है, उस उसूल को आयन्दा इस तरीके की जायदादों को मुआविजा देने के सम्बन्ध में नहीं रक्खा जायेगा । जहां तक लक्ष्य का सवाल है कि कहां पहुचना है, इस में कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता लेकिन जो उस तक पहुंचने के रास्ते होते हैं, मीन्स होते हैं, उन में इख्तलाफ होता है और उन के सम्बन्ध में कुछ रायों में भिन्नता होती है और उस के विषय में मैं अपने फाइमेंस मिनिस्टर साहब की सेवा में अंग्रेजी में एक छोटा सा पद्य है निवेदन करता हूं :

"Show us not the aim without the way;

For ends and means on earth are so entangled;

That changing one, you change the other too;

Each different path brings other ends too."

["मार्ग दिखाये बिना लक्ष्य मत हमें दिखाओ;
साधन और ध्येय जग में हैं इतने उलझे;

आप बदलते एक, दूसरा स्वतः बदलता; भिन्न पथों से अन्य लक्ष्य भी मिल जाते हैं।"]

इन शब्दों के साथ मैं यह अर्ज करना चाहता था कि मैं अपने अमेंडमेंट पर जोर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में यह शुबहा है और जो भाव मैं नहीं समझा हूं उस को मेहरबानी करके वे मुझे समझा देंगे और रोशनी डालेंगे ताकि मार्केट वेल्यू की बात मालूम हो सके और मेरी समझ में आ सके। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेंडमेंट को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : इस विधेयक के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रतिकर का विरोध मुख्यतया अंकित मूल्य के आधार पर किया जा रहा है। उन माननीय सदस्यों की, जो मुझ से पहले बोल चुके हैं, यह धारणा है कि हाल में इम्पीरियल बैंक के अंश ५०० रुपये पर जारी किये गये थे। यह सत्य नहीं है। १९२० में, जबकि तीन प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय हुआ था, ५०० रुपये के अंश का अंश मूल्य २,२३० रुपये था और १९२० में औसत मूल्य १,८८१ रुपये था, जो कि इस विधेयक के अन्तर्गत दिये जाने वाले मूल्य से भी अधिक है। यह तर्क कि हम अंशों के मूल्य का तीन गुना या इस से भी अधिक दे रहे हैं, बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि १९२० में, जब कि बैंकों का विलय हुआ था, अंश का औसत मूल्य लगभग २,००० रुपये था।

मेरे मित्रों ने कहा है कि हमें किसी हालत में अंकित मूल्य से अधिक नहीं देना चाहिये और वित्त मंत्री ने स्वयं घोषणा की थी कि भविष्य में बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान करने की नीति का अनुसरण नहीं किया जायेगा।

यदि हम चाहते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र काम करता रहे, तो हमें उन्हें उचित प्रतिकर देना होगा। समस्त गैर सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की अवस्था में पूरा या आधा प्रतिकर देने का निश्चय यह सभा करेगी। परन्तु जब तक गैर सरकारी क्षेत्र काम करेगा तब तक हमें इस प्रकार राष्ट्रीयकरण करना चाहिये कि धन लगाने वाले लोगों का विश्वास बना रहे। यदि सभा यह निर्णय करती है कि राष्ट्रीयकरण की अवस्था में प्रत्यक्ष मूल्य दिया जाये तो इस नीति की घोषणा यहीं पर की जानी चाहिये। क्योंकि अभी सरकार या सभा ने यह नीति नहीं अपनाई है, इसलिये हमें उचित प्रतिकर देना ही चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : श्री मोहनलाल सक्सेना ने "full" ["पूरा"] पर आपत्ति की है और इसे हटाने का सुझाव दिया है। जब विधेयक बनाया गया था, निस्संदेह संविधान के अनुच्छेद ३१ का उप अनुच्छेद (२) इस रूप में नहीं था, जिस में इसे हम आज देखते हैं और हमें इस बात का निश्चय करना पड़ा कि हम न केवल प्रतिकर ही देंगे जिस का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जायेगा, किन्तु यदि मामला वहां पहुंच जाए तो न्यायालय इसे उचित युक्तियुक्त या न्यायसंगत अथवा पूरा या जो कुछ भी है या था, मानेगा, इसी अभिप्राय से हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। और भी . . .

श्री एस० एस० मोरे: उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है।

सभापति महोदय : प्रतिकर स्वयं पूरा होना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे: बेला बनर्जी और शोलापुर मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रतिकर का अर्थ है पूरा प्रतिकर।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं इस संशोधन को मानने को तैयार हूं। मैं तो केवल यह

[श्री सी० डी० देशमुख]

बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि "पूरा" शब्द यहां किस प्रकार निविष्ट किया गया था। मैं यह भी कहने वाला था कि इस का अर्थ, पर्याप्त या अपर्याप्त, उचित या न्यायसंगत से जैसा कि हम सोचते हैं अथवा प्रायः कहते हैं "पूरे भुगतान में . . .", बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार इस का उपयोग किया गया है और इसे निकालने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि स्वयं न्यायालय ने प्रतिकर की यह परिभाषा की है कि जो उस वस्तु के मूल्य के समान हो जिस पर कब्जा किया जा रहा है अतः इस बात का डर नहीं है कि कोई अंशधारी यह दावा करेगा—यदि संविधान में संशोधन न भी किया जाये—कि प्रतिकर नहीं मिला है। अतः मैं संशोधन संख्या ६५ स्वीकार करता हूं।

रक्षित बैंक को समान मूल्य पर जारी किये गये अंशों पर उसे दिये जाने वाले लाभांश पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी दूसरे संशोधन के बारे में माननीय सदस्य श्री साधन गुप्त ने विचार किया कि रक्षित बैंक पर यह अवांछनीय और अनुचित प्रतिबन्ध लगाया गया है यह प्रतिबन्ध न होने से जो स्थिति होगी उस पर आप विचार करें। प्रत्येक अंश पर कुल लाभांश में से अनुपात अनुसार भाग मिलेगा। मान लो ५ लाख अंश हैं और एक लाख अंश अधिक जारी कर दिये जाते हैं और बांटा जाने वाला कुल लाभांश ६० लाख रुपया है तो यह १० रुपये प्रति अंश होगा। पुराने अंशों को दिये गये मूल्य में प्रीमियम भी सम्मिलित होगा अर्थात् वे समान मूल्य पर न होंगे परन्तु क्योंकि हम उन के प्रत्यक्ष मूल्य के चार गुना मूल्य पर उन का अर्जन कर रहे हैं इसलिये उन्हें ४०० रुपये पर १० रुपये मिलेंगे। अतः उन की लाभांश की दर २½ रुपये होगी जब कि रक्षित बैंक को उसी अंश का १०० रुपये देने के कारण १० रु० मिलेंगे। मैं नहीं समझता कि अंशधारियों के लिये यह उचित होगा। इस के गुणावगुणों के बारे में हमारे चाहे कुछ भी विचार हों पर मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी हालत में जब कि अतिरिक्त अंश जारी रखने की सम्भावना हो और वे अंश उस मूल्य के एक चौथाई दामों से खरीदे जा सकें जो अन्य लोगों ने दिया है और उस पर लाभांश वही दिया जाये जो अन्य लोगों को दिया जाता है अर्थात् १० या १६ रुपये प्रति अंश तो क्या कोई व्यक्ति राज्य बैंक के अंश खरीदने का खतरा मोल लेगा। अतः इसे सीमित करना अत्यन्त आवश्यक है

इस के पश्चात् उन्होंने यह पूछा कि अन्य लोगों को भुगतान किये जाने वाले लाभांशों की भी क्या कोई सीमा होगी। स्पष्ट है कि यह मामला बिल्कुल हमारे हाथों में है। चूंकि केन्द्रीय सरकार के निदेशनों के अधीन रिजर्व बैंक राज्य बैंक का नियंत्रण करेगा, तो हम इस बात की सावधानी रख सकेंगे कि अंशधारियों को लाभांशों के रूप में अतिरिक्त भुगतान न किया जाये अतः अन्य अंशधारियों को भुगतान किये जाने वाले लाभांशों पर कोई सीमा लगाना आवश्यक नहीं है।

फिर, यह एक सामान्य विषय है। वाणिज्यिक बैंकों के अंशधारियों को भुगतान किये जाने वाले लाभांशों पर हम ने कोई सीमा नहीं लगायी है। यदि और जब भी हम ऐसा करेंगे, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा और परिणाम स्वरूप परिवर्तन करना पड़ेगा। पर जहां तक आज की स्थिति का सम्बन्ध है, इस में हमारी योजना के अधीन अंशधारियों या रिजर्व बैंक किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार किये जाने का कोई भय नहीं है।

तीसरी बात उन्होंने पूर्ण राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कही। हम लोग वह खंड पारित कर चुके हैं जिस से हमें ५५ प्रतिशत मिला है और शेष जनता को देने का अधिकार मिला है अतः इस मामले की भलाइयों बुराइयों और १९४८ के मूल सुझाव की बात अब उठाना व्यर्थ है कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। मैं बताना चाहता हूं कि यह योजना १९४८ की योजना से भिन्न है। १९४८ की योजना का इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं था पर इस योजना का है। हम इन शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम अन्य एककों, जिनमें से कुछ के नाम विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में आ गये हैं, का भी अर्जन करना चाहते हैं। अतः यह एक भिन्न योजना है और इस बैंक पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण हमें इस के सभी अंशों को अपने कब्जे में रखने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रत्येक बुद्धिमान सदस्य इस बात से सहमत होगा कि हमें अपनी पूंजी की आर्थिक व्यवस्था ठीक रखनी चाहिये।

मैं महत्त्वपूर्ण मामलों को लूंगा। प्रत्यक्ष मूल्य के सम्बन्ध में यह साधारण बातें हैं कि ५०० रुपये का १,५००–१,६०० अथवा १,८०० रुपये कैसे हो गया। जिस किसी को भी औद्योगिक उपक्रम के भाग्य विधायिनी अंशों के चलने का पता है वह इस का उत्तर दे सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर है कि समवाय कब आरंभ हुआ था और उस में कितनी रक्षित निधि और अन्य गुप्त निधि का उन्होंने संचय किया था, आस्तियों का कुल मूल्य क्या है इत्यादि। अंश के बाजार मूल्य में अधिकतर आस्तियों का मूल्य होता है। इस के बहुत से अपवाद हैं परन्तु फिर भी नियम यही है। अतएव मूल मूल्य पर जोर देना और या गणना करने का प्रयत्न करना कि कतिपय वर्षों में लाभाशों द्वारा उस पर क्या प्राप्त हुआ, ठीक नहीं है। प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में, और ऐसे उपक्रम के सम्बन्ध में भी जो एक दो पीढ़ियों से चल रहा हो इसी प्रकार के रोचक आंकड़े दिये जा रहे हैं। और उस का प्रतिफल इतना ही आश्चर्यजनक होगा। परन्तु जहां तक इस प्रयोजन का सम्बन्ध है जो हमारे दृष्टिकोण में है, वह गणना सर्वथा अप्रासंगिक है।

दूसरा प्रश्न बाजार भाव के सम्बन्ध में है।

साधारणतया, यदि हम किसी वस्तु को बिना किसी सूचना के ही अर्जित करना चाहें तो सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि पूर्ववर्ती व्यापारिक दिन को उस वस्तु की जितनी कीमत थी, उतनी कीमत लगाई जाये। (मैं यहां पर अपनी भविष्यत नीति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा––इस प्रश्न को मैं बाद में लूंगा) तो किसी वस्तु की कीमत के बारे में यहां पर ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था। इस बात पर विशेषज्ञ-समिति ने अपने प्रतिवेदन में प्रकाश डाला है। यह अत्यत मूल्यवान प्रतिवेदन है। प्रत्येक व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिये थी। हम ऐसा चाहते थे कि छोटे अंशधारियों को किसी प्रकार की कोई हानि न उठानी पड़े। इसीलिये, तो हमें एक सीमा निर्धारित करनी पड़ी, और हम इस सीमा के परे किसी भी परिवर्तन की ओर ध्यान न देंगे। इतिहास को सदैव यह लाभ रहता है कि वह अतीत को देख सकता है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि अंशों के मूल्य गिर रहे हैं। हो सकता है कि वे फिर से बढ़ भी जायें। तो हुआ यह है कि छोटे लोग प्रतिकर के रूप में पर्याप्त अथवा अपर्याप्त राशि के प्रदा करने के सम्बन्ध

[श्री सी० डी० देशमुख]

में होने वाली बातों को सुन कर व्यर्थ में ही घबरा गये हैं । उन्होंने अपने अंशों को शीघ्रता से बेचना प्रारम्भ कर दिया । अन्य लोग जिन्हें सरकार के आश्वासनों में पूर्ण विश्वास था, उन्होंने उन भागों को खरीद लिया ।

इन मूल्यों का प्रायः यही कारण है । अन्य किसी प्रतिफल को छोड़ कर, मैं समझता हूं कि इन मूल्यों की उपेक्षा कर के एक विशिष्ट तिथि को अपनाना ठीक होगा ।

श्री एस० एस० मोरे: यदि कुछ चालाक लोगों ने दूसरे लोगों से भाग खरीद लिये हों, तो उन्हें क्रय मूल्य दीजिये ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं यह कह रहा हूं कि उन लोगों को सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों में विश्वास रखने के कारण हानि नहीं पहुंचनी चाहिये ।

घोषणा क्यों की गई थी ? यह विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से है । हमें शीघ्र ही कार्यवाही करनी पड़ी थी ताकि सट्टे के कारण इन छोटे लोगों को पुनः हानि न उठानी पड़ती । एक कारण यह था कि प्रायः इसी प्रकार के शब्दों में एक आश्वासन पहले भी दिया जा चुका था । हम ने घोषणा में केवल उन्हीं शब्दों का पुनरानुमोदन किया है । कुछ माननीय सदस्य समाजवादी आर्थिक ढांचे की रूपरेखा के बारे में पूछ सकते हैं । इस का सीधा उत्तर यह है कि उस समय न अवाड़ी सम्मेलन था और न समाजवादी आर्थिक ढांचा ही था । संविधान का यह उपबन्ध कि प्रतिकर दिया जाना चाहिये, हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था । यह सच है कि हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि किस प्रकार संविधान के अनुच्छेद विशेष में संशोधन किया जाये । इस प्रश्न पर छः महीने तक विचार करने के उपरांत हम उस निर्णय पर पहुंचे, जो उस दिन प्रस्तुत किये गये विधेयक में दर्ज था, जिस दिन घोषणा की गई थी, अर्थात २० दिसम्बर, १९५४ । उसके परिणाम-स्वरूप प्रतिकर सम्बन्धी खण्ड विशेष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिस का यह अर्थ था कि यदि कोई न्यायालय से अपील करे, तो न्यायालय देखेगा कि पूर्ण अथवा ठीक एवं समुचित प्रतिकर दिया गया है । उन मामलों में बेला बनर्जी या अन्य दूसरे मामलों में प्रतिकर की यह परिभाषा दी गई है, कि वह मूल्य समान होगा और अन्य कुछ नहीं । हमें इस बात का निश्चय करना था कि यदि हम एक बार इस विधेयक को पारित कर दें, तो कोई भी न्यायालय उसे शक्ति से परे घोषित नहीं कर सकता । अब चार महीनों के पश्चात् पुराने उपबन्ध में परिवर्तन होने के पश्चात् जिस के अनुसार प्रतिकर के रूपों या तरीकों की न्याय्यता पर रोक लगा दी गई है, मैं समझता हूं, यह बात कही जा सकती है । दिसम्बर में हमें यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा परिवर्तन किया जायेगा । इसी कारण घोषणा की गयी थी । यद्यपि मैं इस बात का उत्तरदायित्व लेने को तैयार हूं, जिस का मैं यहां समर्थन कर रहा हूं, तो भी यह घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं की गई थी । क्योंकि मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मैं बता दूं कि समस्त सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था । यह सरकार का पक्का मत था और अब भी है कि हम ने जो आश्वासन हजारों भूधारियों को दिया था, उस को न तोड़ा जाये ।

मैं अंशधारियों के बारे में कुछ आंकड़े बताऊंगा । इम्पीरियल बैंक के १०,७४३ अंशधारी हैं, जिन में से ७,७८१ अंशधारियों के पास या तो ५०० रुपये या कम राशि

के छः पूर्ण प्रदत्त अंश हैं अथवा १२५ रुपये या कम राशि के २५ अंशतः प्रदत्त अंश हैं । कुछ सदस्य कह सकते हैं कि ये भी धनाढ्य हैं, पांच या छः अंश रखने वाले लोगों के ठहरने का कोई आधार नहीं है और उन्हें समाज के लिये अपनी धनदौलत को छोड़ देना चाहिये । परन्तु, तो भी मैं उन्हें छोटे अंशधारी समझता हूं, और उन में बहुत सी विधवायें और नाबालिग बच्चे हैं ।

लगभग २७ प्रतिशत अंश बैंकों, बीमा समवायों या न्यासों के पास हैं । छोटे अंशधारियों की अधिक संख्या होने के कारण ही हमें यह घोषणा करनी पड़ी थी ।

वास्तविक मूल्य के बारे में, मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम जो अधिग्रहण कर रहे हैं, वह उस राशि से कुछ अधिक है जो हम दे रहे हैं । क्योंकि अभी हम ने अधिग्रहण नहीं किया है, और जब तक विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक यह गैर सरकारी संस्था रहेगी, मैं इस का ब्यौरा नहीं बता सकता । मैं सभा से मेरे इन शब्दों पर विश्वास करने के लिये कहूंगा कि हम जो मूल्य दे रहे हैं उस की तुलना में अधिग्रहण की जाने वाली वस्तु का मूल्य अधिक है । सभा को स्मरण होगा कि यदि हम ने १९४८ में अधिग्रहण कर लिया होता, तो हमें संभवतः २००० रुपये देने पड़ते । कुछ वर्षों की प्रतीक्षा करने के पश्चात् हम १७६५ रुपये दे रहे हैं । इस मामले में अवसर की प्रतीक्षा करने के द्वारा हमने बहुत धन बचा लिया है । हमने कई वर्षों, २ वर्षों, और पांच वर्षों की औसत निकाली है, मैं ने पिछले १५ वर्ष तक विचार किया है और मैं ने १९३९ से आरम्भ हो कर १९५४ तक चलने वाले वर्षमंडल का विचार किया है । १७०० रुपये से १८०० रुपये तक औसत आती है । मैं ने निम्नतम और अधिकतम को लिया है । सब चीजों पर विचार करते हुए, मैं समझता हूं कि हम यह अच्छा सौदा कर रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उत्पन्न किया है कि क्या भविष्य के लिये भी यह दृष्टांत स्थापित हो जायेगा । मैं इस का उत्तर देने में असमर्थ हूं । यह परिस्थितियों पर अवलम्बित है । परन्तु यदि प्रश्न यह है कि क्या हम वही सूत्र अपना रहे हैं, अर्थात् क्या हम पिछले १२ महीनों की औसत दर्शाने वाली किसी तिथि-विशेष के आंकड़ों को ले रहे हैं, तो इस का उत्तर है कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है । मुझे मालूम नहीं है । ऐसा हो भी सकता है, और ऐसा करना हमारे लिये ठीक भी हो सकता है । उचित और न्यायसंगत का विचार करने के लिये और कई बातें हो सकती हैं । हो सकता है हम दूसरा दृष्टिकोण अपना लें । यदि यह आश्वासन न होता, तो मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि हम बहुत से अन्य विकल्पों का विचार करते । जिन्हें मैं ठीक समझता हूं, वह अकेला अधिकोषिक था और उस के पास अच्छा अच्छा व्यापार । १९३५ में, जब रक्षित बैंक स्थापित हुआ था, समस्त स्थिति परिवर्तित हो गई थी । मैं नहीं समझता कि १९३५ के पश्चात् इम्पीरियल बैंक को सरकारी सहायता के कारण कोई विशेष लाभ हुआ है । वह केवल रक्षित बैंक का अभिकर्ता था और नोटों आदि की तिजोरियों को संभाल कर रखता था तथा कुछ हुंडियों की सुविधायें देता था । यह बिल्कुल सच है कि बहुत से वाणिज्यिक बैंकों की यह शिकायत थी कि उन को इम्पीरियल बैंक की तुलना में धन प्रेषण के लिये बहुत अधिक दर देनी पड़ती । इस का यह अर्थ है कि संभवतः इम्पीरियल बैंक कुछ अधिक लाभ कमा रहा था । फिर यह लाभांश कहां जाते हैं ? जहां तक लाभांशों का सम्बन्ध है, बहुत समय तक लाभांश न्यूनाधिक १६ प्रति-

[श्री सी० डी० देशमुख]

शत चलते रहे । हम अंश मूल्य का विचार कर सकते थे, और कुछ अन्य समयावधियों का विचार कर सकते थ, और हम आस्तियों का भी विचार कर सकते थे । इस सूत्र विशेष के सम्बन्ध में उस अन्तर का कोई अस्तित्व नहीं है । मैं समझता हूं कि इस सभा को यह स्वीकार कर लेना चाहिये, केवल इसी कारण नहीं कि हम ने इसे बनाया, बल्कि इसलिये कि यह उचित है ।

एक माननीय सदस्य ने बहुत से आंकड़े दिए जिन में उस ने अन्य बैंकों के आंकड़ों से परिणाम निकालने का प्रयत्न किया । मेरे मतानुसार ये आंकड़े बिल्कुल असंगत हैं। यह सब कुछ विशिष्ट बैंकों की परिस्थितियों पर अवलम्बित है कि वे कब से चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी कितनी आस्तियां बना रखी हैं । एक विवरण प्रस्तुत किया गया है कि इस बैंक के अंश का अधिक मूल्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर अवलम्बित है। इस सहायता में समय-समय पर अन्तर होता रहा है । उदाहरण के लिये, जब यह बैंक १०० वर्ष पहले आरम्भ किया गया था, दिये गये आंकड़ों के अनुसार १९२१ से १९३१ तक १६ प्रतिशत, १९३१ से १९४४ तक १२ प्रतिशत, १९४५ से १९४९ तक१४ प्रतिशत, और १९५० से १९५४ तक १६ प्रतिशत । ध्यान देने वाली बात है कि १९३५ के पश्चात् अंशों का मूल्य पर्याप्त बढ़ गया । कुछ सदस्यों ने १९४५-४६ आदि के आंकड़ों का उल्लेख किया है । यदि हम १९४६ में बैंक खरीदते, तो हमें प्रति अंश २४०० रुपये या २६०० रुपये देने पड़ते, और अब क्योंकि मुद्राप्रसारण पर नियंत्रण हो गया है और अब धन का मूल्य कुछ बढ़ गया है, इसलिये २४०० रुपये के स्थान पर अंश का मूल्य १७०० रुपये रह गया है। अब, यदि हम भविष्य में अंश अधिग्रहण करना चाहते हैं, तो यह उस समय के मूल्यों पर अवलम्बित होगा, किन्तु जैसा कि मैं ने बताया, बाजार भाव का ही विचार अनिवार्य नहीं है, और भी किसी बात का विचार हो सकता है । राज्य बैंक की लाभ कमाने की क्षमता का विचार हो सकता है । इसलिये, मैं समझता हूं इसी आधार पर हमारे लिये इम्पीरियल बैंक के अंशों को अधिग्रहण करना उचित है । मैं समझता हूं कि मैं ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और मैं समझता हूं कि इन में से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८ और २९ में, पंक्ति ३७ और ३८ तथा पंक्ति १ से ५ तक, क्रमशः—के स्थान पर यह अंश रखा जाय :

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), any person who is registered as the holder of a share in the Imperial Bank on the 19th day of December, 1954, and continues to be so until the appointed day shall, if he applies in writing in this behalf to the Reserve Bank before the expiry of three months from the appointed day, be entitled to be paid, by cheque drawn on the Reserve Bank, any compensation payable to him

up to the first ten thousand rupees."

["(२) उपकंडिका (१) में किसी भी व्यवस्था के रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो कि १९ दिसम्बर, १९५४ को किसी अंश के अंशधारी के रूप में, पंजीयित हुआ है तथा निश्चित दिन तक उसी स्थिति में रहता है, यदि निश्चित दिन के तीन महीने बीतने से पूर्व वह इस सम्बन्ध में रक्षित बैंक को लिखित आवेदन देता है, तो वह पहिले दस हजार रुपये तक, रक्षित बैंक की चैक से कोई भी प्रतिफल अदा किए जाने का अधिकारी होगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

पृष्ठ २८, पंक्ति ८ में से, "full" ["पूरा"] शब्द हटा दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय संशोधन संख्या ६६ को सभा में मतदान के लिये रखने लगे तो कतिपय सदस्यों के संशोधन पर मत विभाजन की मांग की परन्तु सभापति महोदय ने यह निर्णय किया कि यदि मत विभाजन से मतदान सम्बन्धी निर्णय में परिवर्तन होने की संभावना हो तो तो उन्हें मत विभाजन पर आपत्ति न होती, परन्तु क्योंकि ऐसी संभावना नहीं थी अतः सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो कर अपना मत व्यक्त करें ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६८ और ३१८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३००, ३०१, ८, ३०२, १७१, ३०३, १७६, १७८, ६९ और २९९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ और प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ और प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिए गये ।

द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुसूचियां, खंड १, विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गये ।

श्री ए० सी० गुह: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये, "

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि खंड ३४ के सम्बन्ध में तीन मौखिक संशोधन हैं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि (१) पृष्ठ १८, पंक्ति २८ में "such sum prescribed" ["ऐसी विहित राशि"] शब्दों के स्थान पर "such sum as may be prescribed" ["ऐसी राशि जो विहित की जाए"] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ १८ पंक्ति ३४ और ३५ में "Safe responsibilities" ["सुरक्षित उत्तरदायित्वों"] शब्दों के स्थान पर "Several responsibilities ["पृथक-पृथक उत्तरदायित्वों"] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ १९, पंक्ति १४ में, "provided in the regulations"

[श्री ए० सी० गुह]

["विनियमों में उपबन्धित"] शब्दों के स्थान पर "prescribed" ["विदित"] शब्द रखा जाये ।

पहले दो संशोधन केवल मुद्रण की गलतियों को शुद्ध करने के लिये हैं और तीसरा केवल औपचारिक संशोधन है । यह कोई वास्तविक संशोधन नहीं है ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : माननीय मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये । तत्पश्चात् उन्होंने संशोधन रखे । यह नियमानुसार नहीं है । इन संशोधनों पर विचार नहीं किया जा सकता ।

सभापति महोदय : प्रथा यह है कि यदि औपचारिक संशोधन पहले प्रस्तुत न किये गये हों तो उन्हें तृतीय वाचन के समय प्रस्तुत किया जाता है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १८, पंक्ति २८ में "such sum prescribed" ["ऐसी विहित राशि"] शब्दों के स्थान पर "such sum as may be prescribed" ["ऐसी राशि जो विहित की जाये"] शब्द रखें जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १८, पंक्ति ३४ और ३५ में "Safe responsibilities" ["सुरक्षित उत्तरदायित्वों"] शब्दों के स्थान पर "Several responsibilities" ["पृथक-पृथक उत्तरदायित्वों"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९, पंक्ति १४ में, provided in the regulations" ["विनियमों में उपबन्धित"] शब्दों के स्थान पर "prescribed" ["विहित"] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

विधेयक के लिये नियत किया गया समय समाप्त हो गया है । मैं समझता हूं कि विधेयक पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । यदि तीसरे वाचन के अवसर पर चर्चा न भी की जाये तो भी कोई हानि नहीं है । परन्तु फिर भी यदि सभा की इच्छा देर तक बैठने की हो तो मैं उस से सहमत हूं । संभव है कि अधिक सदस्य चर्चा में भाग लेना न चाहें ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय सभापति जी, हमारे भाई श्री आल्तेकर ने परसों जो भाषण दिया उस में बहुत अच्छी तरह से गरीब देहातियों के सम्बन्ध में बताया कि आज कल क्या स्थिति है और उस पर गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से गौर करना चाहिये और जो सूचना उन्होंने दी है उस पर पूरी तरह से अमल करना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देहाती लोगों का कर्जा बढ़ रहा है और अनाज की कीमत घट जाने की वजह से उन की हालत और भी बुरी हो गई है । इसलिये स्टेट बैंक को एक तरफ तो उन को हल्के ब्याज पर कर्ज देना चाहिये और दूसरी तरफ गांव गांव में गोदाम खोल कर उन में किसानों को पैदा किया हुआ अनाज सुरक्षित

रखना चाहिये । इसी तरीके से अनाज का नुक्सान नहीं होगा। साथ ही गवर्नमेंट को उस अनाज को अच्छी कीमत पर किसानों को देना चाहिये । तभी किसानों को क्रेडिट की सहूलियतें मिल सकेंगी और वह उन का फायदा उठा सकेंगे । अनाज का उत्पादन भी इसी रीति से बढ़ सकेगा और देश की हालत सुधर सकेगी ।

एक और भी काम करना बहुत जरूरी है । आज मुझे खुशी है कि कुछ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में खेतों के टुकड़े इकट्ठे करने का काम हो रहा है । धान्य पैदा करने के लिये जितनी भी हो सके उतनी इकट्ठी जमीन एक जगह पर किसानों के पास होनी चाहिये तभी वह लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकेंगे और फर्टिलाइजर्ज़ तथा अन्य साधनों का उपयोग कर सकेंगे । गवर्नमेंट को इस विचार को ध्यान में रखते हुए एक एक किसान को इकट्ठी जमीन देनी चाहिये और सहकारी खेती के लिये ही किसानों के मन को उत्साहित करना चाहिये । भूदान आन्दोलन से ही यह प्रश्न नहीं हल हो सकेगा । बल्कि मैं तो समझता हूं कि भूदान से यह प्रश्न और भी कठिन हो जायेगा ।

इम्पीरियल बैंक बंद कर के स्टेट बैंक बनाने से ही हमारा काम पूरा न होगा । गरीबों का भला तो तब होगा जब कि आप के अफसरों के अन्दर जो भ्रष्टाचार है वह अच्छी तरह से दूर होगा । उस के बन्द होने पर ही गवर्नमेंट लोगों को लाभ पहुंचा सकती है ।

यह मेरी प्रार्थना है । साथ ही यह भी प्रार्थना है कि श्री आल्तेकर जी ने जो सूचना देहातियों के सम्बंध में दी हैं उस को ध्यान में रख कर उन पर अमल करने का प्रयत्न किया जाये ।

श्री साधन गुप्त: हम ने खंडों पर चर्चा समाप्त कर ली है । हम ने सरकार के समक्ष यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि प्रतिकर कम करना न्यायोचित होगा, बैंक के प्रबन्ध में कर्मचारियों को सम्बद्ध किया जाना चाहिये और कर से बचने वालों को अपवर्जित किया जाना चाहिये । परन्तु हम असफल रहे । इस प्रथम सरकारी उपक्रम के सम्बन्ध में सरकार ने जो प्रवत्ति दिखाई है मैं उस का सख्त विरोध करता हूं ।

इस प्रकार दरिद्र लोगों की जेब से धनाढ्य लोगों को प्रतिकर दिया जा रहा है, तो न जाने हमारे सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र का क्या बनेगा ।

हमारी इच्छा थी कि प्रतिकर में क्रम प्रणाली रखी जाती और विधवाओं जैसे छोटे अंशधारियों को प्रतिकर मिलता और हम चाहते थे कि प्रतिकर मूल मूल्य पर दिया जाता, परन्तु हम इसमें असफल रहे ।

माननीय मंत्री ने कहा कि कर से बचने वाले सुधर जायेंगे, परन्तु हम जानते हैं कि मानव प्रकृति कैसी होती है । कर्मचारियों के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने टाल-मटोल का उत्तर दिया है और कहा है कि इस के लिये शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये । निजी उद्योग क्षेत्र में उन का प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं होता है इस से तो यह सिद्ध नहीं होता कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी उन का हाथ नहीं होना चाहिये । समाजवादी व्यवस्था में कर्मचारियों का अत्यधिक महत्त्व होता है । अतः इस सम्बन्ध में टाल-मटोल करने का अभिप्राय यह है कि हम पूंजीवादी सिद्धांतों को मान रहे हैं ।

माननीय वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में अपने मत की बात स्पष्ट कहनी चाहिये थी ताकि देश को सचाई का पता लग जाता ।

मेरा वित्त मंत्री से यह निवेदन है कि यदि वह विधेयक को संशोधित नहीं करते हैं तो कम से कम यह आश्वासन तो दे दें

[श्री साधन गुप्त]

कि कर से बचने वाले किसी व्यक्ति को निदेशक सभापति या उपसभापति नहीं बनाया जायेगा ।

श्री एस० एल० सक्सेना : निस्संदेह यह महत्त्वपूर्ण विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है । एक ऐसी संस्था को जो इस देश के लिये एक लांछना थी अंततः राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है ।

इस विधेयक पर हुई चर्चा से हमें बहुत गंभीर आशंकायें हुई हैं । माननीय वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह एक दो वर्ष इस बैंक का कार्य देखें और यदि वह यह देखें कि इस बैंक से ग्रामीण जनता को लाभ नहीं पहुंच रहा है और उन्हें कम ब्याज पर ऋण नहीं मिल रहा है तो उन्हें विधेयक में संशोधन कर के भूमि को प्रतिभूति के रूप में लिये जाने का उपबन्ध करना चाहिये ।

माननीय वित्त मंत्री के प्रतिकर के सम्बन्ध में पहले ही आश्वासन दे दिया था । मंत्रियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यह सभा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है और उन्हें इस प्रकार सभा से परामर्श किये बिना कोई आश्वासन नहीं देने चाहियें ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह आश्वासन पहले वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में दिया गया था और उस समय इस का खंडन नहीं किया गया था ।

श्री एस० एल० सक्सेना : चाहे यह आश्वासन पहले दिया गया था परन्तु उस समय अवाड़ी संकल्प पारित नहीं हुआ था और उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि परिस्थितियां बदल जायेंगी । अतः मेरा सुझाव है कि प्रतिकर यदि मूल मूल्य पर नहीं तो खरीदने के मूल्य के आधार पर दिया जाना चाहिये । अंशधारियों को केवल वह मूल्य दिया जाना चाहिये जिस मूल्य पर उन्होंने अंश खरीदे थे । आप ने जो इस बात को स्वीकार नहीं किया उस से पता चलता है कि आप उस आश्वासन को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वह उचित हो अथवा अनुचित ।

आप समाजवाद और अवाड़ी संकल्प की बातें करते हैं । हमारे श्रम मंत्री ने भी कई बार कहा है कि श्रमिकों को उद्योगों में साझीदार समझना चाहिये । परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि इस सम्बन्ध में नीति का निर्णय बाद में किया जायेगा । वह दिन कब आयेगा ? प्रतिदिन किसी न किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये विधान लाये जा रहे हैं । क्या इन विधानों के पारित होने के पश्चात् आप नीति का निर्णय करेंगे ? यदि आप समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो नीति का निर्णय तुरन्त हो जाना चाहिये । आप को इसे स्थगित नहीं करना चाहिये । यदि आप कर्मचारियों को साझीदार नहीं बनाना चाहते हैं तो यह बात स्पष्ट कह दीजिये ।

अंत में मैं अंशों के वितरण की प्राथमिकता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मुझे यह जान कर खेद हुआ है कि जिन अंशधारियों को प्रतिकर दिया जायेगा उन्हें ही यह प्राथमिकता दी जा रही है । मेरा निवेदन है कि आप को देश के दरिद्र और साधारण बैंकों को ये अंश देने चाहियें ।

श्री सारंगधर दास : आज मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो चुका है कि सरकार कहती कुछ है, और करती कुछ है । प्रधान मंत्री से ले कर नीचे तक सभी पदाधिकारी बार बार ये शब्द दोहराते हैं कि वे "एक समाजवादी ढंग के समाज" की स्थापना करेंगे । परन्तु वास्तव में कार्य होता है इस के बिल्कुल विपरीत । संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने के उप-

रान्त सारा देश यही समझ रहा था कि इम्पीरियल बैंक के सम्बन्ध में न्यायसंगत विधान पारित किया जायेगा । परन्तु ऐसा नहीं हुआ ।

मैं यह नहीं कहता कि किसी से अधिकार छीन लिये जायें, अथवा उसे लूट लिया जाये । परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि वे पूंजीपति लोग भी साधारण पुरुष के समान ही देश के निर्माण में पूरी पूरी सहायता करें ।

यहां पर हुई चर्चा से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि गत तीस वर्षों में अंशधारियों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ है । उन्होंने जितना धन लगाया था, उस से चार चार गुना धन प्राप्त कर चुके हैं ?

इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि हमें कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिये जिस से उन्होंने जितना धन लगाया है, उस पर उन्हें उचित लाभांश दिया जा सके । मेरा विचार है कि उन्हें ६ प्रतिशत लाभांश देना ही उचित रहेगा और उन के हिसाब के बेबाक होने तक उन्हें १० प्रतिशत अतिरिक्त धन भी दिया जाये । परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप तो पूंजीपतियों की जेब भरे जा रहे हैं । आप तो केवल बैंक का नाम ही बदल रहे हैं । बैंक तो उन्हीं लोगों के नियंत्रण में रहेगा जिन के पास पहले था और वही स्थिति रहेगी, जो पहले थी ।

इसीलिये तो मैं ऐसा कहता हूं कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है । 'एक समाजवादी ढंग के समाज' की स्थापना की बातें केवल देश को धोखा देने के लिये हैं ।

श्री ए० एम० थामस : विधेयक के प्रथम वाचन के समय इस विधेयक का जिस प्रोत्साहन से स्वागत किया गया था, आज तृतीय वाचन के समय इस का वैसा स्वागत नहीं किया जा रहा है ।

द्वितीय वाचन में तो इस विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं । उदाहरणार्थ राज्य बैंक के स्थानीय बोर्ड के लिये निर्वाचित किये गये किसी भी निदेशक का वेतन १०,००० रुपये के स्थान पर १,००० कर दिया गया है। इसी प्रकार से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक का वेतन ५,००० रुपये होगा ।

पहले तो इम्पीरियल बैंक की चैक-पुस्तक को रखना भी वास्तव में एक महान गर्व की बात समझी जाती थी, अब राज्य बैंक की चैक-पुस्तक एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकेगी । क्या यह कोई कम महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है ?

इस से पूर्व देश की २० प्रतिशत जनता, जो कि गांवों में रहती है, की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था । अब इस विधेयक के द्वारा उस ग्रामीण जनता की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया गया है । अतः यह विधेयक 'समाजवादी ढंग के समाज' की स्थापना में एक विशेष कदम है ।

इस विधेयक के द्वारा इम्पीरियल बैंक के सभी संसाधनों को अपने हाथ में लिया जा रहा है । सारे देश की निक्षिप्त निधि में से पांचवां भाग तो इम्पीरियल बैंक के पास है । यह कोई कम निधि नहीं है ।

इसी लिये मैं यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के विधेयक का पूर्ण रूपेण समर्थन किया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही पारित होगा और पहली जुलाई १९५५ से पूर्व इस बैंक को ले लिया जायेगा ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक): सभापति महोदय, इस बिल का तमाम देश के अन्दर स्वागत किया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : किया जा रहा है ।

चौ० रणवीर सिंह : किया जा रहा है और किया जायेगा भी, क्योंकि आज हमारे देश में ७० फीसदी आदमी ऐसे हैं, जिन को रुपये का लेन-देन पांच फीसदी नहीं छः फीसदी नहीं बल्कि दस पच्चीस और तीस फीसदी तक सूद के हिसाब से करना पड़ता है । मेरे कम्यूनिस्ट दोस्तों ने एक केस बनाने की कोशिश की कि हिस्सेदारों की फेस वैल्यु का रुपया क्यों न दिया जाये । अगर हम एक मिनट के लिये मान लें कि उन को इसी हिसाब से रुपया दिया जाता, तो हमें १९ करोड़ रुपये के बजाय ५ या ७ करोड़ रुपये देने पड़ते । मेरे कहने का मतलब यह है कि अन्दाजन कोई १३–१४ करोड़ रुपये के घाटे का सवाल हमारे सामने है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई पैसे वाले हिस्सेदार भाई इस कानून को एक या दो साल के लिये अदालत में लटका दें—जिस तरह कि यू० पी० का जमींदारी एबालीशन बिल लटका दिया गया था—तो उस एक या तो साल में ही इस देश के किसानों को १४, १५ या २० करोड़ रुपये का घाटा हो जाता । यही नहीं, आज हमारे देश में जैसी हालत है—देहात के कुछ भाइयों के पास पैसा है और कुछ के पास नहीं है—उस हालत में अन्दाजन १४–१५ करोड़ रुपये की तो चोरी हो जाती होगी ।

श्री एस० एस० मोरे : कहां से ।

चौ० रणवीर सिंह : अगर हमें इस काम में यानी देहातों में बैंक स्थापित करने में, कामयाबी मिली, तो उस चोरी में काफी फर्क होगा ।

इस १४–१५ करोड़ रुपये के नाम पर कांग्रेस वालों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वे शायद साहुकारों की रियायत करना चाहते हैं । आज रात के सवा आठ बज गये हैं और हमारे देश के नेता, प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी तक यहां पर बैठे हुए हैं । वह इस लिये बैठे हैं कि उन के दिल में एक तड़प है कि हिन्दुस्तान के किसानों का सूदखोरों की बीमारी से जितने घंटे और जितने मिनट पहले पिंड छूट जाये, उतना ही देश का और किसानों का भला होगा । देश के किसानों के फायदे के लिये वह इस १४–१५ करोड़ रुपये की परवाह नहीं करते हैं । आज देश में करोड़ों रुपये के प्रोग्राम हम ने चलाये हुए हैं । उस में १४–१५ करोड़ रुपये की क्या गिनती है ? इस नुक्ता-ए-ख्याल को सामने रखते हुए यह सोचा गया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है । मैं समझता हूं कि सारा देश इस का बड़ा स्वागत करेगा और देश को इस का बड़ा फायदा होने जा रहा है ।

श्री ए० सी० गुह : मैं उन सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर हुए बीस घंटे के वाद-विवाद के दौरान में कई सुझाव दिए हैं और इस विधेयक में सुधार करने का प्रयत्न किया है । परन्तु विधेयक के तृतीय वाचन के समय विरोधी दल के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों से मैं कुछ निराश सा हो गया हूं । उन्होंने कई संशोधन प्रस्तुत किए हैं, परन्तु सरकार द्वारा स्वीकृत न किये जा सके । मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि विरोधी दल ने इस विधेयक की प्रशंसा में एक भी शब्द न कहा । संभवत : वे यह चाहते हैं कि इस रूप में विधेयक पारित न हो । यदि विरोधी दल का यही रुख है तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर की गयी सारी चर्चा इस सभा के सदस्यों के लिये नहीं है अपितु किसी व्यापक क्षेत्र के लिये है ।

अब मैं कुछ एक सदस्यों द्वारा कही गयी बातों को लूंगा । प्रथम बात यह है कि यह विधेयक ग्राम-उधार की समन्वित योजना

की केवल प्रथम अवस्था है। इस सभा तथा अन्य सभा ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम का संशोधन करने वाला एक अन्य विधेयक पारित किया है। मैं ने यह भी कहा है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय भी समन्वित योजना के एक अन्य भाग को कार्यान्वित करने वाले एक विधेयक को ले कर इस सभा के सम्मुख प्रस्तुत होगा। इस योजना की कुछ एक अवस्थाओं को तो राज्य सरकारें कार्यान्वित करेंगी और कुछ एक को सहकारी संस्थायें। अतः सारी योजना को एक ही रूप में लिया जाना चाहिये। परन्तु यदि माननीय सदस्य यह चाहें कि कृषिकारों को उन्नत करने वाली सारी बातें इस एक ही विधेयक में रख दी जायें, तो मैं यह कहूंगा कि वे सम्पूर्ण चित्र का ठीक रूप नहीं देख रहे हैं।

फिर कुछ सदस्यों ने ऐसी वकालत की है कि केन्द्रीय बोर्ड में सहकारिता का अनुभव रखने वाले कई और निदेशक भी रखे जायें। मैं सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सरकारी संस्थाओं में अनुभवप्राप्त निदेशकों की संख्या, निदेशकों की कुल संख्या के उचित अनुपात में हो। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ग्राम-उद्धार का यह काम जो कि राज्य बैंक को दिया जा रहा है किसी भी प्रकार से शिथिल न होने पावे, अपितु यह काम बड़े प्रोत्साहन और जोश से कार्यान्वित किया जावे और इस के लिये जितने भी सहकारिता-अनुभव प्राप्त निदेशकों की आवश्यकता हुई, उन्हें नियुक्त करने में सरकार संकोच न करेगी।

एक और सदस्य ने कर देने में टालमटोल करने वाले लोगों की ओर निर्देश किया है। उस विशेष खंड पर बोलते हुए मैं ने कहा था कि कर देने में टालमटोल करने वाले व्यक्ति को परिभाषित करना बड़ा कठिन है। क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक वर्ष कर देने में टालमटोल करे और दूसरे वर्ष ऐसा न करे।

किसी भी व्यक्ति की आय का हिसाब किताब करते हुए कर दाता और आय कर पदाधिकारी में मतभेद हो सकता है। ऐसे मामलों में भी कर दाता कर देने में टालमटोल करने वाला कहा जा सकता है। इस प्रकार से तो इस कोटि में अनेकों लोग आ सकते हैं।

चर्चा के दौरान में कुछ एक मूलभूत सिद्धांतों—जैसे कि इस बैंक के प्रशासन में कर्मचारियों को भी भाग दिया जाये, की ओर निर्देश किया गया है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के विधेयक, जिस का एक सीमित सा उद्देश्य है, में इस प्रकार के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा की जा सकती है। सरकार ऐसा चाहती है कि इस विधेयक पर विचार करते समय इस के वास्तविक उद्देश्य को ही प्राथमिकता दी जाये। अन्य फालतू बातों पर सोच विचार न किया जाये।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम्य क्षेत्रों और अर्धनगर क्षेत्रों को बैंक के सम्बन्ध में सुविधायें प्रदान की जायें। गत चार वर्षों में ऐसा कार्यक्रम था कि इम्पीरियल बैंक की शाखाओं को ग्राम्य क्षेत्रों में भी फैलाया जाये। परन्तु सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा इतने प्रयत्न किये जाने के उपरान्त भी पिछले कुछ वर्षों में ग्राम्य और अर्धनगर क्षेत्रों में इम्पीरियल बैंक की ६२ शाखाओं से अधिक न खोली जा सकीं।

भारत में बैंक सम्बन्धी सुविधायें बहुत कम हैं। सारे देश में अनेकों स्थानों, नगरों, तहसीलों, ग्रामों और उप-वैभागिक नगरों में से केवल १५१० स्थानों पर ही बैंक सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में हम ने यह लक्ष्य बनाया है कि आगामी पांच

[श्री ए० सी० गुह]

वर्षों में कम से कम चार सौ नयी शाखायें खोली जायें । हमारा ऐसा विचार है कि इतनी शाखायें खोलना इस बैंक के लिये सम्भव हो सकेगा और बैंक के संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए यह कार्य कार्यान्वित किया जा सकेगा । इस से ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना व्यर्थ है । क्योंकि यदि इसे कार्यान्वित न किया जा सका तो बाद में इस में संशोधन करने के लिये फिर से इस सभा के सम्मुख आना पड़ेगा । जैसे मैं ने पहले भी कहा है एक निजी सदस्य के रूप में मैं ने एक तिथि निर्धारित की थी सरकार ने मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया और उस विशेष विधेयक में तिथि-लक्ष्य निश्चित कर दिया गया । परन्तु यह कार्यान्वित न हो सका और इस में संशोधन करने के लिये सरकार को सभा के सम्मुख आना पड़ा ।

हम ने हर एक काम में न्यूनतम संख्या निर्धारित की है । इस काम में लगायी जाने वाली राशि, अथवा समय अथवा नयी शाखाओं की संख्या--हर काम में न्यूनतम संख्या निर्धारित की है । इस से पहले इसी प्रकार के विधेयकों में हम अधिकतम संख्या निर्धारित किया करते थे । यह परिवर्तन इस बात की ओर निर्देश करता है कि अब सरकार के दृष्टिकोण में अन्तर आ गया है । अब हम किसी निश्चित कालावधि में प्राप्त किये जाने वाले न्यूनतम लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं ।

इस के सम्बन्ध में मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है। कई सदस्यों ने कई प्रकार के भाव प्रकट किये हैं । कईयों न यह कहा है कि यह सारा पाखंड है । उन्हें ऐसे कठोर वचन कहने के विशेष अधिकार हैं । मैं तो केवल सभा का ध्यान उन विधियों की ओर लगाना चाहता हूं जिन्हें सभा ने अभी हाल ही में पारित किया है । इस सम्बन्ध में सम्पत्ति शुल्क अधिनियम एक अत्यंत महत्त्व-पूर्ण विधान था जिसे पारित किया गया है । यह एक सामाजिक समानीकरण का अधि-नियम था, तथा आर्थिक समानीकरण का अधिनियम था--मैं इस में समाजवादी शब्द के प्रयोग को जान बूझ कर छोड़ रहा हूं क्योंकि इस शब्द की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जा सकती है और मैं कह नहीं सकता कि विपक्ष के सदस्य इस शब्द की एक सर्व सम्मत परिभाषा बना सके हैं । अतः ऐसे शब्द का प्रयोग करने का कोई लाभ नहीं जिस की अभी तक कोई समुचित परिभाषा भी नहीं बन सकी है । यह विधेयक तथा इस के उपरांत ग्राम-उधार से सम्बन्ध रखने वाले अन्य सभी विधान स्पष्टतया बतायेंगे कि सरकार की इच्छा क्या है और वह क्या कर रही है । और इस के उपरांत आने वाला एक और विधेयक समवाय विधेयक भी बताऐगा कि सरकार क्या करना चाहती है ।

मुझे आशा है कि यह विधेयक अवश्य पारित होगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० को अग्रेतर संशोधित

करन वाले विधयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये निश्चित की गयी कालावधि को ३१ अगस्त, १९५५ तक बढ़ा दिया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० को अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये निश्चित की गयी कालावधि को ३१ अगस्त, १९५५ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब, सभा, सोमवार २ मई, १९५५ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इस के पश्चात् लोक-सभा, सोमवार, २ मई, १९५५ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—156 LSD—15 3 56